DISCUSSION ON THE WORKING OF MINISTRY OF AGRICULTURE

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मुझे अपने वक्तव्य के आरंभ में, हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रमय प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी ''निराला'' की किसानों के लिए लिखी एक कविता स्मरण आ रही है। उन्होंने लगभग चार-पांच दशक पूर्व यह कविता लिखी थी,

''वह आता दो टूक कलेजे के करता,
पछताता पथ पर आता,
पेट, पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठीभर दाने की भूख मिटाने को।''

आज हमारे किसान की यह स्थिति है कि उसके पेट के और पीठ के अंदर कोई अंतर नहीं रह गया है। जो हमारा अन्नदाता है, वह भूख से इतना मजबूर और लाचार है कि लकुटिया टेककर चल रहा है। देश की दो-तिहाई से अधिक श्रम-शक्ति कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का दावा कितना थोथा है, यह माननीय कृषि मंत्री जी, आपको अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ में हो रही भुखमरी और आत्महत्याओं की तमाम घटनाओं से यह बात साबित होती है।

फसल का अधिक उत्पादन बढ़ाने का दावा करने वाली पेस्टिसाइड कई जगह काम ही नहीं करती। एक सर्वे के अनुसार 1997 से फसल के उत्पादन के लिए जो पेस्टिसाइड सप्लाई होती है, हजारों किसानों ने उसी को पीकर आत्महत्या की है। ये आत्महत्या करने वाले किसान कौन हैं! ये उन परिवारों के मुखिया हैं, जो फसल के नुकसान से, मानसून के न आने से, कभी मानसून के प्रकोप से, कभी फसलों में दाम की गिरावट से, कभी आपकी सरकार की कर्ज़ से और कभी गांव के* के कर्ज से पीड़ित हैं। चाहे सरकार NDA की हो, चाहे सरकार UPA की हो, चाहे उदारीकरण की नीतियां हों, चाहे धन कुबेरों के समर्थन की नीतियां हों, सभी की नीतियां एक सी रही हैं। आज़ादी के इन साठ सालों में अगर किसानों की आत्महत्याएं सबसे अधिक हुई हैं, तो ये पिछले दस वर्षों में हुई हैं। कर्ज़ में डूबा किसान, जो उसकी अपनी जमीन है, जो जमीन उसकी मां है, वह उस मां को बेचने के लिए बाध्य है। आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसान की धान की फसल का कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि यहां अन्य राज्यों से चावल आकर बाजार में छाया हुआ है। तमिलनाडु में चाय उत्पादक किसानों को लागत मूल्य से नीचे चाय बेचनी पड़ती है और केरल में दाम न मिल पाने के कारण किसान नारियल सड़कों पर फैंक देता है। यह अलग बात है कि आज से कुछ महीनों पहले तक उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो 22 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों को भुगतान किया गया, लेकिन आज यह हालत है कि जिस तरह से तमिलनाडु का चाय उत्पादक किसान बदहाल है, केरल का नारियल उत्पादक का किसान बदहाल है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बदहाल है। वह अपने खेत के गन्ने को जला रहा है। पंजाब से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर असम तक, चावल-गेहूं की फसल से लेकर ऑयल सीड तक, गन्ने से लेकर मौसमी फलों तक, हर फसल की कभी अनियमित मानसून के अभाव में और कभी अधिक उत्पादन के कारण दामों की लगातार गिरावट हो रही है। बेचारा किसान जानता ही नहीं है और कृषि मंत्रालय से कोई उसे बताने वाला ही नहीं है कि वह किस फसल का उत्पादन करे और किस फसल का उत्पादन न करे। कौन-सी फसल उसके लिए मुनाफे की होगी और किस समय होगी और कौन-सी फसल मुनाफे की नहीं होगी। सर, मैं उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण को स्पेशल इकनोमिक जोन कहूं या स्पेशल एक्सप्लांइटेशन जोन कहूं! यहां स्वामीनाथन जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंक ऋण की दर 4 परसेंट होनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि यह 4 परसेंट की दर कब होगी! कृषि सब्सिडी के अभाव के मामले में हम अंधाधुंध पश्चिम की नकल कर रहे हैं और हर क्षेत्र में पश्चिम की नकल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF सभी हमें निर्देशित करते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में फूड सब्सिडी नहीं काटते हैं। यहां के नीति निर्धारकों पर दबाव पड़ता है कि फूड सब्सिडी काटो। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि एक लाख, 60 हजार करोड़ हमारे ऊपर कर्ज़ है, लगभग उसके आधे का लोन वेवर का अगर प्रावधान किया गया है, तो ये फाइनेंसियल स्ट्रक्चर ही नहीं है, NPA को खत्म करने की साजिश नहीं

*Withdrawn by the Hon. Member.

है। 20 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से प्रावधान किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के युवा सांसद श्री राहुल गांधी की बात को अगर मानें तो उन्होंने बयान दिया है कि इसमें जो दो हेक्टेयर जमीन का प्रावधान किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र के विदर्भ में और आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा में इस जमीन को सीमा के तहत, इस कट ऑफ के कारण वहां के किसानों को, लोन विवर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस राशि को भी अपर्याप्त बताया है। श्री राहुल गांधी के बयान के बाद माननीय कृषि मंत्री जी, आपका बयान आया है। आपने कहा है कि यह संभव नहीं है, जितना हो गया, उतना हो गया। उसके बाद इसी सदन में हमारे सदन के दूसरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता डा० अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब आया कि यह बात ठीक नहीं है, जो राहुल जी ने कहा है, उस पर अमलीकरण होगा। हमें पता नहीं है कि क्या होगा! आपका बयान आया कि किसानों गांव के * की परवाह न करो। माननीय वित्त मंत्री का यह बयान आया कि गांव का * जो है, उसको नियंत्रित करने का कोई अधिकार वित्त मंत्रालय के ...(**व्यवधान**)...

श्री गिरीश कुमार सांगी (आंध्र प्रदेश): सर, यह* शब्द निकाल दीजिए।

श्री अमर सिंह: मैं क्षमा चाहता हूं। मैं *का बड़ा आदर करता हूं।

श्री गिरीश कुमार सांगी: *शब्द जाति सूचक है। वापस ले लीजिए।

श्री उपसभापति: वापस ले लीजिए।

श्री अमर सिंह: मैं वापस ले लेता हूं। यह हमारे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है।

श्री गिरीश कुमार सांगी: गलत बात है।

श्री अमर सिंह: यह गलत बात है, मैं मान लेता हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): *मत कहिए, साहूकार कहिए।

श्री अमर सिंह: ठीक है। गांव का यह साहूकार... यह ठीक है? *शब्द वापस लेता हूं, *की जगह साहूकार कर दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा है, क्षमा करें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गांव के इस साहूकार के ऊपर, शरद जी ने एक बयान में कहा है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि गांव के इस साहूकार के ऋण को देने की जरूरत नहीं है और वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं, साहूकार के ऋण की परिधि से किसानों को मुक्त करने का कोई अधिकार हमारे अंदर नहीं है। फसल कब हो, कितनी हो, सिर्फ प्रॉडक्टिविटी और उत्पादकता ही महत्वपूर्ण नहीं है। उत्पादकता खूब हो जाए, खूब फसलें हो जाएं, लेकिन अगर उसके उत्पादन की लागत नहीं मिले, मूल्य नहीं मिले तो क्या होगा? आपको उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में बाजरा के उत्पादन पर काफी जोर दिया गया। बाजरा की काफी उत्पत्ति हुई, जिस समय बाजरा की बुआई हुई, उस समय उसका दाम साढ़े पांच रुपये था, जब बाजरा बहुत ज्यादा हो गया तो साढ़े पांच रुपए का बाजरा ढाई रुपए का हो गया और लोगों को बाजरा फेंकना पड़ा, उसी तरह जिस तरह केरल में नारियल, उत्तर प्रदेश में गन्ना जलाया जा रहा है। जब काफी गन्ना हुआ तो स्वयं आदरणीय कृषि मंत्री जी ने लोक सभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खपत ज्यादा हो गई है और चीनी की उत्पादकता महाराष्ट्र से आगे हो गई है। किसानों को लाभान्वित लगा कि हम गन्ने का उत्पादन करें। जब गन्ने का उत्पादन शुरू कर दिया तो अब गन्ने का मूल्य देने वाला कोई नहीं है। गन्ना जलाया जा रहा है, गन्ने की खड़ी फसलें जलाई जा रही है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं कृषि मंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी प्रशासनिक क्षमता, आपकी वरिष्ठता के लिए हम बहुत सम्मान से कहते है कि *क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।* अगर हम कोई ऐसी बात कह दें, जो आपको बुरी लगे तो हम उसके लिए पहले ही माफी मांग लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमीशन हमारा बनाया हुआ नहीं है, यह आपके सिस्टम और प्रणाली का बनाया हुआ है। आप कुछ मत कीजिए, स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लागत किसान की आती है, उस लागत मूल्य का पचास प्रतिशत दे दीजिए और बैंक का ऋण चार प्रतिशत कम कर दीजिए। आप कर दीजिए। सी०ए०सी०पी० रिकमेंडेशन, सी०ए०सी०पी० हमारा बनाया हुआ नहीं है,

*Withdrawn by the Hon. Member.

सी॰ए॰सी॰पी॰ भी आपकी व्यवस्था का एक अंग है। राधाकृष्णन आयोग, जो भुखमरी के आकलन के लिए बनाया है, वह भी हमारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन अद्भुत बात है कि गवर्नमेंट में सच्चर से लेकर श्रीकृष्णन तक, राधाकृष्णन से लेकर स्वामीनाथन तक और स्वामीनाथन से लेकर सी॰ए॰सी॰पी॰ तक समितियां बनती है, रपटें बनती हैं, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में फूड सिक्योरिटी की बात लोग बराबर करते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी कैसे हो? हिन्दुस्तान को फूड सिक्योरिटी कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन वे करते थे। हरियाणा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि जिन उपजाऊ खेतों में खाना मिलता था, वहां पर किसान खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेहनत करके हम खाद्यान्न का उत्पादन करें, हमें हमारी उत्पादकता का, लागत मूल्य का पचास प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा नहीं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार, हमारी किसी भी सरकारी घोषणा या आकलन का अनुपालन होगा नहीं तो मुकेश अंबानी और रिलायंस को एस॰सी॰जेड॰ बनाने के लिए दे दो। हरियाणा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। जहां पर खाना मिलता था–मैं नाम नहीं लूंगा, सदन में उत्तेजना हो जाएगी, कांग्रेस के बड़े-बड़े वरिष्ठ नेताओं ने इस नीति के खिलाफ–अभी मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री बाहर सेंट्रल हॉल में मिले थे–उन लोगों ने दल तक छोड़ दिया। यहां पर इतना बड़ा विप्लव हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है कि कांग्रेस से निकले बड़े नेताओं ने, जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा में, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने कहा है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन नही है, यह स्पेशल एक्सप्लॉएटेशन जोन है। कृषि मंत्री जी, इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों का जो द्वंद्व है, वह जगजाहिर है। वाणिज्य मंत्री कुछ कहते हैं, वित्त मंत्री कुछ कहते है। अब वह कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी और सामूहिक दायित्व की बात नहीं रही है, अब सामूहिक विवाद के सिद्धांत पर यह सरकार, यह केबिनेट चल रही है। इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 177 देश हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय भूख का इंडेक्स कि कौन सा देश किस स्तर का भूखा है.....कृषि मंत्री जी, उसमें हमारा स्थान 128वां है। बोलिविया, वियतनाम, मंगोलिया–ये सारे देश हमसे पीछे हैं, भुखमरी में हम इनसे आगे हैं। और तो और भूख के लिए और भूख से मरने वालों के लिए जो सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो प्रचलित देश माना जाता है, वह इथियोपिया है। सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इथियोपिया का स्थान 94वां है और हमारे देश का स्थान 128वां है। यह बड़े शर्म की बात है। हिन्दुस्तान की आजादी के इतने दशकों बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय मुखमरी की सूची, उस तालिका में हमारा यह स्थान है। किसान उत्पादन भी कम कर रहे हैं और उसकी खपत भी कम कर रहे हैं। उनकी क्रय-विक्रय क्षमता भी कम हो गई है। नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम विफल हो गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहां फिर कांग्रेस के युवा सांसद राहुल गांधी जी को उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने बयान दिया और बयान देकर कहा कि नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी योजना एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना का सफलीकरण नहीं हुआ है। यह योजना समाज के अन्तिम आदमी को नहीं मिल रही है। 1951 में हमारे देश में आम नागरिक के खाने की खपत 178 kg per head थी, 2002 में यह 155 kg per head हो गई। अगर सरकारी आंकड़े को देखा जाए, तो 1937 और 1942 में जो आम आदमी की हालत थी, जबकि ब्रिटिश हुकूमत अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय जो हालत थी, उससे बुरी हालत 1991 में और 1993 में हमारी हुई है। 53 प्रतिशत बच्चे और 30 प्रतिशत बड़े आज भी हमारे देश में भूखे सोते हैं। लेकिन कृषि मंत्री जी, मैं उपसभापति महोदय के माध्यम से आपसे बहुत आदर और विनय के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों की प्राथमिकता और हमारे जीवन की प्रसांगिकता अब किसान और किसानी नहीं रह गई है। अब हमारा ध्यान मानसेंटो, कारगिल, रिलायंस, अडानी, आईटीसी, इनकी और ज्यादा है। इनकी नीति क्या है? बीज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर–ये किसानों को सप्लाई करते हैं। वे योजना निकालते हैं–हरियाली। योजना का नाम–हरियाली, योजना का नाम–खुशहाली। यह हरियाली और खुशहाली योजना किसानों को हरा-भरा बनाने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए नहीं, यह हरियाली और खुशहाली उनकी हरियाली के लिए है। उनकी तिजोरी में हरे-हरे नोट हैं। उनकी जिन्दगानी में खुशहाली है। हरियाली और खुशहाली योजना है किसानों के लिए। उन्हें पेस्टिसाइड देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, हरियाली और खुशहाली की योजना बताते हैं और प्रलोभन देते हैं, कि compact farming हो। किसान अपनी जमीन आईटीसी को दे दे, कारगिल को दे दे, रिलायंस को दे दे। सब कुछ बेचते हैं रिलायंस वाले। अब सब्जी भी बेचेंगे, गेहूं भी बेचेंगे, चावल भी बेचेंगे। यानी आप कुछ भी करेंगे, आप साबुन लगाएं, तो हिन्दुस्तान लीवर वाला ले जाएगा–एक मल्टी नेशनल। अगर आप चावल, दाल खाएं, तो रिलायंस ले जाएगा। यानी अब जीवन में जीवन नहीं, सिर्फ भगवान की दी हुई सांस के अलावा हर मामले में मल्टी नेशनल या कोई-न-कोई कारपोरेट उद्यमी

कमाई करेगा। हमारा ध्यान कारपोरेट लेयर्स के लिए तो है, लेकिन हमारा ध्यान गरीब किसान के लिए, भूखे किसान के लिए नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान उन्हीं के दिए एक बयान की ओर बड़े आदर के साथ आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने नई दिल्ली में 21 अप्रैल को एक बयान दिया। उस बयान–Wheat imported at higher rate than MSP, admits Pawar–*में माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा:* "The Government on Monday said it has directed four States—Maharashtra, Rajasthan, West Bengal and Madhya Pradesh—to import wheat from the global market to meet about half of their foodgrain requirements. The Government on Monday said it imported wheat, during the last two years, at a higher rate than the Minimum Support Price paid to farmers." क्यों, सर? अगर आप एमएसपी बढ़ा देते, आज विदेश में आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड को जो पैसा देने के लिए तैयार है, जो सड़ा हुआ गेहूं वहां से ले आने के लिए तैयार हैं, सड़े हुए गेहूं के लिए आप ज्यादा दाम देने के लिए तैयार है, तो आप हमारे विदर्भ के भूख से मर रहे किसान को, पंजाब-हरियाणा के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को, बिहार के किसान को, देश के किसान को एमएसपी से ज्यादा मूल्य क्यों नहीं देते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया और पाश्चात्य देशों को यह मूल्य दे रहे है। आप दे दीजिए। आप 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कहीं ज्यादा मूल्य पर इम्पोर्टेड व्हीट देश में ले कर आ रहे हैं। आप एमएसपी का ज्यादा रेट करके एफसीआई को स्ट्रेंथन करिए और आप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए। लेकिन अगर आप यह नहीं करेंगे, आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत नहीं बनाएंगे, प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से कारगिल, आईटीसी, आडानी, रिलायन्स और मोंनसेंटो के ऊपर कोई बंधन नहीं है। वे आराम से अपनी तिजोरी से पैसा लगाएंगे, किसानों को ज्यादा पैसा देंगे और अपने गोदाम भरेंगे। मैंने पहले भी एक प्रश्न में कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि चांदनी चौक पर जो छोटा साहूकार है, उसके ऊपर छापा मारने से कुछ नहीं होगा, बड़े-बड़े सरमाएदार तो ये ही हैं। इनके बड़े-बड़े वेयरहाउस हैं, इनके पास बड़ी-बड़ी थैलियां हैं, इन्होंने लाखों-हजारों का माल उन गोदामों में भर कर रख लिया है और यही मार्किट को नियंत्रित कर रहे हैं, वे मानसेंटों के लोग, ये कारगिल, आईटीसी आडानी और रिलायंस के लोग। आप इनके बारे में क्या कर रहे हैं? आप तो इन्हीं को मजबूती दे रहे हैं। आप एमएसपी तो बढ़ाएंगे नहीं और स्वयं बहुत गर्व से एडमिट कर लेंगे, कि Wheat import at higher rate than MSP, यह बड़े दुख की बात है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एमएनसीज और कॉर्पोरेट सिर्फ पुराने परम्परागत कृषि उद्योगों को ही प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ शुगरकेन या कॉटन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अपितु, जो नये कृषि के क्षेत्र हैं, जैसे सनफ्लॉवर है, पाम ऑयल है, चूंकि जब मार्किट फोर्स आ जाती है, तब ये डिक्टेट करते हैं कि पाम ऑयल का दाम क्या होगा या सनफ्लॉवर का दाम क्या होगा।

मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि आप किसानों की हालत को सुधारने का काम कीजिए। एमएनसीज और कॉर्पोरेट टाइकून्स से ज्यादा हिन्दुस्तान की आबादी का 80% भाग आज भी गांवों में रहता है। गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि पर आधारित है और अगर यह टूट गई तो आदरणीय कृषि मंत्री जी, भारत की अर्थव्यवस्था का भी पता नहीं चलेगा।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपये की राशि, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से तीन वर्ष के अंदर फाइनांशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, यह काफी नहीं है। यहां मैं एक और बात मजबूती से रखना चाहता हूं कि जब तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक कृषि की या किसानों की यह हालत सुधरेगी नहीं, मुझे इसी संदर्भ में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आपका एक बयान आया कि "Rationing system is a thing of the past and food security of Kerala is not Centre's responsibility." यह बड़े दुःख का विषय है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह सबके लिए होना चाहिए, जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनके लिए भी और जो एबल पावर्टी लाइन है, उनके लिए भी। भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए तराजू और पैमाना भी भिन्न-भिन्न हो, यह बात ठीक नहीं है। वैसे भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया है। जो लोग राशन की दुकान पर राशन कार्ड लेकर जाते हैं, आप जरा उनसे उनकी हालत भी पूछिए। जब वे वहां जाते हैं, तो राशन कार्ड के अनुसार जितना उनके लिए प्रावधान है, उतना राशन उन्हें नहीं मिलता। कई बार यूं ही कह दिया जाता है या पर्चों में भर दिया जाता है कि राशन दे दिया गया है, लेकिन राशन देते नहीं हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का

नियंत्रण करने वाले अमूमन 90% साहूकार इसी चक्कर में रहते हैं कि पीडीएस का खाना किस तरह से बचाएं और किस तरह उसे राशन कार्ड धारक को न देकर, उसकी कालाबाजारी की जाए। इसके बारे में साहूकारों का जो आचरण है, उसमें सुधार करने की जरूरत है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप किसानों को छूट नहीं देंगे और जब तक आप अपने इन दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, कृषि मंत्री जी, तब तक कृषि की हालत ठीक नहीं होगी।

एक और भयंकर समस्या है, वह समस्या है पानी नहीं रहने की। जो स्वच्छ जल है, उसका 85% कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें से 65% जल वेस्ट होता है, सिर्फ 20% जल का ही एक्चुअल यूज होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक्चुअल कंजम्पशन 85% है, लेकिन उसमें से 20% ही यूज होता है, बाकी का जो पानी है, वह सिंचाई की कुव्यवस्था के कारण, mismanagement के कारण वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह क्या है? There is no water management technology in the Central Water Agency. मुझे मालूम नहीं कि यह वॉटर रिसोर्स मंत्रालय का मामला है और आपके मंत्रालय से संबद्ध है या नहीं है, लेकिन यह संदर्भित है, इसलिए यहां मैं इसे कह रहा हूं।

जो बिना पढ़े-लिखे किसान हैं, उनको किसी चीज की जानकारी नहीं है। उनको सॉयल सिस्टम की जानकारी नहीं है, क्लाइमेट या हाइड्रोलॉजी की जानकारी नहीं है, उन्हें मंत्रालय की जानकारी देने का कोई सिस्टम नहीं है, उनको यह भी नहीं पता कि एग्रो क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंचाई और कृषि तकनीक की संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं और संबद्ध जल व्यवस्था का प्रारूप क्या होगा। ये सब कुछ किसानों को पता नहीं है, इससे वे अनभिज्ञ है। इस अनभिज्ञता के कारण जल का जो दुरुपयोग हो रहा है, उचित जल नीति न होने की वजह से भी कृषि विफल हो रही है। मान्यवर, एक और अद्भुत चीज हम आपको बताते हैं। World Trade Organization, WTO एक बहुत अच्छी चीज है। इस चीज के लिए हमारी सरकार बहुत जोरदार तरीके से लगी है कि यह होना चाहिए, ताकि हम global player बन जाएं। हमारा देश भूखा है, हमारा किसान भूख से मर रहा है, लेकिन हम global player बनने के लिए बहुत लालायित हैं। WTO की नियमावली क्या है- subsidized food. आज एक सदस्य प्रश्न काल में बात कर रहे थे शायद हमारे ही साथी अबू आजमी साहब कह रहे थे कि चीन का ताला सस्ता है और अलीगढ़ के ताले महंगे हैं। अलीगढ़ और चीन के ताले की चिंता है, लेकिन subsidized food क्या सस्ता हुआ? जो खाना है, अगर उसको हम WTO में लागू कर देंगे, तो दुनिया का सस्ता खाना यहां आएगा और जो मरा हुआ किसान है, वह और मरेगा। WTO की नियमावली यह है कि पूरा-का-पूरा बाजार, खाने का बाजार भी खोल दो। यह IMF का, International Monetary Fund का दबाव है। कृषि मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि tariff और anti-dumping measures को इस मामले में भी पूरी मुस्तैदी से लागू करने की जरूरत है।

एक और मुद्दा है GM Crops, Genetically Modified Crops का, चम्पारण हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। चम्पारण में महात्मा गांधी ने यात्रा की थी। महोदय, उस यात्रा का एक कारण यह था कि चम्पारण में वहां के गरीब किसानों को British India और East India Company के लोग Indigo नाम का एक पदार्थ पैदा करने को दबाव डालते थे। वह दबाव इसलिए डालते थे कि उनके लिए बाजार, एक consumer market था, कच्चा माल प्रोक्योर करने की एक मंडी थी-भारत। इंग्लैंड में Blue Die की बहुत खपत थी और Blue Die का raw material Indigo था। वे कहते थे कि चावल मत पैदा करो, गेहूं मत पैदा करो, गन्ना मत उपजाओ, आलू मत उपजाओ, टमाटर और प्याज मत उपजाओ, Indigo की खेती करो, क्योंकि Indigo हमें Blue die के लिए इंग्लैंड में चाहिए। वे तो विदेशी थे, अंग्रेज थे, East India Company थी और British India थी और Governor General था। वे यह कर रहे थे। 1860 में उसका विरोध गांधी जी ने चम्पारण में सत्याग्रह करके किया था, लेकिन अब कौन करेगा? अब East India Company चली गई है, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन उनका अब प्रारूप बदल गया है। अब वे WTO, IMF और World Bank के रूप में आए हैं और Genetically Modified Crops को इन लोगों ने आगे कर दिया है। कृषि मंत्री जी, आपकी सरकार ने इस Genetically Modified Crops की सम्भवतः इजाजत दे दी है। अगर उसने नहीं दी है, तो वह आप मुझे स्पष्ट करिएगा। हमारे देश में इसके पहले सिर्फ चावल की ही तो लाख varities थी। ऐसा चावल था कि बाढ़ आती थी, बाढ़ में खेत डूबा रहता था, लेकिन वह

rice flood resistant हो जाता था। उसी तरह से coastal areas में समुद्र के नीचे खेत में भी coastal resistant चावल हो जाता था, उसकी variety थी। Cotton की 1500 varities होती थी। लेकिन आज के दिन क्या हालत है? जब से आप लोगों ने Genetically Modified Corps की इजाजत दे दी है, तब से सिर्फ Hybrid और GM Cotton dominate कर रहे हैं। ये non-renewable महंगे बीज खेती की bio-diversity को खत्म करके किसानों को मार रहे हैं। कृषि मंत्री जी, आप तो बहुत विद्वान हैं। National Commission of Farmers ने इस Genetically Modified Crops के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है। वह National Commission of Farmers अपनी रिपोर्ट देता रहे, लेकिन भारत की Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) ने Bio-tech industry के पक्ष में और National Commission of Farmers के विरुद्ध पर्यावरण, मानव तथा जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य-हित की चिंता किए बगैर यह सारा-का-सारा काम भारत को खाने का dumping ground बनाने के लिए विदेशियों के, सम्भवत: Indo-US Knowledge Commission के initiative के प्रभाव में किया है। हमारे वामपंथी साथियों, आपको Indo-US Nuclear Deal की चिंता है, आप यह जरूर कीजिए, लेकिन Indo-US Nuclear Deal से कम खतरनाक Indo-US Knowledge initiative नहीं है। यह Indo-US Knowledge initiative Nuclear Deal से भी खतरनाक है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): We are worried about this also.

श्री अमर सिंह: इस Indo-US Knowledge initiative—नहीं, तो उसका प्रचार नहीं है। यह जो Indo-US Knowledge initiative है, इस Initiative ने Genetic Engineering Approval Committee बना दी है। इसने अप्रूव करके हमारे जो परम्परागत बीज हैं, जो वेरायटीज हैं, चावल की विभिन्न वेरायटीज हैं, उनकी हत्या कर दी है। कुछ नहीं रह गया है। हम उदारीकरण और वैश्वीकरण का नाम ले रहे हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बहुत आदरणीय हैं, बहुत योग्य हैं, उदारीकरण का उन्हें पितामह कहा जा सकता है। वर्ष 1991 में यह उदारीकरण हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि वह सच बोलते हैं, जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि उदारीकरण हो गया है, लेकिन उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिला है। धन्यवाद, मनमोहन सिंह जी, प्रधान मंत्री जी, आपने हमारा काम आसान कर दिया। आपने स्वयं उदारीकरण किया और उदारीकरण पर स्वयं आपने अपना बयान देकर इस बात को माना है। यही सार्वजनिक जीवन की शुचिता और शुद्धता है कि जो आप करते हैं, वह दम-खम से कहते हैं। यह जो उदारीकरण् हुआ, इस उदारीकरण का फायदा कुछ चुने हुए धन्ना सेठों को हुआ है, गरीब किसानों को इसका फायदा नहीं हुआ है, आपने यह मान लिया।

उपसभापति महोदय, और तो और नेशनल कमीशन फोर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एनसीयूएस, ने यह कहा है कि 77 परसेंट गांव के लोगों की खाने-पीने के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 503/-रुपए है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी, कृषि का उत्कर्ष कैसे होगा? जो कार्पोरेट एजेंडा है, जब तक इस एग्रीकल्चर डवलपमेंट के कार्पोरेट एजेंडा को, इंडो-यूएस इनीसिएटिव को आगे बढ़ाएंगे, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कार्पोरेट सेक्टर के लिए भी खोल देंगे, गांव की जो परम्परागत खेती है, उसको प्रश्रय नहीं देंगे, कार्पोरेट ऑनरशिप जो लैंड की है, उसको एसईजेड के माध्यम से बढ़ावा देंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप जो कोआपरेटिव की बात करते हैं, उसका तो हम स्वागत करते हैं। किसानों की कोआपरेटिव है, उसके आप प्रणेता हैं, लेकिन यह जो कांट्रेक्ट फार्मिंग का कन्सेप्ट चला है, इसको जब तक बढ़ावा देंगे, प्राइवेट मार्केटिंग करेंगे, रिलायंस फ्रेशर्स से, या सुविधा आदि से रिटेल चैन बढ़ाएंगे, तो इससे आप सामान्य व्यापारी को भी और आम उपभोक्ता को भी आप खत्म कर देंगे। सीड मानोपोलाइजेशन को यदि आगे बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च को भी मोनापोलाइज कर देंगे थ्रू-इंडो-यूएस नॉलेज डील, तो कोई और एग्रीकल्चर रिसर्च कर ही नहीं सकेगा, सिर्फ यहीं नॉलेज डील करेगा। जो फूडग्रेन्स की एक्सेसिव इम्पोर्ट होगी, खासकर के गेहूं की और एमएसपी कम होगी, इम्पोर्टेड का दाम ज्यादा होगा, तो उससे एमएनएस को लाभ होगा, प्राइवेट लेयर्स का महत्व बढ़ेगा, उनकी चांदी होगी, गरीब आदमी की फसल धन्ना सेठों की तिजोरी में गलत-सही तरीके से पहुंचेगी। इम्पोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट, दोनों में अगर आप मल्टीनेशनल कार्पोरेशन और कार्पोरेट सेक्टर को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एमएसपी को खूब बढ़ाइए, आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड को कम पैसा दीजिए, दोगुना पैसा मत दीजिए यह कह कर कि देश भूखा है, देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्ट करना जरूरी है। आप फूड का आकलन क्यों नहीं करते? आपके पास पूरा तंत्र

है, उस तंत्र से आप आकलन कराइए कि कितनी भूख लगेगी, एस्टीमेट करिए कि कितने खाद्यान्न की जरूरत होगी और उस आधार पर आप फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को इतना एम्पावर करिए, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करिए और अपने मंत्रालय से दबाव डालिए। माननीय कृषि मंत्री जी, अगर आप ज्यादा मूल्य निर्धारित करेंगे, तो आपके गोदाम भरे रहेंगे, आप अपने किसानों को ज्यादा दाम देंगे तो किसान खुशहाल होंगे और आपको ज्यादा वोटों से जिताएंगे आपकी ज्यादा जय-जयकार करेंगे। अगर वह आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड का बोरा है या विदेश का बोरा है, तो वह आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, सड़ा हुआ गेहूं देंगे, आपकी बदनामी होगी, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा।

उपसभापति जी, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... और आपको चुनाव भी हरा देंगे, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए शरद यादव जी, आप सब कुछ कीजिए, चाहे वह स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, या राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट हो, या सीएसीपी की रिपोर्ट हो, उसका अनुपालन कीजिए। किसान की जमीन कोई अंबानी, कोई अडानी, कोई आईटीसी, कोई कारगिल, कोई मोनसेंटो न ले और यह भी देख लीजिए कि वास्तविक किसानों की खेती हो, जिससे उन्हें लाभ हो। आपकी जो एक नीति आई है, वह भी अच्छी नीति है। स्वामीनाथन जी ने भी उसकी तारीफ की है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह नीति कागजों में सीमित न हो, वह नीति किसानों तक पहुंचे। जिस तरह से उदारीकरण का लाभ सिर्फ चंद घरानों को मिला है, जैसा मनमोहन सिंह जी कहते हैं, उसी तरह से आपके किसानों की जो नीति है, उसका लाभ सिर्फ मोनसेंटो को मिले, आईटीसी को, कारगिल को या अडानी, अंबानी को मिले, यह नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए जो नीति बनाई है, उस नीति का लाभ किसानों को मिले। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं। यह दुर्दशा यूपीए और एनडीए का, क्षमा करें, जायंट सेक्टर है। यह आप लोगों का ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट है। किसानों की उपजाऊ जमीन SEZ में खत्म हो रही है, जल संसाधनों से पीड़ित है और the challenge of new millennium is to increase biological yields to feed the ever-growing population without destroying the econogical foundation कृषि मंत्री जी, इसके लिए जरूरी है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो और यह हो सकता है This can be realised through policy and infrastructure support from the Government and by strengthening proactive synergies among the various sectors that play influential roles in the field of agriculture and rural development. कृषि मंत्री जी, आप बुरा न मानें, कल एक मित्र ने मुझे कहा कि pitching agriculture into cricket and playing cricket into agriculture is nothing less than of Nero playing fiddle when Rome was burning. आप बड़े हैं, सीनियर हैं, बुरा लगे तो माफ करें। मैंने पहले भी कहा है कि *क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात*। मैंने किसानों की बात की है, इसका चलन नहीं है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन, SEZ की तरफदारी आज के नए प्रगतिवाद का उसूल है। हम क्या करें। हमारा तो बस यही हाल है कि हम तो वही बात करते हैं, जो प्रचलित नहीं है, जो सरकार को अच्छी नहीं लगती है। किसानों और कृषि की बात करना कुछ ऐसा है।

की वफा गरीबों से, तो आप इसको जफा कहते हैं,
होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं।

और शायद इसीलिए जब हमारे वामपंथी साथी प्रधान मंत्री जी से मिलने गए, महंगाई की, किसानों की, एग्रीकल्चर की, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की बुराई की बात की, तो प्रधान मंत्री जी का, मुझे बड़ा दुख हुआ, बयान आ गया, उनके कार्यालय का बयान आ गया कि महंगाई की बात करना, गरीबी की बात करना, गुरबत की बात करना, लोगों की बदहाली का राजनीतिक शोषण है। सार्वजनिक जीवन में, जन प्रतिनिधि के रूप में अगर गरीबी की बात करना, बदहाली की बात करना, महंगाई की बात करना, किसानों की बात करना, किसानी की बात करना अगर यह political exploitation है, राजनीतिक शोषण है, तो राजनीति अगर हम जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में नहीं आए हैं तो आप कृषि मंत्री किस लिए हैं, वे प्रधान मंत्री क्यों हैं और हम सांसद क्यों हैं? इस प्रश्न का जवाब भी संभवतः आप अपने उत्तर में देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत ध्यान से माननीय श्री अमर सिंह जी का उद्बोधन सुन रहा था और प्रारम्भ में उन्होंने देश के प्रसिद्ध कवि निराला जी की पंक्तियों का उल्लेख किया, उससे कौन असहमत होगा। लेकिन, एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय श्री अमर सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि:

कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्कामों के साथ,
लीडर को बहुत रंज है, मगर आराम के साथ।

किसानों की आत्महत्या की घटनाएँ पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी हैं, जिन्हें रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने समय-समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं और मैं कह सकता हूं कि केन्द्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने, डा॰ मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस की अध्यक्षा तथा यूपीए॰ की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयत्नों से जो किसान न मालूम कितने वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था, दिनोंदिन उसका कर्जा बढ़ता जाता था, किसान की हैसियत कम होती जाती थी, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण की माफी की गई। 60,000 करोड़ रुपए के ऋण की माफी का यह कदम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिस कदम की देश में जगह-जगह किसानों ने सराहना की है और उस सराहना के पीछे यह भी कारण था कि किसानों की ऋण माफी का यह मामला, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जून, 2008 तक हम उसे पूरा कर लेंगे। उपसभापति जी, मैंने प्रधान मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया, वित्त मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया कि देश में ऐसे बहुत से किसान शेष रह गए, जो इस दायरे में नहीं आते, उन्हें आज इस दायरे में लाने की आवश्यकता है। 60,000 करोड़ रुपए से यह राशि कुछ और करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ जाए, तो उन किसानों को लाभ हो सकता है, जिन किसानों ने अपने कर्ज़ की अदायगी ईमानदारी से कर दी है, उनका तो कोई दोष नहीं था। आज देश के कई प्रदेशों में इस प्रकार की स्थिति है। हमने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि इस पर भी वे विचार करें। अभी श्री अमर सिंह जी ने 2 हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि सरकार उस ओर ध्यान देगी। माननीय कृषि मंत्री जी ने वह बात जिस संदर्भ में कही थी, वह संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन किसानों को कर्ज़ की माफी के साथ-साथ, बैंकों से पुनः ऋण मिलना चाहिए। अब खरीफ की नयी फसल आने वाली है, जून में आप उनकी ऋण माफी कर देंगे और खरीफ की फसल के लिए किसान को फिर से बैंक के दरवाजे खटखटाने होंगे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बैंकों को इस प्रकार की हिदायत दें कि किसान, जिसके ऋण की माफी हो रही है, अगर उसे खरीफ की फसल के लिए या अन्य फसलों के लिए ऋण की आवश्यकता हो, तो उस ऋण को उसे सुलभ कराया जाए।

उपसभापति जी, मैं एक और स्थिति माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। कोऑपरेटिव बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से जिन किसानों ने ऋण लिया है, वे आज भी कहते हैं कि हम तो इसके लिए बाध्य नहीं हैं, राज्य सरकारों से हमें पूछना होगा। राज्य सरकारों को चाहिए कि जब केंद्र सरकार ने इस प्रकार की नीति बना ली है, तो कोऑपरेटिव बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का कर्ज़ा भी माफ होने की दिशा में हमें विचार करने की आवश्यकता है।

उपसभापति जी, 9 मार्च के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे हुए थे सरकार को धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कि बहुत बड़ा कदम केन्द्र सरकार ने उठाया है और इस कदम की हम सराहना करते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा था, जिसे आने वाले वर्षों में, आने वाली सदियों में हमेशा याद रखा जाएगा कि डा॰ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया।

उपसभापति जी, मैं कृषि मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, गेहूं का आयात नहीं किया जाएगा, जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने इस बात को कहा है कि आयात नहीं होगा, वह सराहनीय है। किसान को जो minimum support price आज मिल रहा है, अगर 6-7 साल पहले के आंकड़े हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि किसानों का इतना minimum support price कभी नहीं मिला। मांग उठ रही है कि minimum support price में और बढ़ोत्तरी हो, मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष में माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि मूल्य आयोग के माध्यम से जो सलाह-मशवरा दिया जाएगा, उस पर अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि यह एक कृषि प्रधान देश है और इसके 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, कृषि उनका एक मुख्य धंधा है, मुख्य काम है। अगर हमारी कृषि ही सही ढंग से नहीं होगी, अगर हमारा उत्पादन कम होता गया, तो क्या स्थिति होगी? मुझे याद है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि उत्पादन में धीरे-धीरे कमी आ रही है। अगर आप दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को देखें,

3.00 P.M.

तो जलवायु के परिवर्तन से, climatic change के कारण, हमारे उत्पादन की क्षमता कम होती जा रही है। उत्पादन कम होने लगा है, यह चिंता का विषय है और चिंता के इस विषय को हमें गंभीरता के साथ देखना होगा। मैं माननीय अमर सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि आज हमारे यहां जो खेती होती है, उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचना होगा कि कृषकों को किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता है, जिससे वे वैज्ञानिक ढंग से भूमि तथा उपलब्ध जल का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। मुझे विश्वास है कि अनेक प्रकार के शोध के अंतर्गत किसानों को रखा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे किसानों को पूरी तरह से दीक्षित करने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में नष्ट होती हुई जीन संपदा की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बस्तर है, आपने सुना होगा कि डॉ॰ रिछारिया देश के माने हुए वैज्ञानिक थे, दुनिया के माने हुए वैज्ञानिक थे और धान के उत्पादन के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी दुनिया में था ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो हमारी ज़ीन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अकेले ही कम से कम पांच सौ प्रकार की ऐसी किस्में आज उपलब्ध हैं कि अगर हमने उनका सही ढंग से उपयोग करना शुरू कर दिया तो वह नुकसान होने से बच जाएगा। हम high yielding variety की बात करते हैं, आज हम खाद का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में, मैं तो केवल मध्य प्रदेश और बस्तर की बात कर रहा हूं, लेकिन हर एक प्रदेश के अंदर इस प्रकार की जो संपदा है, उस संपदा को हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे। जलवायु, कृषि में परिवर्तन, पर्यावरण के प्रभावों का सामना करने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी। माननीय उपसभापति महोदय, संभावना है कि इस वर्ष देश में गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा है और यह वर्षा पर निर्भर करता है कि हम कितना इसके उत्पादन को बढ़ा हुआ देख पाएंगे।

[उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी) पीठासीन हुए]

अभी तक तो हम इस बात को कहते थे कि Food Corporation of India के माध्यम से गेहूं की खरीदी कम हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही माननीय कृषि मंत्री जी के बयान को पढ़ा था, कुछ हफ्ते पहले ही मंडियों में जो कुल गेहूं आता था वह करीब 133 लाख या 135 लाख मीट्रिक टन का रहा होगा और Food Corporation of India ने शायद इस दिन तक जो खरीद की है, जो उन्होंने purchase की है, वह करीब 120 लाख मीट्रिक टन की खरीद की होगी। मुझे याद है कि जब आपने *minimum support price* 750 रुपए की थी तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने 850 रुपए या 900 रुपए की दर से किसानों के पास जाकर उनसे गेहूं की खरीद की थी, लेकिन ऐसी नौबत इस बार न आने पाए। ये मल्टीनेशनल कंपनियां किसका फायदा करती हैं, किसान का फायदा कहां होता है? किसान का फायदा हो रहा होता तो ये क्रिसानों के बारे में सोचते। आज मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे वह आटा बनाने के नाम पर और बिस्कुट बनाने के नाम पर, गेहूं की खरीद कर रही हैं। आज तो लोगों को गेहूं की आवश्यकता है और गेहूं का उत्पादन चूंकि बढ़ रहा है, इस वर्ष गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने की संभावना है। मैं समझता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी ने शायद कहा था कि इस वर्ष लगभग 760 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होगा, संभावना इस बात की हो सकती है कि इसमें कुछ टन और बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन यह रिकॉर्ड उत्पादन है। हम पिछले कई वर्षों से इस बात को कहते आए हैं कि हमारे उत्पादन में कमी आ रही है, लेकिन जो हमारे कृषि के वैज्ञानिक हैं, जो शोध संस्थानों में काम करने वाले हमारे अनुसंधानकर्त्ता हैं, उनके प्रयत्नों से और हमारा अपना विभाग, कृषि मंत्रालय ने भी इस दिशा में काफी परिश्रम किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अभी हमने काफी दूर रखा है, क्योंकि पिछले वर्ष काफी हाहाकार मचा था कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने काफी गेहूं पंजाब से खरीदा था। मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब ने इस बार दरियादिली दिखाई है। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम नब्बे लाख मीट्रिक टन गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देंगे। हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है कि हरियाणा ने 99 प्रतिशत गेहूं जो मंडियों में आया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने बेचा, तो दो प्रदेश ऐसे हैं। अच्छा होता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में गुजरात इत्यादि भी शामिल हो सकते हैं कि वहां के शासकों को इस बात का एहसास होता कि जब हमारे अन्य प्रदेश आज देश की आवश्यकतानुसार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अपना अनाज दे रहे हैं, अपना गेहूं दे रहे हैं, तो क्या कारण है—उत्तर प्रदेश में इस बार सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हुआ है। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़े प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी, जितनी आबादी को उन्हें खाद्यान्न पहुंचाना है, उतनी आबादी का तो कम से कम वे एकत्र करें, लेकिन हो नहीं रहा है। चिट्ठियों के माध्यम से, तस्करियों के माध्यम से, मैंने ध्यान आकर्षित किया था, शायद

माननीय कृषि मंत्री जी को याद होगा कि ट्रकों और वैगनों से हिंदुस्तान से बाहर अनाज गया था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। आज उन प्रदेशों को, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य प्रदेश हों, उन्हें अपनी उगाही, मंडी में जो गेहूं, धान आता है, गेहूं को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम दें।

महोदय, महंगाई की बात बहुत कही गई। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, हम सहमत हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई को कम करने की दिशा में डा॰ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कदम उठाए, कस्टम ड्यूटी में excise ड्यूटी में जहां कमी की, उसके साथ उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में गेहूं और अनाज के भंडार जमाखोरों ने भरकर रखे हैं, उन पर छापे मारे जाने चहिए। कितने प्रदेशों ने साथ दिया? शायद दो-तीन प्रदेशों को छोड़कर बाकी प्रदेशों ने साथ ही नहीं दिया। जमाखोर आज मौज कर रहे हैं। अगर जमाखोरों के यहां हमने छापे मारे...एक मुख्य मंत्री जी चौबीस घंटे का उपवास करने के लिए बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पूरे प्रदेश के हरेक जिले में चौबीस घंटे का उपवास होगा। मैंने कल उनसे कहा, उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, मैंने कहा कि उपवास से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। केंद्र सरकार पर इस बात का जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ए॰पी॰एल॰ का जो कोटा उन प्रदेशों को मिलता था, वह लगभग तीन-चार साल से बंद कर दिया गया। महोदय, दरअसल में वे अपने दिल में झांककर देखें, वे अपने मन में इस बात को पूछें कि उन सरकारों ने तीन वर्षों तक अनाज उठाया ही नहीं। जब अनाज ही नहीं उठाया और जितना उठाया, उसका उस प्रतिशत से आपको आज ए॰पी॰एल में अनाज मिल रहा है, लेकिन दोषरोपण केंद्र सरकार पर लगातार कि केंद्र सरकार हमारे खाद्यान्न में कटौती कर रही है और कटौती करने का एकमात्र कारण यह है। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, सरकारों का सवाल नहीं है, कार्यक्षमता का सवाल है कि उपवास से, चौबीस घंटे के उपवास से कोई काम चलने वाला नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि महंगाई की जो दरें बढ़ी हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि एन॰डी॰ए॰ के शासनकाल में यदि देखें कि आज किसान को डीजल की आवश्यकता अपनी खेती और किसानी के लिए होती है। कितनी बार उसकी मूल्य वृद्धि हुई? मेरे अपने आंकड़ों के अनुसार 46 बार मूल्य वृद्धि हुई। 287.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1996 में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, डीजल का दाम प्रति लीटर 9 रुपए 22 पैसे था। एनडीए के शासनकाल की समाप्ति के बाद 2004 में वह बढ़कर 26 रुपए 51 पैसे हो गया। हम जानते थे कि इंटरनेशनल मर्किट में, अंतराष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है, उसके कारण यह हो सकता है। हमने हंगामा नहीं किया। हमने सरकार को आगाह जरूर किया कि वह इस दिशा में कुछ कदम उठाए। महोदय, सबसे कमजोर व्यक्ति मिट्टी के तेल का उपयोग करता है। जब इनकी सरकार बनी, उस वक्त देश में 2 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर मिट्टी का तेल बिकता था। 2004 में जब इनकी सरकार गयी, उस वक्त 9 रुपए 80 पैसे तक उसका दाम पहुंचा दिया। यह मूल्य वृद्धि 380 प्रतिशत की रही। बहुत सी मूल्य वृद्धियां हुईं। आज मूल्य वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है। केवल राजनैतिक रंग में रंगकर, हर मामले को राजनीति का पुट देकर अगर हम इस बात को कहें कि हमारे देश में बहुत कमी है। यह कमी पूरी हो सकती है लेकिन उस कमी को पूरा भी तो हमें इस देश में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत करना होगा। महोदय, संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार फसल कटने के बाद हर साल 55,600 करोड़ रुपए की उपज बर्बाद हो जाती है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 55,600 करोड़ रुपए की उपज फसल कटने के बाद बर्बाद हो जाती है। इसके मुताबिक हर साल 10 प्रतिशत अनाज, 15 प्रतिशत दालें और तीस प्रतिशत फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। यदि हमें खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अनाज और दालों की कमी को रोकना है तो इस बर्बादी को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरी हरित क्रांति के लिए संकल्प व्यक्त किया है। जब पहली हरित क्रांति हुई तो उस हरित क्रांति का लाभ देश को मिला। गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति से कृषि उत्पादन कई गुणा बढ़ा, धान का उत्पादन बढ़ा और धान लगाने के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे खाद्यान्न का उत्पादन काफी बढ़ा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को देखें कि किसान को अपनी फसल को पैदा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे सिंचाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए। किसान को खाद मिलनी चाहिए, उसे बीज मिलना चाहिए, उसको कृषि के लिए दूसरे उपकरण मिलने चाहिए। केन्द्र सरकार ने इसकी सारी व्यवस्था की है। लेकिन बिचौलियों और जमाखोरों के माध्यम से आज किसान अपने आपको लुटा हुआ पाता है, पिटा हुआ पाता है और आज वह अपने आपको घटकन की स्थिति में देखता है। मैं इस बात के लिए कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को आपने बढ़ाया। पहले यह स्कीम केवल रबी और खरीफ की फसलों तक

सीमित थी लेकिन आज क्लाइमेटिक ज़ोन का जिक्र करके जहां ओलावृष्टि होती है, जहां पानी की मात्रा कम है, जहां क्लाइमेटिक ज़ोन में बंटा हुआ है,वहां के लोगों को भी क्रॉप इंश्योरैंस स्कीम का लाभ मिलेगा। किसानों द्वारा गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय अमर सिंह जी ने कहा कि किसान को वहां अपने गन्ने की फसल को जलाना पड़ रहा है। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आपने किया होगा। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की क्या दशा है? आपने उस दिन कहा कि करीब 393 करोड़ रुपया उन पर बकाया है। मुझे याद है कि मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया था और मैंने इस बात की हिदायत दी थी—उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश को राज्यपाल की हैसियत से देख रहा था—मैंने कहा था कि किसानों के गन्ने का मूल्य एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं मिलेगा तो उस मिल मालिक की सम्पत्ति को हम जब्त कर सकते हैं। एक ऐसा मौका आया कि लगभग सभी लोगों को मिलता रहा। आज सरकार किसी भी पार्टी की हो...। गन्ना किसान आज भी उसी प्रकार भटक रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल की बात तो मुझे कुछ अधिक नहीं कहनी, क्योंकि अमर सिंह जी बहुत कुछ कह कर चले गए हैं। अब किसान को अपना गन्ना नहीं जलाना पड़े, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य का भुगतान होता जाए और इस स्थिति से निबटने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि यह कार्यक्रम असफल रहा है। माननीय अमर सिंह जी ने कहां से ढूंढ निकाला उसे। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को जानबूझ कर असफल करने की कोशिश कर रही हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इसमें सख्ती के साथ उन राज्य सरकारों से पूछे, उन्हें बुलाकर कहें। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बड़ी योजना पर 16 हजार करोड़ रुपए की धनराशि अब तक खर्च हो चुकी है, कितने लाख दिवस लोगों को काम मिल चुका है। एक परिवार में एक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार है, मांग तो यह हो रही है कि सौ दिन से उसे बढ़ाया जाए। अगर राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में उसे ईमानदारी से सौ दिन लागू करती हैं तो लागू करने का लाभ मिलेगा तथा हमारी बेरोजगारी की स्थिति में कुछ गिरावट होगी। और उस किसान को लगेगा कि खेती किसानी करने के बाद जब उसको अवसर मिलता है, वह जब निठल्ला हो जाता है, तो वह सोचता है मेरे पास कुछ काम नहीं है, मुझे क्या करना है। तो उसे काम मिल सकता है और इस योजना का उसको सही ढंग से लाभ मिल सकता है। योजना का दुरुपयोग भी किस तरह से हो रहा है? जहां लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वहीं कुछ सरकारें इस योजना में जो धनराशि दी जाती है, उससे दवाइयां खरीदती हैं, अनेक प्रकार की चीजों को खरीदती हैं। उन सब बातों पर रोक लगाने की आवश्यकता है, इसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। माननीय अमर सिंह जी अभी हैं नहीं, उन्होंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में बहुत धांधली है। उसे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में क्या मिलना चाहिए? उसे मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, उसे गेहूं मिलना चाहिए, उसको चावल मिलना चाहिए। मैं एक रिपोर्ट को आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है, जिसमें एक तहसील संडीला है। तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों में भिन्न श्रेणियों के राशन कार्डों पर निगाह डालकर देखा गया। विकास खंड धारावान के आलमपुर ग्राम पंचायत की गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली फूलमती का कार्ड देखा गया। उसके कार्ड पर वर्ष 2007 में एक भी माह में किसी भी सामान का वितरण अंकित नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में 2007 में एक भी सामान उसके पास नहीं गया तो कहां गया मिट्टी का तेल, कहां गया गेहूं और कहां गई शक्कर। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को आज बहुत चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की बात कही है। अनेक जिलों में अनेक प्रदेशों के अंदर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में जो सस्ते मूल्य की दुकानें हैं, वहां पर जाकर आप देखें कि उनसे कार्ड ले लिया जाता है और कार्ड लेने के बाद कह दिया जाता है कि अच्छा, हम आपको बाद में दे देंगे। वह भटकता रहता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। आज काला बाजार में मिट्टी का तेल न मालूम किस भाव में बिकता है। उस गरीब व्यक्ति को जिसका अधिकार है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में जिन्हें आज राशन के अंदर अनाज मिलना चाहिए, उसे प्राप्त करने का पूरा अधिकार है उसको। अपने अधिकारों से वह पूरी तरह से वंचित रह जाता है और वंचित रहने के बाद में...(व्यवधान)

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): क्या आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में गड़बड़ी होती है।...(व्यवधान)

श्री मोती लाल वोरा: मैंने केवल एक उदाहरण हरदोई का बताया। मैंने किसी सरकार को चाहे वह मायावती जी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो और चाहे हमारी हो, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में हमें पूरी तरह से

पारदर्शिता करनी होगी, आप चौंकिए मत, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में आज किसान किस प्रकार मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश को देखा है, मुझे मालूम है। मैं आपसे इस मामले में अलग से बात कर सकता हूं। लेकिन आज किसान बदहाली में है।

लेकिन आज किसान कुछ प्रदेशों में बदहाली में है, उसकी दशा सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने देश में भ्रम की स्थिति को समाप्त किया है। आपने कहा कि हम गेहूं आयात कर रहे हैं, आस्ट्रेलिया से गेहूं आ रहा है। वह काफी मंहगी दर पर आया, यह ठीक था, वह मंहगा था, लेकिन देश में लोगों को भूखे तो मरने नहीं दिया जायेगा। प्रजातंत्र में जो सरकार रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह देश में रहने वाले लोगों के खान-पान के बारे में, उनके जीवन-यापन के बारे में पूरी तरह से ध्यान रखे। हमने अनाज इम्पोर्ट किया, लेकिन आज हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें दाल, खाने का तेल अवश्य इम्पोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, मौसम की जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में दालों का उत्पादन बढ़ेगा। हम आत्म निर्भर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आत्म-निर्भरता की सीढ़ी तक पहुंचने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, चाहे हम आस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करें, क्योंकि देश में इसकी आवश्यकता है। अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए।

हमको एक चेतावनी दी गयी थी। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा एक अनुमान लगाया गया था कि शताब्दी के अंत तक भारत को लगभग 22 करोड़ 50 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आने वाले छह वर्षों में प्रति वर्ष हमें 70 लाख टन का उत्पादन करना अनिवार्य हो जायेगा। यह एक चुनौती थी और इस चुनौती का सामना हमने हरित क्रांति से किया, केवल नामों से नहीं किया।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, डा॰ मनमोहन सिंह जी ने जो दूसरी हरित क्रांति की बात कही है, वह इसलिए कही है कि हम उनके कहे अनुसार, देश के किसानों को उनकी सभी सहूलियतों से लैस कर दें। हम किसानों को सभी सहूलियतें दें, ताकि वे हरित क्रांति के इस आहवान को पूरा करने में सफल हों। जब देश का किसान खुश है, किसान की खेती खुश है, तो देश में खुशहाली आती है। अगर बाजार में किसान की उपज की बिक्री बढ़ती है, उसकी किसी चीज़ की खरीददारी होती है, तो हम सोचते हैं कि किसान आज बाजार में निकला है। किसान के माध्यम से लोगों की खरीददारी होती है, भगवान को प्रसाद भी चढ़ता है, वह यात्रा भी करता है। किसान की खुशहाली में ही देश की खुशहाली समाहित है। किसान को खुशहाल देखने के लिए जो कदम केन्द्र की सरकार, डा॰ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उठा रही है, उसकी आलोचना हो सकती है। हम आलोचना करने वालों को रोक नहीं रहे हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार उनका है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार केवल राजनैतिक रोटियों को सैंकने के लिए नहीं होना चाहिए। यथार्थ के स्थल पर, यथार्थ के धरातल पर उतर कर, अगर वह देखें कि देश की आज कैसी स्थिति है और हम उस स्थिति का वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं, देश को भयाक्रांत कर रहे हैं, देश में ऐसी घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं! माननीय कृषि मंत्री जी, आपकी उस घोषणा से एक बात यह हुई कि हमें गेहूं का आयात नहीं करना होगा। देश में खाद्यान्न का भंडार पर्याप्त है और जमाखोरों के हौसले पस्त हो गये हैं। उन जमाखोरों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, क्यों उड़ रही हैं, छापा कौन मारेगा, कौन बुराई मोल लेगा! राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि राज्य सरकारें शक्ति के साथ में अपने-अपने प्रदेश में, जमाखोरों के ठिकानों पर छापे मारे, वहां तेल निकला, वहां चावल निकला, गेहूं निकला, शक्कर निकली और विभिन्न प्रकार की दालें निकली हैं। कोई ऐसा करके देखे, तो सही, केवल यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उचित नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से जिन प्रयासों को किया है, मैं समझता हूं कि उनसे आने वाले दिनों में हम विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, हम अपने देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हरित क्रांति तभी सफल हो सकती है, जब हम अपने देश के किसानों को सारी सुविधाओं से मजबूत करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को आपके कहे बिना ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यह कृषि प्रधान देश है। किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा, यह बात आदरणीय वोरा जी ने कही है। देश का सबसे गरीब व्यक्ति खेत पर काम कर रहा है और गरीबी यहां है, पिछड़ापन यहां है। यदि हम देश में खाद्य सुरक्षा देना चाहते हैं, तो हमें कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो कृषि पर अधिक

ध्यान देना चाहिए। यदि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कृषि भारत के जीवन की रेखा है, यह आज से नहीं, सदियों से है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो महात्मा गांधी जी ने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि गांव और खेत आबाद होगा, तो भारत आबाद होगा। राष्ट्रीय कवि 'सोहन लाल' गीत गाते थे—है सच्चा हिंदोस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में। आज कृषि की क्या स्थिति है। आज हमारे कृषक परेशान हैं, वे अपना खेत छोड़ना चाहते हैं। आज खेती की उपज कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। आज यहां तक हालत हो गई है कि किसान आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। यह परिस्थिति एकदम पैदा नहीं हुई है। कृषि इतनी महत्वपूर्ण थी। कृषि हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। कृषि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए बहुत बड़ा काम करती थी। कृषि खाद्य सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच थी, इसलिए कृषि पर जितना ध्यान, जितना प्रावधान होना चाहिए था, वह प्रारंभ से नहीं हुआ। इसलिए आज देश कृषि की परिस्थिति के कारण चौराहे पर खड़ा है। मैं दो-तीन आंकड़े रखना चाहता हूं कि कृषि की कितनी उपेक्षा हुई है।

उपसभाध्यक्ष जी, ग्रॉस कैपिटल फोर्मेशन के अंदर कृषि का हिस्सा निरंतर घटता चला गया। कृषि महत्वपूर्ण थी, तो कृषि का हिस्सा बढ़ना चाहिए था, लेकिन कृषि का हिस्सा लगातार घटता गया। सन् 1952-53 में GCF में कृषि का हिस्सा 23 परसेंट था, 1974-75 में घटकर 11 परसेंट रह गया। सन् 2002-03 में घटकर 6.5 परसेंट रह गया और 2006-07 में घटकर 5.8 परसेंट रह गया। इन 27-28 वर्षों में GCF 15 हजार करोड़ से बढ़कर, पांच लाख 55 हजार करोड़ हो गया। हमने कितनी बड़ी गलती की है, जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश कैपिटल फोर्मेशन में हिस्सा होना चाहिए था, उसमें घटते-घटते 23 परसेंट से आज 5.8 परसेंट रहा गया। GDP में भी कृषि का हिस्सा लगातार घटा है। सन् 1950-52 में GDP में कृषि का हिस्सा 58 प्रतिशत थां, 1993-94 में यह घटकर 28 परसेंट रह गया, सन् 2002 और 2003 में 20 परसेंट रह गया और 2007 और 2008 में यह 18 परसेंट रह गया। कृषि की लगातार उपेक्षा होती रही है। आज की कृषि की बदहाली का कारण, कृषि की लगातार उपेक्षा है। इसमें जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। 9जी प्लान में पब्लिक सैक्टर आउट ले 4.9 परसेंट था, लेकिन 10जी प्लान में घटकर 3.9 परसेंट हो गया। पब्लिक इंवेस्टमेंट एग्रिक्लचर के आंकड़े देखकर तो मैं और भी हैरान हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में इंवेस्टमेंट 64 हजार करोड़ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंवेस्टमेंट 52 हजार करोड़ था, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 45 हजार करोड़ रह गया और नवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 42 हजार करोड़ रह गया। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया, लेकिन कितना बढ़ाया? (दसवीं योजना में 67,000 करोड़ था।) छठी योजना में 64,000 करोड़ और दसवीं में 67,000 करोड़। बीस, पच्चीस वर्ष बीत गए, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट 64,000 करोड़ से 67,000 करोड़ हुआ है। 64,000 करोड़ का इनवेस्टमेंट, जो छठी पंचवर्षीय योजना में था, इनफ्लेशन और रुपए की कीमत घटने पर विचार करें तो आज दुगुना होता, तब भी उसके बराबर न होता। पब्लिक इनवेस्टमेंट निरंतर घटता गया और उसका परिणाम था कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुल आर्थिक वृद्धि दर 7.8 परसेंट, परंतु कृषि में केवल 2.5 परसेंट रही। कृषि विस्तार बड़ा महत्वपूर्ण है। यह देश बड़ा भाग्यशाली है। आज इस देश में लगभग 30,000 कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आदरणीय स्वामीनाथन जी यहां बैठे हैं। इन कृषि वैज्ञानिकों का जो काम है, उसे देश नहीं भुला सकता है। लगभग 39 कृषि विश्वविद्यालय, 500 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहां जो शोध हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण शोध कई जगह हो रहा है, हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु वह शोध खेत तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, इसमें बहुत बड़ी कमी है। मुझे स्वयं याद है कि मुख्य मंत्री के रूप में मैं कई बार अपने प्रदेश में ऐसी जगह गया, जहां मुझे वहां के लोगों ने बताया कि हमने यह शोध किया है। मुझे याद आ गया कि जब पिछले साल मैं आया था, तब भी आपने मुझे यह बताया था, अब यह यहां से बाहर निकला कि नहीं? खेत तक गया कि नहीं? नहीं गया। शोध हो रहे हैं, लेकिन वे शोध किसान तक पहुंचे, खेत तक पहुंचे, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है और मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि कृषि विस्तार के लिए 2007-08 में 350 करोड़ रुपए रखे थे। यह बहुत कम है। कृषि विस्तार के लिए और अधिक पैसा होना चाहिए था। पिछले वर्ष आपने 350 करोड़ रुपए रखे थे, कृषि मंत्री जी, मुझे दुख है कि इस बार उसे घटाकर 248 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रावधान को बढ़ाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल चौबीस प्रतिशत किसान हैं जो कृषि विस्तार के कार्यक्रमों का लाभ उठा पाते हैं। यह बहुत बड़ी कमी है, जिसे पूरा करने की जरूरत है। भारत का किसान सदियों से खेती कर रहा है। यह ठीक है कि उसे नए शोध बताए जाएं, उसे और सारी सुविधाएं दी जाएं, उर्वरक

दिए जाएं, बीज दिया जाए तो वह उत्पादन बढ़ाएगा। भारत का किसान परंपरा से खेती करना जानता है। वह कर सकता है, यदि उसे समय पर पानी मिल जाए। सिंचाई में भी हमने बहुत उपेक्षा की है। मैं यह आंकड़ा पढ़कर हैरान हुआ कि 1990 तक अतिरिक्त सिंचाई 3 प्रतिशत प्रति वर्ष होती थी, अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र हर वर्ष 3 प्रतिशत अधिक बढ़ता था, अब यह घटकर 1.5 परसेंट रह गया है। सिंचाई में जितना ध्यान देने की जरूरत थी, जितना प्रारंभ में दिया जाता था, अब उससे आधा रह गया है। इस देश में 63 प्रतिशत धरती वर्षा के सहारे और केवल 36 प्रतिशत धरती है जिस पर सिंचाई होती है। एक और निवेदन ग्लोबल वार्मिंग का करना चाहूंगा। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। मौसम बदल रहे हैं, मौसम मनमौजी हो रहे हैं, इसलिए भी सिंचाई पहले से ज्यादा और आवश्यक हो गई है। इस देश में 142 मिलियन हेक्टेयर जोत भूमि है, जिस पर खेती होती है और 142 में से 85 मिलियन हेक्टेयर बिना सिंचाई के हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी बनाई। धन बहुत कम रखा है। केवल 368 करोड़ रुपए रखे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं बधाई दूंगा कि आपने इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्स फाइनेंस कार्पोरेशन बनाया है। मैं यह निवेदन करूँगा कि यदि सिंचाई का प्रबन्ध हो जाए, खेत तक पानी मिल जाए, तो भारत के किसान को यदि और कुछ न भी मिले, तो भी वह खेती कर सकता है, उपज बढ़ा सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। भारत में जहाँ-जहाँ सिंचाई नहीं होती, वहाँ वर्षा होती है। वर्षा जल प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सारी योजनाएँ देखी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वर्षा की एक-एक बूंद को पकड़ कर, सँभाल कर रखने के लिए एक नया कोई विशेष कार्यक्रम बनना चाहिए। जहाँ पर वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था हुई है, वहाँ खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध भी हुआ है, वहाँ पर धरती का जल स्तर भी ऊपर हुआ है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ वर्षा बहुत होती है, लेकिन पानी बह कर चला जाता है, हम उसको सँभाल कर नहीं रख पाते। सरकार रेनफेड एरिया अथॉरिटी के अन्दर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ले और उसमें पंचायतों को involve करे, पंचायतों को प्रोत्साहित करे कि जो पंचायतें अपनी पंचायत में वर्षा जल की एक-एक बूंद सँभालने के लिए तालाब तथा अन्य व्यवस्थाएँ करती हैं, उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन्द्र भारतवर्ष में बहुत वर्षा देते हैं, लेकिन हम वर्षा के जल को सँभाल कर नहीं रखते। सिंचाई बहुत आवश्यक है। उसकी उपेक्षा हुई है। उस पर धन का प्रावधान बहुत कम है। यदि सिंचाई पर हम अधिक ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ कि कृषि की हालत अच्छी हो सकती है।

महोदय, किसान की हालत ठीक करने के लिए इस बार के बजट में आपने उधार माफी का बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है। यह कितना कारगर होगा, मैं कह नहीं सकता। आपने किसान के बारे में सोचा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, लेकिन उसमें कुछ सवाल हैं। वास्तविकता यह है कि केवल 58 प्रतिशत किसान बैंकों से उधार लेते हैं। 42 प्रतिशत किसानों ने साहूकारों से उधार लिया है। ये वे किसान हैं, जो गरीब हैं। ये 42 प्रतिशत किसान, जिन्होंने साहूकारों से उधार लिया है, इनका क्या होगा। इनके उधार तो माफ नहीं होंगे। मैं एक एक्सपर्ट ग्रुप एस्टीमेट 2003 की रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने कहा कि उस वर्ष में non-institutional channels से 48 हजार करोड़ रुपया किसानों ने उधार लिया, जिसमें 18 हजार करोड़ रुपए पर ब्याज 30 प्रतिशत था। अब 42 प्रतिशत छोटे किसान, जिन्होंने साहूकारों से उधार लिया है, पता नहीं 25 प्रतिशत पर लिया है 30 प्रतिशत पर लिया है, उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। तो ऋण माफी का फायदा किसको होगा? मैं स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, पूरी बात नहीं है, रेफरेंस है कि शायद सरकार की ओर से कहीं कहा गया है कि जिन किसानों ने साहूकारों से उधार लिया है, वह उधार चुकाने के लिए उनको बैंकों से उधार दिया जाएगा। लेकिन आपने शर्त तो यह लगाई है कि 31.12.2007 तक जिसका overdue हो गया और 29.02.2008 तक जो उधार नहीं दिए गए, वही माफ होंगे। अब इस शर्त के मुताबिक ये 42 प्रतिशत किसान, जो साहूकारों से पैसा लेते हैं, वे तो उसमें आते ही नहीं हैं। अगर वे आ भी जाएँ, तो कहा यह है कि उनको साहूकारों का उधार चुकाने के लिए बैंकों से उधार मिलेगा। माफ होगा, यह नहीं कहा, तो केवल उनका साहूकार बदलेगा और कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने प्रयत्न किया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सचमुच जो छोटा किसान, जो बैंक तक भी जा नहीं पाया, जिसने साहूकार से उधार लिया, अगर उसको कोई लाभ नहीं होगा, तो इस योजना का लाभ सच्चे अर्थों में उन किसानों तक नहीं होगा।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। क्या यही तरीका चलता रहेगा कि हम कृषि की उपेक्षा करेंगे, प्रथम प्राथमिकता नहीं देंगे, उसमें investment नहीं करेंगे, किसान उधार लेगा, उधार में तड़पेगा, परेशान हो जाएगा, खुदकशी करने लगेगा और फिर किसी एक बजट में हम उधार माफी की बात करके वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे। यह कोई इलाज नहीं है। आज अगर उधार माफी की बात की गई है तो मैं इसे पाप का प्रायश्चित कहता हूं। यह

गलती तो हमारी ही है, यह देश की गलती है। हमने कृषि पर पूरा ध्यान नहीं दिया, इस तरह हमने ही किसान को मजबूर किया और परिणाम यह हुआ कि किसान उधारों में तड़पा। अब अगर हम उधार माफी पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अपराध है। यह तो पाप का प्रायश्चित है, यह इलाज नहीं है। कृषि के बारे में नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। ऐसी स्थिति आए कि किसान उधार ले, प्रयोग करे और फिर स्वयं उधार चुकाए। उसे उधार माफी की आवश्यकता ही न पड़े।

उपसभाध्यक्ष जी, देश बदल रहा है, इसके साथ नीतियां भी बदल रही हैं। आर्थिक सुधार या उदारीकरण, ये सब बातें ठीक हैं, होनी चाहिए, लेकिन कहां और कितनी होनी चाहिए, इसका विचार भी जरूर करें। क्या निजी क्षेत्र या मल्टीनेशनल्स को सब जगह आने की इजाजत देना जरूरी है? इस पर विचार होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के में या रिटेल के क्षेत्र में उन्हें कितना आने देना है और कितना नहीं आने देना है, इस पर विचार करें।

मुझे याद है कि जब एनडीए की सरकार थी, उस समय रिकॉर्ड भंडार थे। उस समय 640 लाख टन से भी अधिक भंडार थे। तब समस्या यह थी कि अनाज रखें कहां। फूड मिनिस्टर होने के नाते मुझसे प्रदेशों के मुख्य मंत्री लड़ा करते थे कि आप हमारे स्टोर से अनाज उठवाइए, क्योंकि हमने नई प्रोक्योरमेंट करनी है। उस समय भंडार भरे पड़े थे, जिसका लाभ देश को हुआ और कुछ नई योजनाएं शुरु हुई। उस समय एक अंत्योदय अन्न योजना शुरु हुई, जो गरीबों के लिए दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उस योजना को आज भी जारी रखा है। जब बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के अन्दर, गरीब को दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल मिलता है, तो वह राहत की सांस लेता है। मैं बधाई देता हूं कि वह योजना आज भी चल रही है, लेकिन कृषि मंत्री जी, आपसे गिला भी करता हूं कि आपने इसमें मात्रा कम कर दी है। शायद 35 किलो से घटा कर इसे 20 किलो कर दिया गया है। यह नहीं होना चाहिए। यह सबसे गरीब तबका है, जो दो वक्त की सूखी रोटी भी जुटा नहीं पाता। बचत का हथौड़ा इस गरीब के पेट पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि अंत्योदय अन्न योजना में आपने जो मात्रा कम की है, उसे बढ़ाइए और उस मात्रा को पूरा करिए। बचत आप कहीं और से करिए, दूसरी जगह बचत की जा सकती है, लेकिन यहां तो मात्रा को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही और भी गरीबों को इस योजना में लेने की जरूरत है।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। फल एवं सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया। मैं फलों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, मुझे हिमाचल प्रदेश एवं कुछ और पहाड़ी प्रदेशों के बारे में मालूम है कि वहां पर बहुत सा फल, करीब 25%-30% फल बाजार में लाने योग्य नहीं होता। प्रोसेसिंग न होने के कारण वह वहीं नष्ट हो जाता है। उस फल का उपयोग ठीक ढंग से हो सके, एवं वहां प्रोसेसिंग और बाकी सारी सुविधाएं दी जा सकें, इसके लिए एक सुझाव हिमाचल प्रदेश की तरफ से कई बार दिया गया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री 8000 से 10,000 करोड़ रुपये की है। कृषि मंत्री जी, क्या यह नहीं हो सकता कि हर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 25% फलों का रस मिलाना अनिवार्य कर दिया जाए। इस पर आप जरूर विचार करें। यदि यह किया जा सके, तो 25% फल, जिसमें जूस है और जो नष्ट हो जाता है, उस किसान के दरवाजे पर बड़ी-बड़ी कंपनियां जा कर उसका फल खरीद लेंगी। ऐसा करने से पेय पदार्थ भी पौष्टिक होंगे और उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ेगी। यदि यह नहीं हो सकता, तो फलों के रस का उपयोग अधिक से अधिक कैसे हो, उस पर और क्या सुविधाएं दी जा सकें, सरकार इस पर विचार करे, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। अन्न सुरक्षा, कृषि और जनसंख्या वृद्धि, इन तीनों का आपस में गहरा रिश्ता है। खाद्य सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको बनाए रखने के लिए देश को सब कुछ करना चाहिए। मैं आकड़े देख रहा था कि 1990 तक अनाज की पैदावार में प्रतिवर्ष 2.5% की औसत वृद्धि हुई और जनसंख्या में 2.1% की वृद्धि हुई । अनाज की वृद्धि अधिक और जनसंख्या की वृद्धि कम होने के कारण आत्मनिर्भरता आई। हरितक्रांति में शायद यह भी एक कारण बना। लेकिन 1990 से 2007 में अन्न का उत्पादन तो 1.2% बढ़ा, किन्तु जनसंख्या 1.9% बढ़ी। इन 25 सालों में कृषि का उत्पादन औसतन 2 से 3 प्रतिशत बढ़ा, कुछ प्रदेशों में यह केवल एक प्रतिशत ही बढ़ा, लेकिन जनसंख्या 45 करोड़ बढ़ गई। यह 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत नाजुक है। मैं यह समझता हूं कि खाद्य सुरक्षा के लिए इस पर भी देश को विचार करना चाहिए। क्या जनसंख्या-वृद्धि पर कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं हो सकती? क्या राष्ट्रीय सहमति से कोई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नहीं

बन सकती? यदि प्रतिवर्ष दो करोड़ लोग और आने वाले हैं और अन्न का उत्पादन घटने वाला है, तो अन्न-सुरक्षा का क्या होगा? इसलिए मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस पर इनिशिएटिव लें। वह सभी दलों को बुला कर बैठें और विचार करें कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या कोई राष्ट्रीय सहमति हो सकती है । इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने 4 हजार 8 सौ करोड़ रुपए से नेशनल फूड सेक्योरिटी मिशन शुरु किया है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने 25 हजार करोड़ रुपए से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरु की है। इन कामों के लिए हम आपको बधाई देंगे। इनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए।

महोदय, आत्महत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आदरणीय प्रकाश जी ने अभी विदर्भ की चर्चा की। मैं पढ़ रहा था कि विदर्भ में 1 जुलाई को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 3,750 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद 30 नवम्बर तक 12 सौ किसानों ने आत्महत्या की। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आंध्र, कर्णाटक, महाराष्ट्र और केरल में 6-7 सालों में 8900 किसानों ने आत्महत्या की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ रहा था कि 10 सालों में लगभग डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बहुत गम्भीर बात है। देश का सिर झुकना चाहिए। सरकार को तो विशेष क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। देश का किसान, अन्नदाता, आत्महत्या करने पर विवश हो रहा है।

महोदय, मुझे आज से लगभग 75 साल पहले के हिन्दी के एक लेखक मुंशी प्रेमचंद की याद आ रही है। उन्होंने इसी समस्या पर "गोदान" नाम से एक उपन्यास लिखा था। होरी नाम का एक किसान उधार लेता है। वह उसे चुका नहीं पाता। ब्याज देते-देते उसकी जिन्दगी खत्म हो जाती है। आखिर में, जब वह मरने लगता है, तो उसकी पत्नी धनिया यह सोचती है कि अगर इसका गोदान नही करवाया, तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। गोदान कहां से कराया जाए? घर में तो पैसा नहीं था, तो वह फिर से उधार लेती है। वह उधार लेकर गोदान करवाती है। होरी मर जाता है। उस समय का होरी तो गोदान के बाद मरा, लेकिन आज का किसान होरी बिना गोदान के मर रहा है। वह मरता नही है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। यह कोई छोटा सवाल नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि के बारे में कुछ आमूलचूल और नई सोच करनी होगी।

महोदय, हमारा देश अमीर हुआ। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत विश्व के 12 सबसे अमीर देशों में है। इसकी GDP बढ़ी है और ऐश्वर्य बढ़ा है। कोई यह नहीं कहता कि देश ने विकास नहीं किया। हम भी यह नहीं कहते। देश के अन्दर बहुत विकास हुआ, लेकिन हुआ क्या? सामाजिक न्याय नहीं हुआ। हुआ क्या? समान बंटवारा नहीं हुआ। कुछ लोगों को बहुत-कुछ मिल गया, कुछ को थोड़ा-थोड़ा मिला और कुछ के हिस्से में कुछ नहीं आया। गरीब और अमीर की विषमता बढ़ रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। किसान को एक नया सम्मान देने की जरूरत है। आज तो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बजट में कुछ धन का प्रावधान कर के अगर संतोष करेंगे, तो आप गलती करेंगे। कृषि चौराहे पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान खेत छोड़ना चाह रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रख कर कृषि के सम्बन्ध में विशेष नयी क्रांतिकारी योजना बनाएं। उसमें प्रावधान बढ़ाना होगा, अन्य स्थानों से प्रावधान बढ़ाना होगा। कृषि पर निवेश होगा तो गरीबी दूर होगी, कृषि पर निवेश होगा तो गांव आबाद होगा, कृषि पर निवेश होगा तो मूल्य स्थिर होंगे, क्योंकि कृषि-उत्पाद के मूल्य बाकी सभी मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि के संबंध में नई सोच सरकार लाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Now, Prof. Swaminathan.

DR. BIMAL JALAN (Nominated): With your permission, if Mr. Swaminathan would yield for a minute, I would like to put a poser to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Do you want to speak before him?

DR. BIMAL JALAN: No. Sir, I would like to pose a question to him, to which he can respond.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): No, let him speak first. Prof. Swaminathan.

PROF. M.S. SWAMINATHAN (Nominated): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. First of all, this morning, we saluted our space scientists for making our nation proud, for their enormous contributions and, above all, for demonstrating that in our counry if we adopt a mission approach, or, in other words, if all links in a chain are attended to carefully and methodically, then we can succeed. We are proud not only of their achievements but also of what they have shown about how to organise successful programmes.

I would like to say this afternoon that we should also salute our farm women and men. I have now been working in agriculture for 64 years, 1944-onwards, I have seen in every part of our country, the very serious constrains under which our farm women and men work. I use the word farm women and men, particularly, because many times, farmer means only a man, but 70 per cent of the work is done by the women in the field. If you look at the difficulties under which they work—I am sure, the hon. Agriculture Minister will shortly be mentioning what kinds of achievements we have had in agriculture this year you will really wonder at the greatness and the hardship under which they work. I therefore, say in our House here, although it is now a very depleted House, we must salute our farm women and men of our country. They are really the saviours of our country.

The second point I want to make is, as the custodian of the well-being of the farmers' interests, I would like to congratulate our Minister also. This year, thanks again to our capability in meteorology and space science, the early forecast shows that the coming south-west monsoon may be a regular one. We hope, it will be a regular one. But, what is the purpose of the forecast? To be forewarned is forearmed; if you know that you are going to have a fairly regular monsoon; that it is time we prepare what I call a good weather code and plan how to optimise the benefits of good rainfall and, of course, we must also be prepared to minimise the impact of adverse monsoon. Nationally, this coming agricultural year starting in June, in the year 2008-09, we require accelerated agricultural progress. There is an opportunity, there is a national compulsion. There is also an international compulsion because all indications are that the world food prices are not going to go down; in fact, they may go up if China and India go in a large scale to the international market. Therefore, this unique year 2008-09 is a sort of a watershed year in our country and we must make the maximum use.

What do I mean by a good weather code? It means how do you maximise the benefits of a good weather by attending to all the links with which I started, starting with the soil, soil healthcare, water harvesting and water management, credit and insurance, technology and inputs, and, above all, pricing and marketing. One thing we should take care, over 60 per cent of our area is rain-fed. Therefore, these are areas which will benefit most from a good monsoon. What are the crops of these areas — millet, jowar, bajra, and also a large number of pulses, oilseeds, and so on. We have allowed a zero import duty on many of these crops like pulses and oilseeds. What I will request the hon. Agriculture Minister is to watch the market because many times the imports come just at times when our harvests are there. And these are very poor people. Although Support Prices are announced for a large number of crops, it is only in wheat and rice that it is really operational. In all other cases, when you go

to the interiors where you have dry farming or barren area, you find farmers sell because they do not have holding capacity. The moment they harvest others have to sell because they have no method of keeping it because warehousing, godowns, and so on are yet to come in a big way. Therefore, my request is this. Good weather code should be implemented from end-to-end, from the soil to the market. The third point is that there is a very good opportunity this year to launch, what I call, bridging the yield gap movement. If you look at all the scientific data, in almost all our crops there is a very big gap. Normally, you say China is producing so much and India is producing so much. But I am not talking about irrigated crop, even other crops, rain-fed crops, whether it is jowar, whether it is bajra, whether it is pulses or whether it is oilseeds, almost 50 per cent more, 50 to 100 per cent more, is the yield gap. The bridging the yield gap movement is an exceedingly important one, and this year we should try our very best. Now that several crores of farmers will be relieved from the debt trap, it is all the more important that we enable them. In other words, relieving the debt is only one step in the process. The more important step is how to get them one feet in terms of agriculture. Very many areas, today, I have earlier also said in the House, like Jharkhand, where there are enormous areas which are single crop land. There is 1400 mm of rainfall, as the hon. Member said, and there is a National Rain-fed Area Authority now. These all should be geared up now, how do you make a single crop land into a double crop land. Part of the naxalite problem will also stop because an idle mind is a devil's workshop. There are a large number of people who are idle in these areas. The next point, today, and I think for the foreseeable future our food security system, particularly, the PDS, which is going to depend very heavily on Punjab and Haryana and Western U.P. We call this the heartland of the Green Revolution. They are the only sheet anchors of our PDS System. This year also because they are producing more and giving more. Now, this area is in deep distress. The water table is going down. In fact, the very districts which are the most important agriculturally Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Patiala. In all these areas, the water table has gone very deep and it is still going very deep. This is why in this area Conservation Farming should be launched, in a big way, during coming South-West Monsoon period. If you look at the US Farm Bill, the largest amount of money goes to conservation farming because if farm ecology and farm economics go wrong, nothing else will go right in agriculture. And, therefore, I plead with the Agriculture Minister, with the help of the Punjab Government and the Haryana Government, to launch a groundwater recharge movement this year; a large movement for recharging their groundwater. There are many methods, I would not take time now. But this is exceedingly important because if this region starts deteriorating and farmers out of frustration sell their land for other purposes, non-agricultural purposes, we will become ever dependent on import for our food security. Therefore, it is in national interest to safeguard this particular heartland and nurture it. My next point, Sir, is this whole question of mismatch between production and post harvest technology. It is enormous. Several hon. Members have already mentioned about the post harvest losses in our country. Even today, the paddy is dried on the road. Road and roof are the most important areas for drying. I think it is important that we launch a large post-harvest technology, the lab to land programme, which will take all modern methods. Now recently in Kuttanad in Kerala, very good rice crop was damaged because there was not enough method of harvesting, storing and drying. So, I think, we can ill afford to make our farmers face 21st century agriculture with practically no support in service at all. No support services, our infrastructure, the post harvest infrastructure is very poor. I again request that we must make a large lab-to-land programme in post harvest technology.

303/RS—16

Lastly, Sir, a question was raised by Shri Amar Singhji about genetically modified crops and also he mentioned about the National Commission recommendation. Genetic modification is one process of what we call the evolution of genetics. What is important is no technology is good or bad. It is the same as with atomic energy, you can make a bomb and you can also make energy. A knife can kill a person or cut a fruit. The technology itself is neither good nor bad. What is important is the use of the technology, it must be in our country, pro-small farmer technology, pro-nature, pro-poor and pro-woman technology. Take one example, BT cotton is one of the factors in the farmers' suicides in Vidharbha; high cost, I would say not merely BT cotton, but high cost agriculture. There are now excellent varieties with the ICAR, same BT genes in varieties. The advantage with the variety is that the farmers can keep their own seeds. They don't have to go to the company every year. For a hybrid, a farmer has to go to the company. Our Plant Variety Protection and Farmers' Rights Act assures the power to the farmers to keep their own seeds and therefore, I would again request the President of the ICAR that ICAR should concentrate on pro-small farmer bio-technology and also take on areas like salinity tolerance, drought tolerance, flood tolerance and also pests and diseases and so on. Also, finally, a task force, which I chaired and which presented our report four years ago to the hon. Agriculture Minister, recommended a very credible National Bio-Technology Regulatory Authority, which will weigh the risks and benefits in a very transparent manner so that it has a high political, professional, public and media credibility. I think, it is high time we have some structures. Otherwise, there is a lot of confusion, people have to go to court every time, get some stops, some suggestions are made and therefore, my plea would be that you don't throw away the baby with the bath water. Technologies can be made use of, technologies can be abused but what we need is a method by which abuse can be prevented. I am happy that Shri Shanta Kumarji referred to the Sixth Five Year Plan and also the allocations made. That was the only Plan where the agricultural growth rate was higher than the economic growth rate. I say it with some pride because I was involved in that process in the Sixth Five Year Plan is developing the agricultural strategy. But, let me summarise in one word: In farming, we say, you reap as you sow. You could have put enough resources, at that time nearly five million hectares of additional area, under irrigation every year; that was the provision. If you look at the Sixth Five Year Plan, twelve per cent of the total Budget went to irrigation alone. Therefore, I think, it is important in this country; those of us who are here are discussing the fate of 70 per cent of our people, the largest chunk of our people and also the other 30 per who depend upon them for their food. this is a very, very serious situation and global situation is serious. National situation could be serious because we are also — fortunately thanks to enlightened policies — increasing consumption in the country. For example, NREGA will increase consumption for those who are poor. But, then, our food security must be based on homegrown food, not imported food. We may import occasionally but agriculture is the mainstay of the livelihood security of the majority of our population.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Dr. Jalan, have you any clarification?

DR. BIMAL JALAN: I wanted to take some view from him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Vijayaraghavan's name is there. Anyway, do you want some clarification from him.

DR. BIMAL JALAN: No, Sir, given his iconic stature and also the great contribution that he has made to agriculture, so with your permission I just wanted to mention an issue and

4.00 P.M.

get a reaction to it in one mintue. This is about farmers' suicide. I was just wondering whether we can formulate — he is an expert and I am not — an automatic graded scheme for providing relief to farmers because the whole point is, that you get suicides either because of droughts or floods or something happens which is an objective factor. Now, it is not a forecast, it is an actuality. Suppose if you had a rainfall in districts which is, say, less than 30 per cent of the average of the previous three years or four years. Then, you have a graded scheme for giving automatic relief instantaneously to the farmers without having to wait for anybody to formulate a scheme or to go there and find out what is happening. It is this Sir, if it is two hectares and below — these are just examples — you could give a relief both for principle and interest. Waive them.

If it is between 2 hectares and 5 hectares, you could grade it and say that we will reschedule the principal and let off or completely waive off the interest and if it is more than 5 hectares, then you would reschedule both interest and principal. So, the idea is, in a graded/automatic scheme, for relief of farmers, when the event, which is causing suicide, is entirely known and is going to happen and is relating to rain or flood or drought, to have instantaneous relief. So, I want his particular reaction. This is just a theoretical question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Swaminathan, do you want to reply? Actually, this is not the procedure. But, any way, if you want to react, you can do so.

PROF. M.S. SWAMINATHAN: Sir, I do not want to take too much of your time. I had already taken your time.

I think the question and the solution also suggested by Dr. Jalan. It is an important one. If there is a problem, there is a solution. That is what I found in my life. Therefore, if there are occasional suicides, there may be many reasons. But, if it is related to farm economics and because of acute economic distress, then, I think, we can solve it. One of the solutions he has given. But, I would suggest that the House should devote sometime—one day—because we must make the era of farmers suicides history and that should be our commitment.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Already, some of the hon. Members and experts in agriculture expressed their view-point with regard to the present situation in agriculture in our country. Sir, we are all unanimous on one factor that this country is passing through a very serious agrarian crisis since Independence. There were so many *ad hoc* measures from the Central Government. There is a need for policy 'U' turn towareds the interest of the poor farmers and the agriculture workers who constitute 76 per cent of the farming community in our country. Sir, the situation is very serious. We are discussing that the country has lost its food security. Since the introduction of liberalisation in the country, the downslide has started. Our concern was about the poor farmers. We are concerned as to what would be the impact of the liberalised policies on the farmers. A country where 70 per cent of people are making their liveli-hood from agriculture, have you ever though what would be the impact of liberalisation policies on agriculture? There was a conspiracy to destroy the food security of this countrv where 120 crore people or 1.2 billion population need a basic minimum food security. All these Associations—ASSOCHAM, FICCI, CII, etc., which are attached to corporate world, are the patrons against the food security of this country. They even called the Memebrs of

Parliament in the Parliament House Annexe, after the WTO meeting at Doha, and said that there was no need for food security in the country. That was the direction. In the last 15 years this country has been moving towards that direction. Now, we have reached a point. We are now in a situation where we are not even getting foodgrains from abroad. We became the culprits. The allegation is against India, because there is a demand from India and, as a result, the international prices are going up. The poor peasant in the country became a culprit! He is being accused by others. Sir, this kind of a situation is prevailing in this country. The previous Government and the present Government are responsible for the present situation in the country. You are responsible. Even now, in this Budget, there is no concrete proposal to avoid this crisis or find a solution to this crisis. Sir, the Government have always set a very good target— 4 per cent increase in agriculture. There is always a good target. But, the question is: Have we ever reached that target? I don't know why you are making such an ambitious target. We have not achieved, this target of 4 per cent even a single year, in the last five years. Leave alone 4 per cent, we have not achieved 3 per cent or 2 per cent. With regard to foodgrains our growth has, now, reduced to 0.92 per cent. When the globalised economy was started, we had, in this House, discussed about the food safety. At that point of time, the foodgrain growth was 1.9 per cent, whereas the increase in population was 2.1 per cent. Now, from 1.9 per cent per annum increase, it has reduced to 0.92 per cent. That is the seriousness of the problem. Whenever a need arises, there would be no foodgrains in the granaries. Hon. Member, Shri Shanta Kumar, told that at that point of time there were 64 million tonnes of foodgrains in the FCI godowns. Now, even the minimum bufferstock is not there in the FCI godowns. So, the situation is very alarming. But, unfortunately, the Government is not at all serious in the matter. Here, the most important thing is the need for investment. What is the reason for this failure? The reason for the failure is the lack of public investment in agriculture. That is the main reason for this failure. During the last 10-15 years, the public investment in agriculture has declined very sharply. Now, it is just 5.9 per cent of GDP. And, there lies the weakness. So, because of this, there is a sharp fall in the production and productivity. Unless you are able to improve the productivity and production, how can you solve this problem? The other day, we discussed about the price rise. The prices of foodgrains are increasing; the prices of pulses are increasing; the prices of edible oils are increasing. The average price of one kilogram dal whether it is green peas, whether it is *sambar dal,* whether it is *moong* dal, whatever *dal* it is—is Rs. 50/- The average income of an agriculture worker is less than Rs. 50/- per day So, he would get only one kilogram *dal* for his one day's income. That is the kind of situation in the country. But the Government is sleeping over the issue. It is all because of your policies. This is because of the adverse impact of the cut in the subsidy in the food production. The input cost is increasing day-by-day. Fifteen years ago, the per acre input cost of cotton was Rs. 2500. Now, it is Rs. 13,000/-. So, there is 500 per cent increase in the input cost. There is a wide gap between the input cost and the price of a product. There is a wide gap between the input cost and the income of the farmers. So, for the poor farmers, the agriculture became a loss-making enterprise. Seventy per cent of the farmers are poor. So, every year they have been getting into the debt trap. Now, after 10-15 year, they are forced to sell their land. That is the most serious crisis in the agricultural sector. Have you ever tried to address this problem? Every year, 3.5 million farmers are selling their land and becoming landless. That is the creation of the on-going agrarian policy in our country. The Central Government is not at all serious about this problem of the farmers. He is selling his livelihood; he is selling whatever little land he has. He is migrating to the cities and becoming an industrial labour. In such a situation, what relief are you giving to these people? Unfortunately, the

Government is not at all serious about the problem. And, because of the lack of investment, our productivity is hit like anything. We are not able to address the problem of acute price rise. If I come and meet the hon. Minister of Agriculture with regard to problems of farmers, or, the productivity, or, lack of foodgrains, there will be no proper answer. That is the difficulty. Sir, there was a failure in production. Last year itself, that is, during 2007-08, the target for production of wheat was 75.5 million tonnes, but the achievement was 74.81 million tonnes. In case of cereals, it was 37.50 million tonnes and the production achieved was 36.09 million tonnes only. So, this is the situation. The target was there, but we were not able to achieve this production. The country's average production growth rate was 3.62 during the period 1984-85 to 1995-96. Now, in 2004-05, it has been reduced to 0.92 per cent. This is the situation.

Then, Sir, we have to think about the debt problem faced by the poor farmer. Here also, now the Government has announced a good programme for waiver of the agricultural loan. I would like to congratulate the Government for this programme, But, Sir, will this relief actually go to the poor farmer? This is the question. We are all aware that around half of the farmers are taking loans from moneylenders. Waiver of institutional loans means, only the rich farmer will get benefit of this programme. Now, you have announcd the programme. You have kept a ceiling of 2 1/2 hectares for farmers. In Vidharbha, a farmer with 7 or 8 or 10 hectares of land is called a poor farmer. He will not get the benefit. Vidharbha is a place where we are facing acute problem. But the farmer, in that particular locality, will not get the benefit. The farmer in Western Maharashtra will get the benefit. The rich farmer will get the benefit, but the poor farmer will not get the benefit. How do you solve this problem? Some concrete steps are to be taken to solve this problem. In Kerala, we have set up a separate Commission called the Agricultural Debt Relief Commission. This particular Commission has been appointed and it will go through the details of different kinds of loans, whether institutional loans or non-institutional loans, whether loans taken from moneylenders or from some other sources. This particular Commission will go through the details of the loans taken by the farmers and will give an advice. On the basis of that advice, the Government will be in a position to help the poor and debt-ridden farmer. Under this Scheme, only those farmers who take loans from the nationalised banks or cooperative banks will get relief. My humble request is that the Government should come forward with a concrete proposal. It should not use the traditional methods. I do not know how you are going to implement it, My humble request is that the advice of organisations like the Agriculture Debt Relief Commission, formed by the Government, should also be taken note of. Their recommendations should be considered for providing debt relief to the farmers. Since in Kerala we have a specific Commission. I request you to coordinate with that Commission for this Debt Relief Programme.

Sir, farmers are in a debt trap. This point should also be taken note of. In Karnataka, around 64 per cent of the farmers are in crisis. In Kerala, 62 per cent of the farmers are facing this loan problem. In Andhra Pradesh, 84 per cent of the farmers are facing this loan problem. This is the condition. So, a viable programme should be started to help a large number of farmers who are living in distressed condition in these areas.

Then, Sir, there is an issue of subsidies. Here also, Sir, the difficulty is there because in the present situation, our farmers have to compete with the rich and corporate farmers living in the Western countries. This point should also be taken note of How are you going to formulate your policy on agriculture without considering this aspect? Our farmers have to

compete with the farmers who are getting higher subsidies in the Western countries. For example, the U.S. gives a subsidy of $ 4.7 billion to its cotton growers' having a crop value of $ 3.9 billion. That is the situation. Their subsidy is more than the input. So, naturally, they are in a position to compete. They are in an advantageous position in the world market in the field of agriculture. Sir, in the Western countries, the multinational companies are getting a subsidy of three dollars per cow per day. That is the thing. Sir, this is the situation. The dream of a poor Indian farmer is to get a re-birth in US as a cow so that we would get double wage. This is the situation. ...*(Interruptions)*...

So, there is highly subsidised farming from outside, and here whatever investment is coming, it is coming only from the poor farmers. The poor farmer has to bear the expenditure. So, through you, Sir, I request the Government to seriously think of the situation and come out with some concrete proposals in order to help the poor farmers in our country.

Similarly, Sir, we announce many programmes in our Budgets but unfortunately, we do not implement them properly. We are not able to do that. Just see, Sir, how many Committee are there which we have appointed so far. The National Commission on Farmers, the National Development Council's Sub-Committee on Agriculture, the Eleventh Plan Working Groups, Rangarajan Committee on Financial Inclusion and Radhakrishnan Committee on Agriculture Indebtedness are among them. There are half a dozen committees. Only committees are there, but there are no concerte proposals.

Similarly, Sir, when we come to Budget proposals and their implementation, the situation is no different. The National Food Security Mission have a moderate plan to increase the production of rice by 10 million tonnes, wheat by 10 million tonnes and pulses by 2 million tonnes in the Eleventh Five Year Plan. But, Sir, what is the allotment? Sir, there is no proper allotment; only objective is there. Then, Sir, kindly go through the allotment. You go through the situation. The Budget allocations in most of the sectors do not match with the proposals. ...*(Time-bell)*... Sir, I will take just two-three minutes more. In the case of crop science, during 2007-08, the actual Budget allocation was just Rs. 100 crores against the proposal of Rs. 341.05 crores. Similarly, Sir, for the same thing, for 2008-09, against the proposal of Rs. 410.93 crores, the allocation is only Rs. 315 crores, i.e., Rs. 96 crores less. For agricultural engineering, in 2008-09, the allocation is Rs. 42 crore which is just 36 per cent of the proposal of Rs. 115.93 crore. For animal science, against the proposal of Rs. 149.52 crore for 2007-08, only Rs. 80 crores were sanctioned and for 2008-09, only Rs. 90 crores have been allocated against the proposal of Rs. 288.92 crore. For the agricultural extension sector, against the proposal of Rs. 538.17 crore, only Rs. 301 crore have been allocated for 2008-09. So, you see, Sir, the real allocation is very, very less as compared to the announcements.

Similarly, Sir, the experience of *Rashtriya Krishi Vikas Yojana* is also to be taken note of. It is a very important programme for the next Five Year Plan. Now, see, Sir, what is the experience of the first year of the programme? For this Programme, the Central Government has envisaged an outlay of Rs. 25,000 crore for the Eleventh Five Year Plan. That means, on an average, per year, Rs. 5000 crore was to be allocated for this Programme. The main objective of the Plan is to give incentives to the farmers. Now, that is not at all there. So, Sir, the experience of the first year of the Programme is highly disappointing. The outlay was only Rs. 1063 crores and the amount released to the States is only Rs. 984.59 crores. So, against a target of Rs. 5000, this is the allotment. Sir, just see the approach adopted by the Government towards this Programme. A very callous approach has been adopted towards this very important Programme. There are only announcements but there is no

implementation. There is no allotment from the Budget, and, at the Revised Estimate stage, it is further reducing. This is the problem.

Sir, another area of concern is the milk production. I do not want to go into more details. Sir, I would like to say only one thing here. There is an alarming situation. This year, we were forced to ban the export of milk powder. There is no good quality feed available. There should be a proper programme for feed and fodder. It should be linked with the self-help groups. That would be more helpful to the milk farmers. Then, there is this big problem of Avian Flu which occurred recently in West Bengal. Sir, in the recent outbreak of Bird Flu, West Bengal alone suffered a loss of Rs. 1500 crores. It is adversely affecting the poor. Government should take proper and effective safeguards so that such a situation could be avoided in future.

Talking of fishermen, they are in acute distress. Our production of marine products has been coming down. There should be an appropriate programme for enhancing it. At present the situation is a very difficult one. You must help them with free ration and other facilities.

Sir, with regard to Kerala, I have a request to make to the hon. Minister. Kerala is a State where we have an acute shortage of food grains. It is a State that has the advantage of producing cash crops on a large scale. Of course, for coconut there are some programmes. I think whatever announcements have been made with regard to cocounut plantations should be implemented by the Government. With regard to Kuttanadu special package, I would like to say that it would help in increasing the food production in the State, but the Government has to give an assurance that it will be implemented. Similarly, for a State which has a lower production of food grains, a special package must be announced. Sir, we met the hon. Agriculture Minister. He told us that doing that is very difficult as there is no production in our State. Our problem is that we produce cash crops. This earns good foreign currency for the country. Since times immemorial, Kerala has had food shortage. So, my humble request to the hon. Minister is that the Government should announce a special package for increasing food grains production in Kerala and grain allotment for Kerala. The Government has to come forward with some proposal. The Government must, considering the serious situation and the plight of the poor farmers in the country, think of a change in the policy. The policy that you have been pursuing has not helped in resolving the problems of agricultural workers and poor peasants of the country. Also, you must effectively implement the NREGP for improving productivity in agriculture. You have to change the present policy and whatever policy you are announcing must be implemented.

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य प्रो॰ स्वामीनाथन जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश की 70 फीसदी आबादी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वह 70 फीसदी आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र की हालत क्या है, इसके बारे में हमारे जिन वक्ताओं ने पहले कहा है, वह अलग-अलग आंकड़ों के जरिए, वह 70 फीसदी आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है, यह आंकड़ों के सहारे सदस्यों ने बताया।

अभी माननीय शान्ता कुमार जी बोल रहे थे, इन्होंने बताया कि टाइम्स आफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब डेढ़ लाख किसानों ने इस देश में आत्म-हत्या की है। मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार कैसे दावा करती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, भारत उभरेगा। आज ही के अखबार में हमने पढ़ा कि जो Forbes नाम की पत्रिका, जो लिस्ट बनाती है दुनिया के धनी लोगों की, उस लिस्ट में और दो-चार भारतीयों के नाम शामिल होने वाले हैं। मेरे जैसे आदमी को यह लगता है कि जिस देश में 70 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र का डेढ़ लाख आदमी आत्म-हत्या करता है। यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। मुझे आश्चर्य है कि यह

सरकार किस तरह से, आर्थिक तरक्की के और आर्थिक विकास के नाम पर अपनी पीट थपथपाती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण है कि जिस क्षेत्र में 70 फीसदी आबादी इस देश की निर्भर करती है, उस क्षेत्र के प्रति यह जो सरकारों का दृष्टिकोण है, वह ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि गांव और खेती, गांव और कृषि कभी भी इस देश के विकास का एजेंडा नहीं रही है। आजादी के बाद इस देश ने जो विकास का रास्ता अख्तियार किया, उस समय से ही यह हालत है। हमें याद है, जब देश आजाद होने वाला था, 1946 में महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने यह कहा था कि देश आजाद होने वाला है। आजादी के बाद देश की कैसी तस्वीर होगी और हम आजादी के बाद विकास का कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए। इस देश के विकास के बारे में जो उनकी दृष्टि थी, गांव के रास्ते देश को विकसित करने का, उसके बारे में उन्होंने पत्र में लिखा था।

महोदय, वह हिन्दी में लिखा गया पत्र था। गांधी जी ने बहुत इंतजार किया, जब उस पत्र का जवाब नहीं आया, तो उन्होंने अपने हिन्दी वाले पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर फिर से पंडित जी को पत्र लिखा। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि जवाहर, वह पत्र मैंने हिन्दी में लिखा था, इसलिए तुम्हें जवाब देने में परेशानी हुई होगी, तुम्हारी सुविधा के लिए मैं उस पत्र का अंग्रजी अनुवाद भेज रहा हूं। पंडित जी ने गांधी जी के पत्र का जो जवाब दिया, उसी पत्र से यह तय हो गया था कि आजादी के बाद, माननीय स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि 70 फीसदी आबादी जिस क्षेत्र में रहती है, उसका भविष्य क्या होगा, वह उसी चिट्ठी में तय हो गया। पंडित जी ने जवाब दिया कि बापू आप जिस गांव की बात करते हैं, वह बहुत ही रूढ़ीवादी है, अंधविश्वासी है, बहुत गंदा है, गांव के रास्ते देश का विकास नहीं हो सकता है। यदि आपको विकास देखना है, तो आप यूरोप के लोगों को देखिए। यदि आपको विकास देखना है, तो आप रूस में देखिए, जहां पर योजना बनाकर बड़े-बड़े शहरों के माध्यम से विकास हो रहा है, बड़े-बड़े कलकारखानों के माध्यम से विकास हो रहा है। हमारे देश की आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र के बारे में जो सरकारों की दृष्टि है, उसके आंकड़े बता रहे हैं। यह सही है कि आजादी के बाद खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, हमारे देश की हालत बहुत खराब थी और गरीब लोगों को खिलाने के लिए हमें बाहर के देशों के सामने, अमेरिका के सामने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथ पसारना पड़ता था। हरित क्रांति के नाम पर देश में जो खेती का विकास हुआ, वह भी अद्भुत हुआ। हमने अपनी पूरी खेती की व्यवस्था को, कृषि टेक्नॉलाजी को आयातित किया। जो हमारी परंपरागत खेती थी, उसका विकास कैसे होगा, उसकी उन्नति करके, हम देश में खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, इस पर देश ने कभी नहीं सोचा और इस पर कभी काम नहीं किया। जब हमारे यहां फोर्ड फाउंडेशन के बीज आए, जब हम छोटे थे और हरित क्रांति चल रही थी, उस समय हम सुनते थे कि फोर्ड फाउंडेशन का बीज आया है। वह बीज सिर्फ बीज नहीं आया, वह अपने साथ एक टेक्नॉलोजी, एक पूरी व्यवस्था लेकर आया। हमने बचपन में अपने गांव में जो खेती की व्यवस्था देखी थी, वह सारी व्यवस्था बदल गई। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा। खेती को कीड़े, मकोड़ों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर दवाईयों का इस्तेमाल शुरू हुआ। हम बचपन में अपने खेतों में जो रंग-बिरंगी तितलियां पकड़ते थे, आज वे तितलियां गांवों से गायब हो गई हैं। गांवों के खेतों में जो केंचुए चलते थे, वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाते थे, आज वे सारे के सारे खत्म हो गए हैं। यही नहीं, मैं बिहार के जिस इलाके से आता हूं, वह इलाका गंगा के किनारे का है। उस इलाके में जिन फसलों का उत्पादन होता था, अब उन फसलों का वह उत्पादन भी बंद हो गया है। वहां पर सिर्फ गेहूं और चावल का ही उत्पादन होने लगा है। हमारे यहां पर जो मोटे अनाज पैदा होते थे टांगुन, मसुरिया और कोदो आदि उनका उत्पादन बंद हो गया है। बाद में हमने डाइटिशियन की रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें यह बताया गया था जो मोटे अनाज पैदा होते थे, जिनसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो अलग-अलग तत्व मिलते थे, अब वे मोटे अनाज भी खत्म हो गए हैं और यह देश चावल, गेहूं पर निर्भर हो गया है। पिछले साल राजस्थान में बारिश आई थी, उससे पहले राजस्थान में लगातार अकाल पड़ता था और राजस्थान के लोग अपने पशुओं के साथ अपनी जान बचाकर, वहां से भाग रहे थे। उस समय मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, राजस्थान जो मोटा अनाज पैदा करता था, वह अनाज कम पानी में पैदा होता था और उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी थी, उसका उत्पादन राजस्थान ने छोड़ दिया है। आज उसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। यह हालत सिर्फ राजस्थान की नहीं है, यह पूरे देश की हालत है। अभी स्वामीनाथन जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश.....। ये हमारे देश के अन्न भंडार हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। इन्होंने चिंता जाहिर की कि वाटर लेबल नीचे जा रहा है। एक जगह नीचे नहीं जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि पंजाब; हरियाणा या पश्चिमी

उत्तर प्रदेश में खेती का उत्पादन स्टेग्नेंट हो गया है, saturation point पर हम लोग पहुंच गए हैं। जो खबरें मिलती हैं, उसके आधार पर यह लगता है कि भूगर्भ का पानी भी contaminated हो गया है। जिस तरह से वहां केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका प्रभाव हो रहा है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो वर्जिन इलाके हैं, जहां खेती में उत्पादन की क्षमता है, उसका पूरा एक्सप्लॉएटेशन नहीं हुआ है। उन इलाकों की तरफ माननीय कृषि मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। उन इलाकों में छत्तीसगढ़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल के इलाके है। ये वे इलाके हैं, जहां हम खेती की पूरी संभावना का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इन इलाकों में क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जो नई सरकार बनी है, हमारे मुख्य मंत्री पिछले दिनों दिल्ली आए थे, उन्होंने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की थी और 6000 करोड़ रुपए का खेती का एक रोड मैप बनाकर पेश किया था। अभी बिहार में जो खेतिहर हैं, अच्छे किसान हैं, हमने उन किसानों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया है। ''किसान श्री'', ''किसान भूषण'' आदि पुरस्कार देकर उनको सम्मानित करते हैं। ऐसे सारे किसानों की एक बैठक पटना में बुलाई गई थी, यह दस घंटे तक चली थी, मुख्य मंत्री दस घंटे तक उस बैठक में उपस्थित रहे। उसमें खेती के बारे में एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए जो योजना बनी है, उस योजना में भारत सरकार की मदद के लिए मुख्यमंत्री यहां आए थे। हमें यकीन है, हमने वह रोड मैप देखा है, अगर भारत सरकार सहयोग करती है तो बिहार में खेती के उत्पादन को दुगुना और तिगुना किया जा सकता है, उस इलाके की इस तरह की उर्वर भूमि है। सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और बंगाल को भी उसमें जोड़ना चाहिए। हमारे साथी श्री विजय राघवन जी अभी बोल रहे थे, उन्होंने ठीक कहा कि ''यू'' टर्न लेने की जरूरत है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सत्तर प्रतिशत आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर है, उस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा हो रही है। यह दिखाई दे रहा है कि खेती का उत्पादन घट रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है। प्राइज राइज हो रहा है। जो सर्वे होता है, उस सर्वे में बताया जाता है कि अधिकांश किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं। सरकार उस क्षेत्र को जिस ढंग से निग्लेक्ट कर रही है, उसका मूल कारण यही है कि खेती के प्रति उपेक्षा है। विजयराघवन जी मार्क्सवादी पार्टी से आते हैं, हम यह कहना चाहेंगे कि जो पूंजीवादी विचार हैं और मार्क्सवादी विचार हैं, दोनों में गांव और किसान को पिछड़ा माना जाता है। इसलिए जब-जब राज करने का मौका आता है-पूंजीवादी देशों में सफलता की निशानी यह मानी जाती है कि वहां तीन प्रतिशत लोग खेती में हैं, चार प्रतिशत लोग खेती में हैं। यही माना जाता है कि पूंजीवादी का विकास हुआ और मार्क्सवाद में कहा गया है कि किसान तो अंधविश्वासी होता है, किसान क्रांति विरोधी होता है, इसलिए इस देश में किसी को चिंता नहीं रही, इस देश में एकमात्र आदमी था-महात्मा गांधी। हमारे संविधान में हमने इससे पहले भी कहा था...(व्यवधान)...

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): श्री राम मनोहर लोहिया भी थे।

श्री शिवानन्द तिवारी: गांधीवादी धारा को आगे बढ़ाने के काम में डा॰ राम मनोहर लोहिया ने भी योगदान दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Tiwari, the time allotted to you is over. Please, conclude.

श्री शिवानन्द तिवारी: हम यह कह रहे थे कि हमारे देश में जो संविधान बना है, उस संविधान में देश के विकास के लिए जो रास्ता बताया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जरिए, उसके विरुद्ध यह सरकार काम कर रही है। खेती की नीति, मजदूर नीति, अर्थ नीति सब में संविधान हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि इस ढंग से हमें विकास का रास्ता चुनना चाहिए। अगर हम उस रास्ते को चुनेंगे तो हमें लगता है कि खेती की समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं दिखता है। माननीय कृषि मंत्री बहुत अच्छे जानकार हैं। कृषि के लिए इन्होंने जो किया है, उसे देखने से लगता है कि ये 66,000 करोड़ रुपए खेती में लगाने जा रहे हैं। यह छठी पंचवर्षीय योजना में 62,000 करोड़ था, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में जो मूल्य खेती के उपकरण के थे, खाद और बीज के थे, उसके मुकाबले आज जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसमें 66,000 हजार करोड़ रुपए कहां ठहरेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए और विकास की जो नीति है, उसे बदलकर ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो सत्तर प्रतिशत आबादी के बारे में चिंता कर सके और उसी के विकास को देश का विकास माने। इसी के साथ, अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Next speaker is Shri Gandhi Azad. Your allotted time is four minutes. You can take six minutes.

श्री गांधी आजाद: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यहां का किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात, सब सहन करते हुए, स्वयं भूखा रह कर भी देश की जनता के पालन-पोषण के लिए अन्न पैदा करता है। मेरी राय में अगर यहां के किसानों का वर्गीकरण किया जाए, तो उन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस देश में कुछ ऐसे किसान हैं, जिनके पास इतनी जमीन है कि जिसका लेखा-जोखा उनको खुद ही मालूम नहीं है और वे खेती में खुद काम नहीं करते हैं, दूसरों के प्रबन्धन द्वारा खेती की जाती हैं ऐसे लोग शायद जमीन की, भूमि की मिट्टी भी छू लें, तो उनके हाथ में खुजली जरूर हो जाएगी, लेकिन उनके पास खेती सबसे ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं, जिनके पास भी खेत कुछ ज्यादा है, लेकिन उसका प्रबन्धन वे स्वयं करते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं, जिनके पास खेत कम है और वे स्वयं काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी दूसरे लोगों से भी काम करा लेते हैं। चौथी प्रकार के ऐसे लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, लगभग 20-25 प्रतिशत, जो खेती और किसानी का काम अकेले नहीं, पूरे परिवार सहित लग कर करते हैं, लेकिन उनके पास एक इंच जमीन नहीं होती। वे दूसरे के खेतों में काम करते हैं। सरकार द्वारा जो भी योजना बनाई जाती है और जो भी लाभ पहुंचाया जाता है, वह इन तीन कैटेगरी के किसानों को तो जाता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे भूमिहीन किसान, जिनकी संख्या 20-25 प्रतिशत है और जो पूरे परिवार सहित खेती में काम करते हैं, उनके प्रति भी क्या हमारी सरकार कुछ करने की तमन्ना रखती है? ऐसे किसानों की आज सबसे ज्यादा दुर्दशा है। आज मशीनीकरण के कारण एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ा है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। हम अपने देश के वैज्ञानिकों और कृषकों को बधाई देना चाहते हैं कि मशीनीकरण के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी हमको विचार करना चाहिए कि आज मशीनीकरण के कारण कृषि में जुताई का काम, बुवाई का काम, सिंचाई का काम, कटाई का काम, पिसाई और कुटाई का काम, सब मशीनों से किया जा रहा है। जो काम पहले दस मजदूर, दस किसान किया करते थे, आज उसे दो लोग कर रहे हैं और आठ लोग बेकार हो रहे हैं। वे आठ लोग हाथ रहते हुए भी, जाँगर रहते हुए भी उनको उन खेतों में काम नहीं मिल रहा है। बाध्य होकर वे शहरों मे आ रहे हैं और शहरों में भी वही दशा। मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण के कारण उनके हाथ को शहरों में भी काम नहीं मिल रहा है और वे बेकार हो रहे हैं।

हमारे वित्त मंत्री जी ने 60 हजारे करोड़ रुपया किसानों के ऋण अदा करने के लिए दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ऐसे जो 20-25 प्रतिशत किसान, जो भूमिहीन किसान हैं जिनको बैंक भी ऋण नहीं देता, बैंक भी ऋण ऐसे ही लोगों को देता है, जिनके पास बंधक रखने के लिए कुछ-न-कुछ जमीन हो, जायदाद हो, खेती हो, घर हो, लेकिन ऐसे भूमिहीन कृषकों के पास न खेती है, न घर है। ऐसे लोगों को जब बैंक ऋण नहीं देता है, तो वे मजबूर हो कर साहूकारों के चंगुल में चले जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसानों के प्रति भी सरकार का कुछ सोचना है? क्या सरकार उनके लिए भी कुछ करना चाहती है? मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंशी प्रेम चंद जी की एक कहानी है, सवा सेर गेहूं की कहानी, जिससे किसान को जिन्दगी भर छुटकारा नहीं मिला। आज इस सदन और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसे किसानों के प्रति भी सोचने की जरूरत है, जो आज भी उन साहूकारों के चंगुल में फंसे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके विषय में भी सोचने की जरूरत है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वह अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के उचित प्रबंधन के कारण, वहां गरीबी जरूर है, लेकिन भुखमरी नहीं है। हमारे सहयोगी साथी श्री अमर सिंह जी अभी यहां नहीं हैं ....(**व्यवधान**)....

माननीय सदस्य: हम लोग तो हैं। आप की जो भी बात है, हम सुन रहे हैं।

श्री गांधी आजाद: ठीक है, आप लोग हैं, मैं आप लोगों को ही सुनाता हूं। अमर सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना जलाया जा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना जलाया नहीं जाता है, बल्कि गन्ने की दूसरी फसल लेने के लिए खरपतवार को जलाया जाता है। शायद वहीं उनको लग रहा है कि गन्ना जलाया जाता है। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकार द्वारा किसानों का जो गन्ने का मूल्य बकाया था, उसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार एवं हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अदा करने का काम किया है। वहां पर गेहूं, चावल, गन्ना, आलू एवं अन्य सभी फसलों की भरमार है। ...(**व्यवधान**)... उत्तर प्रदेश में इनकी भरमार है। आलू और गन्ना तो इतना ज्यादा पैदा हुआ है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): गांधी आजाद जी, आप असत्य मत बोलिए। भगवान के पास जाना है, इसलिए हाउस में सच-सच बोलिए।

श्री गांधी आजाद: मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, मालूम नहीं अभी वह कहां चले गए हैं, वहां गन्ना और आलू तो इतना पैदा हुआ है कि अगर उनके पास व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश से आलू एवं चीनी खरीद करके, देश के दूसरे प्रदेशों में पहुंचाने का काम करें और इसलिए ...(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Azad, your time is over, Please conclude.

श्री गांधी आजाद: महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज महंगाई जो बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, कमिशनखोरी करते हैं। सरकार द्वारा उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तभी इस महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। भूमिहीन किसानों की समस्याओं के बारे में भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी समस्याओं का निदान करने की भी जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री हरीश रावत (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भारतीय किसान के हक में दो अच्छी बाते हैं, एक तो सरकार में श्री शरद पवार जी जैसे सक्षम मंत्री का होना है, जो उनके हितों की वकालत कर सकते हैं और दूसरा उनके एडवोकेट के रूप में प्रो॰ स्वामीनाथन जी की इस सदन में, इस संसद में मौजूदगी है। मैं समझता हूं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसानों की आवाज, सरकार में और सरकार के बाहर भी, सदन में और पूरे देश में हमेशा मजबूती से उठती रहेगी।

सर, हरित क्रांति के बाद यह दूसरा मौका है, जब किसान हमारी राष्ट्रीय नीति का केन्द्र बिन्दु दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सम्मानित प्रधान मंत्री जी को सम्मानित कृषि मंत्री जी को और यू॰पी॰ए॰ की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सर, input में subsidy की बढ़ोतरी, MSP की समय पर घोषणा और MSP में अभूतपूर्व वृद्धि तथा किसानों को जो आज एक से ज्यादा market option उपलब्ध हैं, उनका सामूहिक परिणाम ही है कि इस वर्ष जो गेहूं की फसल है, वह रिकॉर्ड फसल होने जा रही है। इनको उम्मीद है और कृषि मंत्री जी की इस उम्मीद के साथ सब लोग हैं कि आगे आने वाले समय में जो चावल की, धान की फसल भी होगी, वह बहुत अच्छी होगी।

सर, कर्ज माफी के निर्णय के लिए पूरा यू॰पी॰ए॰ परिवार धन्यवाद का पात्र है। कर्ज माफी के एक पहलू पर बहुत कुछ कहा गया है। मैं उस विषय पर सदन का ज्यादा समय खर्च करना नहीं चाहता हूं। उसका जो सबसे उत्साहजनक पहलू है, वह पहलू यह है कि किसान अपने को फिर से recharged महसूस कर रहा है, electrified महसूस कर रहा है। किसान के अन्दर एक उत्साह पैदा हुआ है। अब इसका किस तरीके से लाभ उठाया जाए, यह दायित्व, यह गुरुत्तर दायित्व माननीय कृषि मंत्री जी के ऊपर आया है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि National Policy for Farmers की घोषणा के साथ कई नए initiative माननीय कृषि मंत्री जी ने, भारत सरकार ने initiate किए हैं। इनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ नए है। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, National Food Security Mission, National Horticulture Mission, Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rain-fed area Development Programmes, Water Resources Finance Corporation की स्थापना, National Agricultural Insurance Scheme, National Project for Cattle and Buffalo Breeding, Live Stock Insurance Scheme, National Bamboo Mission आदि हैं। इसके अलावा भारत निर्माण के अन्दर जो एक बड़ी राशि छोटी सिंचाई पर खर्च की जा रही है, मैं समझता हूं कि उन सब का cumulative effect आने वाले कुछ समय में दिखाई पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी ने जो दूसरी हरित क्रांति की बात कही है, मैं समझता हूं कि उसकी एक मजबूत नींव इन वर्षों में, एक-दो वर्षों के अन्तराल में, पड़ी है और हमारा देश आगे आने वाले समय में उस दिशा में आगे बढ़ेगा।

सर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो technique yield में आ गयी है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसके लिए आज प्रयास करने की जरूरत है। इसमें इस समय जो वातावरण उपलब्ध है, उस वातावरण का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि किसान अभी उत्साहित है। माननीय वोरा जी ने कर्ज माफी के दायरे को बढ़ाने के विषय

में कुछ सुझाव दिए। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके stature का लाभ किसान को भरपूर मिल सकता हैं, यदि वह मजबूती से इसके दायरे को कुछ बढ़ाने के पक्ष में ऐसे आ कर के खड़े हो जाएं। मैं एक तो उस किसान की वकालत करना चाहूंगा, जिस किसान ने ऋण लिया, मगर समय पर उसका भुगतान कर दिया। आज वह किसान, वह criteria के अन्दर है, मगर अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जब पड़ोसी को कुछ लाभ होता है, तो निश्चित तौर पर मन में कोई चीज कचोटती है। मेरा आग्रह है कि ऐसे किसान के लिए भी भारत सरकार को कुछ प्रोत्साहन पैकेज घोषित करनी चाहिए।

दूसरी बात जोत को लेकर है। आपने सिंचित और असिंचित भूमि को तराजू के एक ही पलड़े में रख दिया है। दोनों की कोई तुलना नहीं है। जो असिंचित खेती वाला किसान है, वह अपने को let down फील कर रहा है। मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में, यह जो दो हेक्टेयर का criteria है, उसको बढ़ा कर असिंचित खेती के लिए कम-से-कम 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए।

तीसरा सुझाव यह है, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उस विषय में प्रोफेसर स्वामीनाथन कमेटी ने भी बहुत मजबूती से कहा है तथा यदा-कदा माननीय कृषि मंत्री जी ने भी उसके विषय में कहा है।

वह है जो ब्याज की दर है, जिस दर पर आज किसान को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, यदि वहीं दर बनी रहती है, तो अगले पांच साल में हमें एक और ऋण माफी की योजना के लिए तैयार रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस ब्याज़ दर को घटाकर के चार प्रतिशत के आसपास लाना चाहिए, पहले तो यह दर तीन प्रतिशत होनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चार प्रतिशत होनी चाहिए, इससे किसान को राहत हो, और जैसा अभी हमने ऋण माफ करवाया, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, उसका लाभ दीर्घकाल तक किसान को प्राप्त हो सके, खेती को प्राप्त हो सके, उसके लिए आवश्यक है कि हम ब्याज-दर घटाने के विषय में गंभीरता से चिंतन करें।

महोदय, कृषि उत्पादकता में घटौतरी की बात की जाती है, लेकिन कृषि पर परिव्यय में जो घटौतरी है, चाहे सेंटर सेक्टर में हो, चाहे स्टेट सेक्टर में हो, विशेष तौर पर स्टेट सेक्टर में कृषि एक प्रकार से उपेक्षित है। यह सौभाग्य है कि शरद पवार जैसे स्टेचर का व्यक्ति भारत के कृषि मंत्री है। राज्यों में कृषि मंत्रालय को बहुधा लाइटवेट मंत्रालय समझा जाता है। इस दृष्टिकोण को आज बदलने की आवश्यकता है। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर सोच बननी चाहिए कि आज समय आ गया हैं कि हम विचार करें कि राज्यों के लिए और केन्द्र के लिए जो वार्षिक बजट है, उसमें मापीकरण होना चाहिए कि इतना प्रतिशत कृषि के लिए व्यय होगा। इस समय अधिकांश राज्य, जो केन्द्र पोषित योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाकर के अपनी जिम्मेदारी से बच जा रहे हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि केन्द्र से जो धन मिल रहा है, उस धन के साथ राज्यों के एफर्ट्स भी लागू हों। आपने जो कृषि विकास योजना की बात कही है, उस योजना में आपने ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित करने की नीति रखी है। मैं समझता हूं कि केवल प्रोत्साहन की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कहीं-न-कहीं एनडीसी के माध्यम से मुख्य मंत्रियों की बैठक करके राष्ट्रीय सोच तैयार की जाए, या इसके विषय में कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जा सकता हो, तो उस पर विचार होना चाहिए।

महोदय, वैज्ञानिकों के विषय में, आईसीएआर के रोल के विषय में यहां पर बहुत सारी बातें कही गई। हमारी उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं और उन्होंने समय के साथ चुनौती को स्वीकार भी किया है, लेकिन हमने उनको कितना मजबूत करने का काम किया है? हम कृषि अनुसंधान पर कितना निवेश कर रहे हैं? इसमें लगातार निवेश में घटौतरी हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अमरीका के बराबर निवेश करिए, मगर कहीं चीन के समकक्ष तो आने की कोशिश करिए, वहां तक तो इसे लाने की कोशिश करिए। हमारा किसान भी प्रति हैक्टेयर उतनी यील्ड दे सकता हैं, जितना चीन का किसान दे रहा है, लेकिन बशर्ते हम इसको समकक्ष बीज, पानी, खाद और दूसरे न्यूट्रिएंट्स दे सके। हमारी जो एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी है, उसने लगातार इस प्रश्न को उठाया है, लगातार आग्रह कर रही है, योजना आयोग से आग्रह कर रही है, वित्त मंत्रालय से आग्रह कर रही है कि आप आईसीएआर के बजट में, कृषि अनुसंधान के बजट में एक बड़ी बढ़ौतरी करिए। वन टाइम स्पेशल ग्रांट के रूप में एक हजार करोड़ रुपया देने की संस्तुति, मैं समझता हूं, स्टैंडिंग कमेटी ने एक से अधिक बार की है। मैं नहीं समझ पाता कि आईसीएआर के सहयोग के बिना हम हरित क्रांति के प्रधान मंत्री के नारे को सार्थक कर पाएंगे। कोई जादू की पुड़िया नहीं है, केवल एक्सटेंशन वर्कर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के सहारे यह काम नहीं हो सकता है, हमको इस काम में अपने साइंटिस्ट्स को जोड़ना पड़ेगा।

महोदय, इस संदर्भ में हमारी अपने कार्पोरेट सेक्टर से भी शिकायत है, जो मैं दर्ज करना चाहूंगा कि जो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं, उसका वे लाभ तो लेना चाह रहे हैं, जो एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसका पूरा लाभ वे लेना चाह रहे हैं, जो मार्केट इकोनोमी का प्रभाव है खेती के ऊपर, उसका पूरा लाभ वे लेना चाह रहे हैं, मगर कृषि के अनुसंधान के क्षेत्र में रत्ती भर भी वे खर्च नहीं करना चाहते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी का प्रभाव यदि काम कर जाए और ये जो बड़े-बड़े घराने हैं, वे कृषि क्षेत्र के अनुसंधान में पैसा खर्च करें, तो मैं समझता हूं कि सरकार की कोशिशों में इससे बड़ा भारी सहयोग मिलेगा, उनको प्रोत्साहित करना बड़ा आवश्यक है। सर, यहां पर lab to field की बात कहीं गई, माननीय श्री शान्ता कुमार जी ने उस विषय में कहा और उन्होंने उस विषय में कृषि विज्ञान केन्द्रों का उल्लेख किया। ATMA प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि इन दोनों का एक तरीके से इंटीग्रेशन होना चाहिए। लेकिन, क्या हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र जिस अपेक्षा के साथ या जिस विचार से इनको लागू किया गया था, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम हैं, उस स्थिति में हैं? कुछ सौभाग्यशाली कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, मैं समझता हूं कि एक चौथाई कृषि विज्ञान केन्द्र भी ऐसे नहीं है, जो सक्षम वैज्ञानिकों के हाथ में हैं। अपेक्षा ऐसी की गई थी कि कृषि विज्ञान केन्द्र जिला स्तर पर स्थानीय अनुसंधान के काम को भी अपने हाथ में लेंगे, लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि जो अनुसंधानित ज्ञान है, उसको लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने में हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभावशाली माध्यम नहीं बन पा रहे हैं। स्वयं ICR के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई कृषि विज्ञान केन्द्र ऐसे हैं, जो semi functional हैं, कुछ functional ही नहीं हैं। तो मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए ताकि हर जिले में, बल्कि जिला ही क्यों जो बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, उनमें दो ऐसे केन्द्र होने चाहिए जहां लोगों को, किसान को मिट्टी का, पानी का, बीज का, खाद का, कीटनाशक का परीक्षण करवाने की सुविधाएं हासिल हो सकें। कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, ताकि वे कृषि विज्ञान केन्द्रों को एक सक्षम mini laboratory में बदलने का काम कर सकें, इसके लिए तौर-तरीके निकालने की और रणनीति बनाने की जरूरत है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सारी कृषि खेती का अभी तक का ओरिएंटेशन सिंचित खेती पर है। देश की लगभग 60 प्रतिशत वर्क फोर्स खेती पर निर्भर है और उस 60 प्रतिशत के केवल 15 प्रतिशत सिंचित खेती के साथ है, बाकी वर्क फोर्स का सारे का सारा हिस्सा असिंचित खेती पर निर्भर करता है और असिंचित खेती के लिए आपने इस समय कुछ इनिश्येटिव लिए हैं, जिनमें से आपने Rain-fed Authority की बात कही है। मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि Rain-fed Authority के concept को हमको इस तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि उसको multi dimensional बनाया जा सके, उन क्षेत्रों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया जा सके, जो बहु आयामी स्वरूप है कृषि विकास का उसको Rain-fed Authority के साथ जोड़ा जा सके और उसी एक अथॉरिटी के साथ जो असिंचित खेती वाला किसान एप्रोच करके राहत पाने का, मार्गदर्शन पाने का काम कर सके। क्या हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि जो हमारी असिंचित खेती है, उसका इतने प्रतिशत हिस्सा हम हर वर्ष सिंचित में परिवर्तित करेंगे, कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि उसको सिंचित में परिवर्तित करेंगे? जो अर्धसिंचित है, उसको पूर्ण सिंचित में लाने का काम करेंगे, सर, अभी तक ऐसा है नहीं। जो पैसा भारत निर्माण में खर्च हुआ है, विकास खंडों के या ग्राम सभाओं के माध्यम से खर्च हुआ है, उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। बल्कि, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जितने इनिश्येटिव इन्होंने लिए हैं, उनमें जब self inbuilt monitoring system नहीं होंगे, तक तक मैं नहीं समझता हूं कि पैसे का यह जो इतना बड़ा रेला निकलकर जा रहा है, उस रेले का बहुत बड़ा उपयोग होगा।

सर, अर्धसिंचित क्षेत्र में माननीय शान्ता कुमार जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया Rain Harvesting का। हम इसके साथ गांव को किस तरीके से जोड़ें और गांव में भी माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब तक हम पर्याप्त सब्सिडी नहीं देंगे, यह नहीं होगा। अभी इसके तहत जो योजनाएं उपलब्ध हैं, उनमें हम कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा बीच में बर्बाद हो जाता है। इस कुछ पैसे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 50 प्रतिशत अनुदानित, ऋणमुक्त, ब्याजमुक्त ऋण के रूप में इस योजना को संचालित करना पड़ेगा ताकि जो Rain Harvesting की स्कीम है, वह rain-fed areas के लिए वास्तव में वरदान साबित हो सके मैं यहां पर उस 20 प्रतिशत क्षेत्र के वकालत करना चाहूंगा जिसको हम Indian Himalayas कहते हैं। Indian Himalayas की जो खेती है, जिस क्षेत्र में 11 राज्य हैं, हमारे पश्चिमी बंगाल का भी कुछ हिस्सा, दार्जिलिंग भी उसमें सम्मिलित है, यह सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। इसके लिए जो National Horticulture

5.00 P.M.

Mission launch किया गया, उसमें बहुत थोड़ा पैसा, अगर नॉर्थ-ईस्ट के हिस्से को निकाल दें, तो इस साल इस योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए आप 58 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब 58 करोड़ रुपए से इतने बड़े Indian Himalayas मानवता की धरोहर हैं, ये जैविक मृदा के भंडार हैं, उत्तरी भारत में गंगा का जितना मैदानी क्षेत्र है, आपकी सारी कृषि इस पर निर्भर करती है।

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मेरा अनुरोध यह है कि आप नॉर्थ-ईस्ट को भी इसमें शामिल कीजिए।

श्री हरीश रावत: मैंने नॉर्थ-ईस्ट भी कहा है। जब हम Indian Himalayas की बात करते हैं, तो नॉर्थ-ईस्ट भी उसमें शामिल है, मैं केवल Central Himalayas की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। वहां की खेती के सामने भौतिक बाधाओं की चुनौती है, छोटे-छोटे ऊबड़-खाबड़ खेत हैं, तकनीकें अपनाने के लिए चाहे नॉर्थ-ईस्ट के लोग हों, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लोग हों, वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि ये तकनीकें अपना सकें। आपकी ये नयी प्रौद्योगिकी इतनी मंहगी है कि वे उसको खरीद नहीं सकते, आपके पास समर्पित मशीनरी नहीं है, भू-क्षरण से ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मैं अपने को करेक्ट करना चाहूंगा कि जो National Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in North-East, Sikkim, Jammu & Kashmir & Uttarakhand है, इस पर 96 करोड़ रुपया खर्च होगा। इन क्षेत्रों के आर्थिक कायाकल्प का जो लक्ष्य है, उसके लिए यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

माननीय कृषि मंत्री जी, आपके हाथ में 4 सालों से कृषि मंत्रालय की कमान है, लेकिन हमारी शिकायत पूरे कृषि मंत्रालय से है, पूरे अनुसंधान के स्तर से है। हिमालयन खेती पर, पर्वतीय खेती पर न्यूनतम व्यय किया गया है, उसके अनुसंधान पर न्यूनतम व्यय किया गया है। हमारे यहां पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, वह राष्ट्र की धरोहर हो गया है, हिमालय की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं जा पाता है, वे ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं जा पा रहा है, दूसरे जो अनुसंधान केन्द्र हैं, दूसरे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वे भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ वे कर रहे हैं, हमें उन पर गर्व है, लेकिन उसका परिणाम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। आज भी देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तराखंड के अंदर है, जब कि हमारे पास प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी धरोहर है। हिमालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय है, वह इसी क्षेत्र के अंदर है। सबको जल देने वाला क्षेत्र, गरीबी के अंदर डूबा रहे, यह कैसे हो सकता है? मैंने एक वैज्ञानिक महोदय से पूछा कि अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली में लोग सेब और संतरे की खेती क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इसके बगीचे नष्ट हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दुनिया के अंदर climate change हो रहा है, इसलिए यह हो रहा है। अब climate change का मुकाबला करने के लिए किसान को सक्षम बनाने का काम कौन करेगा, ऐसी पौध कौन तैयार करेगा, जो climate change के अंदर भी उसी तरह की यील्ड दे सके? वहां के बगीचे नष्ट हो जाएं और वहां अनुसंधान के लिए कोई क्षेत्र उपलब्ध न हो, कोई काम उपलब्ध न हो, तो यह चलने वाला नहीं है। इतने वर्षों तक हम उन क्षेत्रों के लिए एक पोर्टेबल ट्रैक्टर तक नहीं बना सके, जिसको ढोकर एक व्यक्ति, अपनी पत्नी के साथ चलकर खेत में ले जा सके, हम ऐसा ट्रैक्टर तक नहीं बना पाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Now, you try to conclude.

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I will conclude within two or three minutes.

हमारे यहां बडुआ पैदा होता है उसकी पौष्टिकता का हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सर, इस तरह की जो स्थितियां हैं, अभी उन्होंने कहा कि वहां का जो फल है, उसका लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो जाता है, उससे ज्यादा नष्ट हो जाता है। सर, जो elementary processing facilities हैं, वे भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने दो सुझाव यहां पर दिए हैं, मैं उन सुझावों के साथ अपने को सम्बद्ध करना चाहूंगा। उन्होंने एक सुझाव तो यह दिया कि सारे जो शीतल पेय हैं, उनमें एक निश्चित मात्रा में फलों के रस को सम्मिलित करने की अनिवार्यता होनी चाहिए और मैं उसके साथ दूसरा सुझाव यह भी जोड़ना चाहता हूं कि दस प्रतिशत alcoholic contents वाले drinks को भी राज्यों के आबकारी क्षेत्र से बाहर लाया जाना चाहिए ताकि जो सड़े हुए फल, आलू आदि दूसरी चीजें

हैं, उनसे ऐसे drinks मार्केट में सरलता से उपलब्ध कर सकें, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वे इस्तेमाल करते हैं। आठ से दस परसेंट alcoholic contents के साथ कोई चीज नशीली नहीं हो जाती है। मान्यवर, आपने यदि ये दो कदम उठा दिए तो इससे किसान अपने को बहुत प्रोत्साहित महसूस करेगा।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर temped foods का एक रिसर्च institute स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र के जो temped foods हैं, जिन conditions में वे पैदा होते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आदि हैं, वह हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से कुछ भिन्न प्रकार की ऊंचाई पर पैदा होते हैं, चीन ने उसका solution निकाला है। उन्होंने अपनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल संग्रहण की योजना बना करके इतनी तरलता पैदा की है कि जो वहां सेब के उत्पादन के स्तर को बनाए रखती है। लेकिन हमारे यहां इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिए हमको अपनी कुछ रिसर्च को ऐसा सुधारना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि हमारे देश के अंदर अभी तो दूसरे ही सामान चीन से आ रहे हैं, आने वाले दिनों में फल आदि भी सब चीन का ही माल यहां की मार्केट में दिखाई देने लगेगा और हमारे किसान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपसे दूसरा आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा जो Indigenous Cattle Breeding Programme है, जिसमें जेनेटिक परिवर्तन के जरिए उनकी नस्ल को सुधारा जाता है, उस प्रोग्राम को बहुत संजीदगी के साथ लागू करने की आवश्यकता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा धन व्यय किया जाना चाहिए। जो धन अभी तक व्यय किया जा रहा है, वह उसके लिए काफी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की सरकार ने रानी-चौड़ा में एक नया कृषि विश्वविद्यालय, जो पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि संबंधी, वहां की तकनीक संबंधी अनुसंधान के काम को करेगा, उसके लिए अनुरोध किया है, इस विषय में केन्द्र सरकार राज्य सरकार की मदद करे। पर्वतीय क्षेत्रों में Cattle Breeding Farms की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में हम बाहर से दुधारू पशु को ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो हमारी उन्नत नस्ल की गायें हैं, Buffaloes आदि हैं, उनका वहां पर पालन करना बड़ा कठिन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां पर जो फल हैं, जो पुष्प हैं, उनके लिए मार्केटिंग इन्टरवेंशन स्कीम को और ज्यादा fruitful बनाए जाने की जरूरत है। अभी तक आप मार्केटिंग इन्टरवेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जो पैसा देते हैं, उसकी मात्रा और बढ़ाई जानी चाहिए। यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पचास परसेंट से ज्यादा शेयर दे तो इन क्षेत्रों को बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए, बेमौसमी पुष्पों के उत्पादन के लिए और फलों के उत्पादन के लिए एक बड़े क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है।...(**व्यवधान**)...।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude.

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I am concluding. सर, हम मानव जनसंख्या में तो दुनिया में नंबर वन हैं ही, और पशु संख्या में भी दुनिया में नंबर वन हैं। दुनिया के buffaloes का 60 प्रतिशत, टोटल cattle population का 20 प्रतिशत सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक क्षेत्र, 61 मिलियन sheeps हमारे पास हैं। 124 मिलियन के बरीब goats हैं, 13 मिलियन pigs हैं, 8000 किलोमीटर की coastal line है और inland water के विषय में तो क्या कहा जाए, इसके बारे में तो यहां की नदियां शस्य श्यामला हैं, लेकिन उसके बाद भी पशु धन के विकास में जो हमारा ग्रोथ रेट है, जिस एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को आप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में चार प्रतिशत के स्तर पर लाना चाहते हैं, वह निर्भर करती है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस क्षेत्र में आप और धन का प्रावधान कीजिए, ताकि उस प्रावधान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग पशुपालन के क्षेत्र में आगे आएं। हमारा जो पशु धन का स्तर है, वह सुधर सके और पशु धन के क्षेत्र में ...(**समय की घंटी**)... हमारी जो विकास की दर है, वह कम से कम दस प्रतिशत के स्तर को छू सके। ...(**समय की घंटी**)...

सर, आखिरी बिंदु जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने यहां पर कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कृषि लगातार अलाभकारी हो रही है, उसके दूसरे कारणों पर हमारे विद्वान साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन एक सामान्य बात जो मुझे समझ में आती है, जो इंडियन फैमिली सिस्टम है, यह भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। जोतें लगातार छोटी हो रही हैं और जितनी छोटी जोत होगी, उतनी अलाभकारी होगी। छोटी जोतों को लाभकर करने का एक लक्ष्य हो सकता है और उस क्षेत्र में कृषि मंत्रालय काम कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कानून बनाकर नहीं, हमें आज विचार करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर सारे राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए, जैसे कुछ देशों ने निकाला है, ताकि जोतों का और further fragmentation न हो और जोतें और ज्यादा छोटी न की जाएं? हमारे देश में परंपरा रही है, जो कृषि प्रधान एरिया है, यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों में पहले एक परंपरा थी, हमारे अपने क्षेत्र के अंदर, देहरादून

के आस-पास ऐसी परंपरा थी कि एक ही भाई नाम पर खेती चलती थी, ताकि खेतों में जोतों का fragmentation न हो।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): You conclude now. Your time is over long back.

श्री हरीश रावत: आज वहां हालत यह हो रही है कि खेती इतने टुकड़ों में बंट गई है, इतनी अलाभकारी हो रही है कि लोगों को यदि कोई खरीददार मिल रहा है, तो लोग उसको real estate को बेचने के लिए उत्सुकता से आगे आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही हमको बहुत बड़ा धन मिल गया। उससे कृषि योग्य भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है। वह सिकुड़े नहीं ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): You conclude now. Your time is over. Your party's time was over long back.

श्री हरीश रावत: उसके लिए आवश्यक है कि जोतों को छोटा होने से रोका जाए ओर खेती लाभकारी बनी रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद जाहिर करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश आने वाले समय में दूसरी हरित क्रांति के लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Shri N.R. Govindarajar. You have seven minutes.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Madhya Pradesh): Sir, it is BJP's turn now.

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी): उनको पहले ही बोलना था, लेकिन interpretation facility नहीं थी, इसलिए पहले नहीं बुलवाया। अभी आ गए हैं, now he will speak, then the B.J.P.

SHRI GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): *Let me thank the chair for giving me an opportunity to speak on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam in this august House. We are now discussing the performance of agriculture in general and performance of Union Agriculture Ministry in particular.

We all know that our country is an agricultural country with 70% of the people dependent on agriculture as their livelihood.

That is why Thiruvaluvar the Tamil sage poet emphasized that agriculture is the axis of all the industrial activity as every other industry depend on it and all people go after it in Ueneration.

Our country is one of the foremost countries in agriculture that is carried on in a systematic way down the centuries. But if you ask of me whether the Union Agriculture Ministry really helps our agriculture sector, my answer would be more than 90% of our agriculturists and agricultural labourers are being below poverty line. We can not say that they are a better lot as they grow food and other basic material through their labour in cultivation. As one hailing from an agriculturist's family I would like to draw the attention of this august House to the plight of the farmers. Farmers have got this set back because of the wrong policies of the Government. The green revolution of the sixty exposed us to Tamil chemical fertilizers and insecticides. Cultivable lands have lost there fertile nature due to the increased use of artificial manure. The original nature of our cultivable fields have changed because of the impact of the chemical fertilizers and insecticides that were introduced by the western world after the world wars. In the last four or five decades the use of chemical fertilizers and

*English version of the Tamil Speech.

insecticides have increased manifold. In 1960-61, about five thousand tonnes of fertilizers were used by the Indian farmers. To-day we find the use of such fertilizers have hugely increased to 13 lakhs tonnes. The danger of our soil losing its potential is looming large. We feel proud that our growth rate has crossed nine percent. But agricultural sector has witnessed a growth rate of a mere 2.58%. The rural population that can not make a living out of agriculture have started migrating to the urban areas. Migration of rural poor and agricultural labour to urban towns is on the increase. Already urban areas go through unemployment problem. The influx of rural poor to urban areas result in their miserable living conditions going worse giving rise to health and sanitation problems there.

Genetically modified and engineered hybrid seeds have also added to the woes of our farmers having given rise to the problem our country now faces in the agricultural sector. This will endanger us further and I would like to draw the attention of our Minister of Agriculture. Particularly imported GM cotton seeds are causing great havoc in the market. LRI cotton seeds are rated high for it is cheaper with higher yield. But due to globalisation and economic liberalization, MNCs especially big US companies have started supplying BT cotton at Rs. 3500/- making huge profit while making our farmers their captive consumers. This trend must be arrested.

According to a report from FAO of UN, about 221 million our people due to abject poverty face food scarcity in our country. In order to overcome the food scarcity there is a need to increase food production. But irrigation facilities have not been augmented. Concrete measures have not been evolved by this Government. Right from 1996-1997 to 2004-2005 during those 10 years not much was done to augment irrigation facilities. Annually only 0.5 percent of lands get water through irrigation. Mega projects have not been conceived at all to improve irrigation facilities. Instead the Union Agriculture Ministry point a finger at State Governments. There are many bottlenecks for the State Government. Hence the Union Government must take up irrigation like Railways and Posts & Telegraph under its direct responsibility.

It has been stated that more subsidies and grants would be extended to agriculture in the Eleventh Five Year Plan. It must be increased to protect the interests of our farming community.

It has been projected that there will be a sharp fall in food production in the next ten to twenty years. It would greatly affect our India. The fate of State Governments may even get worse. In order to help the farmers, Government must ensure that agriculturists get a good price for their produce. Now the cost of production is more than the selling price. This affects our farmers. Paddy and Sugarcane must get remunerative price. Essential goods like rice, wheat, maize, pulses, cooking oil cost more. Inflation is high. Food production must improve and cultivation must be encouraged. In India the cost of agricultural production is high. It is higher than even the market price of agricultural produce. Food subsidy is Rs. 31,000 crores. Fertilizer subsidy is Rs. 42,000 crores. But still there is a need to protect our farmers.

When our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma was the Chief Minister of Tamil Nadu she brought about a revolutionary move 'Farmers Protection Scheme' to help save the farmers and ensure prosperity in their lives. Similar move must be there now. Bio-fuel plantations get subsidy and grants and incentives. They must be provided also to those who cultivate and grow food grains. When there is shortage of food grains we must not encourage other

things like cash crops and bio-fuels. This would only result in inflation. This will also result in change of Government at the centre.

Lastly I would like to point out that all the agriculturists have to borrow and remain in debt. Almost all the farmers are in debt, they have not made money and do not remain rich. Our founder leader sang that those who drive their car in an arrogant fashion must realize that they can not afford to ignore farmers. If the agriculturists decide to leave aside their ploughshares, the world would come to a grinding halt. If farmers suffer it would weaken our economy.

When it comes to debt relief it must be extended to all the farmers. There must not be any segregation as small farmers and marginal farmers. The plight of all the farmers remain the same. This must be changed. Our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma has stated that all the agriculturists must get farm loan waivers and the benefit of debt relief measures. This will help all the farmers and the farm production. Inflation can be controlled by way of increasing food production. This will help our country's economy. Economic growth will lead to self sufficiency and prosperity. We can have allround growth with a steady industrial and agricultural growth. We can emerge as a super power then. Agriculturists must be encouraged in all possible ways with subsidies, grants, loans at reduced interest rates, lesser priced inputs, increased irrigation facilities and remunerative price for their produce without being discriminated as small and marginal farmers. Suitable measures in this regard must be evolved by the Union Agriculture Ministry. With this I conclude my speech. Thank you.

श्री जयप्रकाश नारायण सिंह (झारखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं झारखंड प्रदेश से आया हूं, जो जंगल और खान से भरा हुआ है और जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। वहां ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं और ज्यादा लोग मजदूर ही हैं। मुझे यह कहना है, जैसा कि जो कहावत है-"अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।" सर, आज जिस देश में दूध सस्ता हो और पानी महंगा हो, तो उस देश के किसानों की क्या स्थिति और हालत होगी। आज बोतल बंद पानी 12 रुपए लीटर मिलता है और देहातों में जो किसान दूध उत्पादन करता है, उसका भी दूध 12 रुपए लीटर बिकता है। आज देश आजाद हुए इतने दिन हो गए, मैं सरकार से यह मांग करूंगा या सदन से मांग करूंगा कि हम कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, देश में 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है और इस देश में आज किसान बेहाल हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि पूरा एक सेशन किसानों की डिबेट के लिए हो, जिससे समूचे विश्व में यह मैसेज जाए कि भारत किसान की चिंता कर रहा है, पूरा देश और सांसद किसानों की चिंता के लिए पूरा सेशन इस पर बैठा हुआ है। कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में किसान की समस्याओं पर चर्चा करके हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते। हम लोग नारे लगातें थे कि-"किसान जगेगा तो देश जगेगा, किसान समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा।" लेकिन हम 70 प्रतिशत आबादी को समृद्ध करने की बात करते हैं लेकिन नीतियों पर अमल नहीं होता। हम किसान के खेत तक कैसे पहुंचे, हम उनको सिंचाई की सुविधा कैसे उपलब्ध करवायें? अगर किसान का बेटा पढ़ने में तेज है, तो उसके पास इतना धन नहीं है कि वह अपने बेटे को पढ़ा सके। किसान को 9 परसेंट की ब्याज पर लोन मिलता है, जबकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए 4 परसेंट की ब्याज पर लोन देता है। हम मांग करते हैं कि किसान को भी 4 परसेंट इंटरेस्ट पर लोन मिले, ताकि वह पूंजी का इन्वेस्ट कृषि कार्य के लिए कर सके।

मान्यवर, हमारे यहां किसान उत्पादन करते हैं, फसल उगाते हैं, उनके लिए मंडी की व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों के हाथ में मंडी है। पंजाब और हरियाणा पूरे भारतवर्ष को डोमिनेट करते हैं। किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड जैसी छोटी स्टेट में भी मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसान अपनी उपज को ले जाकर मंडी में बेच सकें। सरकार की ओर से यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह किसान की उपज का 80 परसेंट मूल्य चुकाये और 20 परसेंट मूल्य पर मार्गेज़ रखे, ताकि किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर अपने अनाज को नहीं बेच सके, इस प्रकार की व्यवस्था देश में होनी चाहिए।

अभी धान खरीदने की बात थी। सरकारी मूल्य पर धान क्रय करेंगे, हमारे देवधर जिले में, झारखंड में केवल एक क्रय केन्द्र था। जब किसान उस क्रय केन्द्र पर अपना अनाज बेचने के लिए आते थे, तो वहां पर इतनी लम्बी लाइन लगी

रहती थी जिसके कारण किसान को अपना धान व्यापारी को बेचकर जाना पड़ता था। क्रय केन्द्र सुविधाजनक होनी चाहिए। हर प्रखंड में एक क्रय केन्द्र होना चाहिए ताकि किसान वहां पर अपना धान बेचकर, अपनी उपज बेचकर जाये। किसान के लिए मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसान मजबूर होकर धान को व्यापारी के हाथ में न बेचे। वह उसको मंडी में बेचे और उसका अच्छा मूल्य लेकर, 20 परसेंट में अपने सामान को गिरवी रखकर जाये। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, हम अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि साइंस के युग में बड़ी-बड़ी मशीनों का अविष्कार हुआ है। आज एक ट्रैक्टर का दाम साढ़े चार लाख रुपया पड़ता है। किसान एक ट्रैक्टर को साढ़े चार लाख रुपये में तथा एसेसरीज को सूद पर लेता है और उसके मूलधन को भी बैंक को वापस नहीं कर पाता है। इसमें उसकी जमीन बिक जाती है, इससे उपज प्रभावित होती है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि वह भी किसान के पुत्र हैं, किसानों के लिए छोटा ट्रैक्टर बनाया जाये, जो कि एक लाख रुपये में किसान को मिले और सरकार उस पर सबसिडी दे, ताकि किसान सड़क पर अपना ट्रैक्टर नहीं उतार कर, अपनी उपज से खेत को जोतकर ही ट्रैक्टर का मूल्य चुकता कर दे।

उपसभाध्यक्ष जी, लोन माफी की बात है। सरकार ने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है, यह सरकार कहती है। लेकिन आपने उनका लोन माफ कर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आपने किसान का लोन तो माफ कर दिया, फिर उसे लोन लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमें किसानों के लिए दूरगामी स्कीम बनानी चाहिए, ताकि किसान लोन-मुक्ति के बाद अपना सुखी जीवन बिता सके और अपने को कृषि कार्य में समर्पित कर सके, जिससे कि उसे पुनः लोन नहीं लेना पड़े।

मान्यवर, झारखंड प्रदेश में सिंचाई के लिए बोरिंग नहीं होती है। वहां पर सिंचाई का एकमात्र साधन तालाब होता है, कुआं होता है। उन तालाबों में 60 परसेंट प्राइवेट लोगों के तालाब हैं और 40 परसेंट सरकारी तालाब हैं। सरकारी तालाब भी सिंचाई का काम करते हैं और प्राइवेट तालाब भी सिंचाई का काम करते हैं, लेकिन सरकार बार-बार 40 परसेंट तालाबों पर ही पैसा खर्च करती है। जो 60 परसेंट तालाब किसानों के पूर्वजों ने बनाए थे, आज किसान में उन तालाबों को बनाने की हिम्मत नहीं है, उन तालाबों से सभी किसान सिंचाई करते हैं। इसलिए उन तालों की मरम्मत होनी चाहिए, ताकि ठीक से किसानों की सिंचाई हो और अच्छी फसल पैदा हो, ऐसी हमारी नीति होनी चाहिए। एक ही तालाब में बार-बार मिट्टी कटाई का काम होते रहने से पानी का क्षेत्रफल कम हो जाता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड छोटा राज्य है और नया राज्य बना है, इसलिए इसका एक स्पेशल जोन बनाया जाए। लोगों को कृषि की सुविधाएं दी जाएं और झारखंड को कृषि सुविधाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। जब भी कोई सरकार आती है, किसान को हर तरफ से आफत होती है। सबकी नजर उसकी जमीन पर जाती है और जमीन की सीलिंग होते-होते, उसके छोटे-छोटे टुकड़े हो रहे हैं। आज फैक्ट्रियों की सीलिंग नहीं होती है। जमीन की सीलिंग तो हो जाती है, लेकिन धन की सीलिंग नहीं होती है। आज सीलिंग करके जमीन के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, तो खेती कैसे होगी? वैसे ही घर में परिवार बढ़ने से जमीन के टुकड़े हो जाते हैं तथा सरकार किसानों की जमीन की सीलिंग करके और कम कर देती है। यदि हमें उन्नत खेती करनी है, तो जमीन की चकबंदी करनी होगी। अगर आप जमीन की सीलिंग करके, उसको छोटा करते हैं, तो सरकार को धन सम्पदा की सीलिंग भी करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार से यह मांग करूंगा कि किसानों को संरक्षण दे। जब बुवाई का सीजन आता है, तब खाद ब्लैक में मिलती है। खाद की शोर्टेज हो जाती है, तो लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है। एक तरफ तो अमेरिका हमसे कहता है कि सब्सिडी कम करो और दूसरी तरफ अपने यहां सबसे ज्यादा सब्सिडी देता है। मेरी सरकार से यह मांग है, यदि देश को समृद्ध बनाना है, किसान को उन्नत बनाना है, तो आपने जो दर पर क्विंटल फिक्स किया है, उस दाम पर जो आप खरीदेंगे, उतनी ही सब्सिडी उसको एक्सट्रा दीजिए। भूमि आपने एक क्विंटल गेहूं के दाम एक हजार रुपए फिक्स किए हैं, यदि किसान एक क्विंटल गेहूं बेचता है, तो एक हजार तो उसके दाम हुए और उसके साथ ही उसको एक हजार की सुब्सिडी भी दीजिए। यदि उसको दो हजार रुपए का भुगतान कीजिए। फिर आपको खाद्यान्न के मामले में किसी देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और देश खाद्यान्नों में पूर्ण आत्म निर्भर हो जायेगा। हम आप से यही आग्रह करेंगे कि किसान की डिबेट पर एक पूरा सेशन हो। इसको समूचा देश ही नहीं अपितु समूचा विश्व देखे कि भारत किसानों के लिए चिंतित है। मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यहां बहुत देर से कृषि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह बात सही है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी इस आधुनिक युग में हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक जो हमारा लक्ष्य है और हम आत्म-निर्भर, आर्थिक रूप से सबल भारत का जो एक सपना देख रहे हैं, वह सपना उस वक्त तक साकार नहीं हो सकता....।

जब तक किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट नहीं आएगी। उपसभाध्यक्ष जी, जब से यूपीए की सरकार आई है, इसने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, खास तौर से न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का काम किया है। यह बहुत समय से लंबित था, किसानों की यह मांग थी कि वे जो खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करते हैं, उसकी कीमत उन्हें नहीं मिल रही थी। उनके अंदर असंतोष का यह एक बहुत बड़ा कारण था। हम कृषि मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसकी पहल की और गेहूं और चावल दोनों के दाम बढ़ाने का काम किया। उन्होंने दाम बढ़ाया, जिसकी वजह से किसानों में कुछ राहत है। लेकिन अभी भी बहुत सारा अनाज, जो किसान पैदा कर रहा है, उसकी बिक्री कैसे हो, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका मुआवजा उसे कैसे मिले, इसकी व्यवस्था अभी भी नहीं हो पा रही है। किसान के लिए उन चीजों को होल्डिंग करके रखना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी चीजों का फायदा बीच के दलाल, जो मिडल मैन होते हैं उसका फायदा उठाते हैं और अनाज पैदा होने के बाद खेत से किसान उसे घर नहीं ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि वह खलिहान से सीधे बिक्री हो, उसका माल बिक जाए, उसकी कीमत उसे मिले, ताकि जो उसने कर्ज लिया है या उस पर जिम्मेदारी है, उसे निभा सके। उपसभाध्यक्ष जी, यह बात भी सही है कि हमारे देश में सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा किसान अभी भी मानसून पर निर्भर है। वह इस बात का इंतजार करता है कि बारिश होगी, तभी उसके खेतों में हरियाली होगी। आज हमारे देश में लगभग अस्सी प्रतिशत ऐसे किसान हैं, जो पांच एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ क्रॉप फेल्योर नहीं है, उसका बुनियादी कारण या उनकी आर्थिक परेशानियों की जो वजह है, वह यह है कि उनकी आमदनी बहुत सीमित है। आज एक एकड़ की आमदनी को यदि अध्ययन के अनुसार देखा जाए तो पंद्रह हजार से बीस हजार रुपए आमदनी होती है और बासठ प्रतिशत संख्या ऐसे किसानों की है, जिनकी आमदनी पंद्रह हजार से बीस हजार तक की सालाना है। एक-एक किसान के परिवार को, यदि पांच व्यक्तियों को भी परिवार मान लिया जाए तो पर व्यक्ति आठ से ग्यारह रुपए मिलते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सत्तर प्रतिशत पर केपिटा, जो इनकम है, वह बारह रुपए मात्र है। इस सत्तर प्रतिशत में बासठ प्रतिशत छोटे किसानों की संख्या है। इकयासी प्रतिशत किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें पांच एकड़ से कम के मालिकों की संख्या है और उन्नीस प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो पांच से दस एकड़ के मालिक हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बीमारी की जड़ में जाना होगा। करेक्ट डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है। हमारे किसान पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं। मैं समझता हूं कि आत्महत्या करने की—हमने अभी चर्चा भी की है और पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है, सिर्फ कृषि पर आधारित होने की वजह से और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से वे किसान हीं ज्यादा मजबूर होते हैं आत्महत्या करने के लिए, चाहे वे साहूकार से कर्ज लें या को-ऑपरेटिव बैंक से कर्ज लें, जब वे समय पर कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं तो उन पर हर तरह का दबाव होता है। उन पर सामाजिक दबाव होता है और उस शर्म और हया से बचने के लिए वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि एनिमल हस्बैंडरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, डेयरी पर ध्यान दिया जाए, मुर्गी पालन, मछली पालन और डेवलपमेंट ऑफ रूरल नॉन-फार्म सेक्टर, ऐसी चीजों पर सही ढंग से योजना बना कर ध्यान दिया जाए। इस दिशा में लगातार कोशिश करने की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए यही छोटा सा सुझाव, जो मैंने सोचा कि इस सरकार के सामने और कृषि मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से रखूँ, वह मैंने रख दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

DR. M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Sir, 'agriculture in this country is in acute crisis.' This is not my statement. The hard realities in agriculture brought by the Economic Survey of 2007-08 are: Decline in agriculture GDP rate despite normal rainfall, decline in rate of growth of foodgrains which are less than

population growth, stagnation in foodgrains production, decline in agriculture share of gross capital formation, decline in agricultural loans from 18 per cent as mandated and decline in area under foodgrains.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) in the Chair]

The Ministry of Agriculture is similar to a farmer's family. Due to paucity of time, I am not demanding or asking anything from the hon. Minister. I only wish to highlight whether some of the schemes implemented by the Government of India are farmer-friendly.

Regarding the Minimum Support Price, the genesis of the M.S.P. is to protect the farmer from market price fluctuations. While arriving at the M.S.P., all the costs incurred by farmer for producing various crops have to be taken into consideration. This is one of the important criteria for arriving at the M.S.P. But, the situation at the grass root level is quite different. It is not at all reflecting the actual cost incurred by farmers. I myself, along with press reporters, visited Nalgonda district in Andhra Pradesh to ascertain the factual position at the ground level. The Field Assistants, who are mandated to stay in that village and to obtain the cost of cultivation data, are neither staying nor obtaining the required data from the farmers. They are fudging the figures and sending the same to the DES. They are also not obtaining the signatures from the farmers. Based on these fudged figures, the Directorate of Economics and Statistics is computing the figures. The DES never bothered to compare the data with the details obtained by the CACP for the cost of cultivation. Due to this, true reflection of the cost of cultivation is not arrived. As a result, farmers are suffering and are not getting the correct M.S.P. So, I am bringing this to the notice of the hon. Minister to review as to what is happening at the ground level. It is not only happening in Nalgonda district, but it is happening throughout the country. The situation is same in the entire country. That is why I am requesting the hon. Minister to look into this aspect seriously.

With regard to Crop Insurance Scheme, I wish to submit that the objective of Crop Insurance Scheme is to protect the farmers in the event of crop loss due to natural calamities, pests and diseases. But, in arriving at the eligibility, I would say that it is not at all helpful to the farmer because of impracticable procedures applied by the Department in arriving at the crop losses, crop cutting experiments, threshold yields coefficient, etc. Instead of calculating the crop loss like this, the Government of India is taking into consideration the average yield of various crops for calculating the MSP. It is also resorting to some other vague procedures. Instead of resorting to this impractical procedure, the crop losses can be estimated by fixing the indemnity by taking into consideration the average yield minus actual yield. Further, the indemnity criterion, which is followed in other sectors, is not followed in the agriculture sector. That's why the Crop Insurance Scheme is not farmer-friendly. Therefore, I request the hon. Minister to review the procedure for calculating the crop loss by taking into consideration the indemnity criterion.

So far as the loan waiver scheme is concerned, the limit of two hectares of land is not justified. It is not helpful to the farmers who depend on the rain-fed crops. Also, the scheme appears to be beneficial to the wilful defaulters, rather than to the honest and regular payers, even while they are in distress. As per the Government of India norms, the *kharif* season starts from 1st April and ends by 30th December. So, the farmers who had repaid their earlier crop loans and had availed of fresh loans from 01.04.2008 onwards are not eligible to get benefit under this scheme. It was brought to the notice of the hon. Minister by other Members also. So, I would like to request the hon. Minister to review the entire scheme so that more and more farmers could get benefit of this scheme.

Now, I come to the ICAR, which is a research institute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: I am just concluding, Sir. The ICAR develops agricultural technology, input materials, etc. The ICAR claims that it has generated technology to boost agricultural growth; it has developed hybrid seeds and other vaieties for various crops; it has produced breeder seeds for variety of crops. But, as per the Annual Report, they had released 16 hybrid seed rice varieties to the various States. But has the Minister ever made an assessment as to how many farmers are adopting the seeds developed by the ICAR, and what is the extent of cultivation? I don't think there are many such farmers. I understand that majority of farmers are using the seeds developed by private multinational companies, rather than the seeds developed by the ICAR. I think, Department's earning through sales of seeds is Rs. 15 lakhs. It further substantiates my argument. Therefore, the seeds or hybrid varieties developed by the ICAR are not the choice of farmer. Such is the condition of the ICAR.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: I am concluding within a fraction of minute, Sir. When we go through the Annual Report, out of the total budget of Rs. 1,764 crores. Rs. 1,636 crores are for Non-Plan and only Rs. 124 crores are for research. It is not even nine per cent. When we have a look at the posts also, the total sanctioned posts are 6,428. The number of administrative posts is 4,814, and the number of supporting staff is 9,722. So, this is the fate of the ICAR. One can very well imagine how the department is functioning. The number of scientists is less. The number of supporting staff as well as the administrative staff is more. That's why their research projects are not at all useful to the farmers. The farmers are not adopting any technique developed by the ICAR.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I would like to bring the industry perspective to the field of agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में तो मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जब कि मेरी मैडेन स्पीच यहाँ पर शायद आपको याद होगा विदर्भ के फार्मर्स के सुसाइड के ऊपर थी। But, before I come to the main point, Sir, मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन पर अमर सिंह जी भी बोल रहे थे और काफी लोगों ने बोला। मुझे खुशी है कि as an industrialist, मुझे समझ में कुछ आने लगा, पर इसके पहले मैं दो चीज़ें कहूँगा।

WTO की बात हुई। WTO के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि NAMA—वगैरह और सर्विस सेक्टर के बारे में आज बोलने का मौका नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड जिस तरह से subsidy दे रहे हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी and import tariff, जो कहा गया था, it is $ one billion a day. यह शर्मिंदगी की बात है। I have said if earlier. The way they subsidize their foodgrains is, a matter of shame. जैसे कमल नाथ जी ने ठीक कहा था कि my farmer can compete. My farmer needs to improve. मेरा फारमर उनके फारमर से कम्पीट कर सकता है, but my farmer cannot compete with the treasuries of those Governments. परन्तु उसमें मेरे हिसाब से दो चीज़ें समझने की हैं। हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके बारे में मैं कहूँगा। बहुत से लोगों ने कह दिया, मैं तो थोड़ा-बहुत कहूँगा। प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है, फूड सेक्योरिटी होनी है, सेल्फ सफिसिएंशी होनी हे, कि हमको इम्पोर्ट नहीं चाहिए। वह मुफ्त में भी नहीं चाहिए। अपने फारमर्स पर ही हमको निर्भर रहना है। पर हमें यह भी ध्यान देना है कि कभी शॉर्टेज़ हो, तब जो हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम चाहेंगे कि वह सस्ते-से-सस्ते में हो। तब वह सब्सिडाइज करेगा, तो बहुत अच्छा है। अब ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं।

मैं एक प्वायंट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं। अभी हफ्ता भर पहले अखबार में एक आर्टिकल आया था कि वे सब्सिडाइज करते हैं, तो उससे हमको गेहूँ सस्ता मिलेगा, या जो भी आइटम हैं। वे सस्ती मिलेंगी और

मेरे फारमर को मारेंगी, वह मुझे मंजूर नहीं है। परन्तु कम प्रोडक्शन होता है, देश में शॉर्टेज़ है, इम्पोर्ट करना है, इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है, महंगा इम्पोर्ट करना पड़ा, आस्ट्रेलियन व्हीट हमें पसन्द नहीं आती, वगैरह-वगैरह, उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। तब हमें यह देखना पड़ेगा कि यदि वह वहाँ से सस्ता मिले, तो हमारा फायदा है। यह तो पहली बात हुई।

दूसरी बात यह है कि National Rural Employment Guarantee Scheme के बारे में कुछ बातें कही गईं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि of course यदि उसको 80 रुपया रोज का, 100 दिन का मिलता है, 80 रुपए रोज का मतलब 8 हजार रुपए साल का मिलता है और उससे उसका खाना बढ़ता है, तो यह खुशी की बात है। हम थोड़े ही यह चाहेंगे कि वह भूखा मरे। यदि उसके कारण से डिमांड बढ़ती है, तब हम तो चाहते हैं कि 8 हजार रुपए ही क्यों, उसकी साल की कमाई 20 हजार रुपए हो। परन्तु मैंने यह भी सुना है कि NREG के कारण से farm labour कम हो गया है, इससे फारमर को या लैंड ओनर को वहाँ पर काम करने के लिए फॉर्म का लेबर नहीं मिल रहा है। यह एक तरह से शॉर्ट टर्म में नुकसान की बात है, परन्तु मेरे हिसाब से वह भी एक फायदे की बात है, क्योंकि वह साल में 8 हजार रुपए लेकर फार्म में काम नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फार्म में काम करने से उसको उससे भी कम कमाई मिलती है या पगार उससे भी कम मिलती है। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हमें यह भी देखना है। किसी ने यह कहा था कि हमारे यहाँ 60-65 परसेंट लोग फार्म पर डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। USA में यह 3 टका है। 3 टका में तो हम नहीं पहुँच पाएँगे। हम 5, 10, 20 या 25 परसेंट तक पहुँचेंगे, आज नहीं 10 सालों में, 20 सालों में, तो बाकी के 40 परसेंट कहाँ जाएँगे? इंडस्ट्रीज़ में ही जाएँगे, सर्विसेज़ में ही जाएँगे। आप चाहें या नहीं चाहें। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज़ ही हैं, चौथी जगह नहीं है। इसलिए इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज़ को भी बढ़ावा दीजिए, नहीं तो एग्रीकल्चरिस्ट जाएगा कहाँ? उस 65 परसेंट को कम-से-कम 15-20 परसेंट पर लाना है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बोल कर मैं आखिर में वह कहना चाहूँगा, जो कि मैं सुन रहा हूँ। इंडस्ट्रीज़ में भी वही बात करते हैं—Cost price, quality, input, output, economies of scale, मतलब land holding और वह तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं मानेंगे, हमारी पार्टीज़ भी नहीं मानेंगी। यह 2 हेक्टेयर है कि 5 हेक्टेयर है। वह हजार हैक्टेयर न हो, परन्तु पच्चीस-पचास हैक्टेयर रहने दो। शायद वह मान्य नहीं है। ठीक है, जो भी लैंड होल्डिंग है, वह आप डिसाइड करिए, मगर उसको आपको अल्टीमेटली प्रोफिटेबल बनाना पड़ेगा। यदि वहां किसान प्रोफिट नहीं करेगा, नुकसान करेगा, तो उधार लेगा और फिर उधार वापस नहीं कर पाएगा, तो आप ऐसे ही साठ हजार करोड़ रुपया देते रहोगे। यह शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वन टाइम सोल्यूशन है। आप दीजिए, मगर जैसा मैंने कहा कि यह पैसा है तो टैक्स पेयर्स का, कोई ऊपर से नहीं आया है। आप कब तक यह देंगे? लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप उसके लिए एक ऐसा लॉंग टर्म सोल्यूशन क्रिएट करिए, यह तो शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है, अब या तो वह उधार ले नहीं और यदि उधार ले, तो वापस कर सके। इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है कि या तो हम लेते नहीं हैं तो प्रोफिट करते हैं और पैसा वापस करते हैं। अगर प्रोफिट नहीं करते हैं, तो हमारे यहां भी हमने बहुत लोगों से सुना है कि इंडस्ट्री को तो आप देते हो, लोन माफ करते हो, तो एग्रीकल्चरिस्ट को क्यों नहीं? बराबरी होनी चाहिए। उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाता। हमारे यहां जैसे चोरी होती है, या नुकसान होता है, तो जिस तरह से आप हमको हैंडल करते हैं, उसी तरह से आप एग्रीकल्चरिस्ट्स को करिए। वहां उसके प्रोफिटेबल बनाने के लिए इनपुट्स देना पड़ेंगे, सीड्स देना पड़ेंगे, गाइडेन्स देना पड़ेगी। विदर्भ में वहां का किसान कॉटन से शायद सोयाबीन पर आया है, जैसा हमने सुना। उसे आपको पावर और वाटर जरूर देना पड़ेगा। मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के नाते अपने लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम से वर्धा में एरीगेशन में खर्च करना चाह रहा हूँ, तो वहां के कलेक्टर और दूसरे ऑफीसर्स को रोज तकलीफ है। वे कहते हैं कि वह ऐसा नहीं हो सकता, यह वैसा नहीं हो सकता। तो आप उसको पावर दिलवाइए, वाटर दिलवाइए।

सर, मैं अब आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपको इस हाउस में मान्य नहीं होगी। आपने सबको डिस्टोर्ट (Distort) करके रखा है, फ्री पावर या सबसिडाइज्ड पावर, फ्री फर्टिलाइजर या सबसिडाइज्ड फर्टिलाइजर, सब जगह गड़बड़, गड़बड़ है और उसके बाद यह लोन वेवर स्कीम। मैं बोलता हूँ कि जब तक कम्पिटीशन रहता है, मोनोपोली नहीं, जब तक कम्पिटीशन रहता है, सारी चीजों की करेक्ट प्राइस चार्ज करिए। यदि इसके कारण से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसको आप एमएसपी (MSP) बढ़ाकर दो। लोगों ने यह यहां पर कहा है। यदि आप उसको एमएसपी बढ़ाकर नहीं दोगे, तो वह माल नहीं बढ़ाएगा और उससे शॉर्टेज होगी, फूड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप फार्मर को खुश रखिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा माल वह बढ़ाएगा और उससे उसका दाम कम होगा। एक बात, और अगर उसका

6.00 P.M.

दाम ज्यादा होता है, जैसे आपने दाम बढ़ा दिया, उससे पावर का पूरा चार्ज किया, वगैरह, वगैरह, तो उस चीज को आप सबसिडाइज करके पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से सस्ती करो, क्योंकि इनफ्लेशन होगा तो कन्ज्युमर आपके ऊपर चिल्लाएगा। Farmer is also your consumer. फार्मर को आप सेटिसफाइ करिए, जिससे कि व्हीट, राइस, दाल, सब कुछ ग्रो करे। उसके बाद यदि उसका दाम कुछ सालों तक ज्यादा रहता है, तो उसको पीडीएस में सबसिडाइज करिए और जैसा कहा गया है, पीडीएस को स्ट्रेन्थन करिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपका समय हो गया, अब आप समाप्त करिए।

श्री राहुल बजाज: एफिसिएंसी लाइए, करप्शन को कम करिए। आज इनएफिसिएंसी है, माल उधार देते हैं, जाता यूरोप, अमरीका है, भगवान जाने कहां-कहां एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वहां आप एफिसिएंसी करिए। हमारे राजा साहब (CPI-M.P.) को मैं हमेशा रेफर करता हूँ वह मानेंगे नहीं। क्योंकि वहां पब्लिक सेक्टर के साथ एकाउंटिबिलिटी नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई काम नहीं करता है तो उसको निकाल देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राहुल बजाज: सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। चूंकि आप एनसीपी के हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या करूं अब? तो एकाउंटेबल रखिए, जो आदमी काम नहीं करता उसको निकालिए और जो काम ठीक करता है उसको डबल पगार दीजिए। इसी तरह से यह देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू, सर।

श्री अमर सिंह: सर, मैं, राहुल बजाज जी के बयान का स्वागत करता हूँ कि आप एनसीपी के हैं, और उपसभाध्यक्ष जी, आपने इनकी बात को सुना है। जो इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो एनसीपी का होने के नाते कृषि मंत्री जी भी इनकी बात जरूर सुनें।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, at a time when we are debating the working of the Ministry of Agriculture, the situation of agriculture in the world as a whole is becoming threatening and frightening. This kind of a situation is repeating itself after 400 years. In the Sixteenth Century, Dr. Malthus warned the world for the first time that the land under cultivation did not increase, except in arithmetical progression, and the population increased in geometrical progression, and, therefore, feeding the people would be impossible unless there were diseases, wars and large-scale deaths. That problem was overcome by very innovative methods, by improving technology, which has helped us survive today and eat, at least, two or three meals a day.

Sir, the situation that is facing our Minister of Agriculture today is much worse than the situation that had presented itself at the time of Dr. Malthus. We have a situation where land is not only not increasing in arithmetical progression, it is actually going down because of the Special Economic Zones and because of the various Governmental projects. As for climate itself, we can see the difference in today's climate map; practically, the average temperature of India is above 40 degrees Centigrade, and even in Vidharbha and some other parts of Maharashtra, it has risen above 43-44 degrees Centigrade. I except the temperature to touch 46 degrees Centigrade this year and to touch 47 of 48 degrees Centigrade next year. And then, there are a number of other problems. New technology is coming in; Genetic Engineering is coming in; Remote Sensing is coming in. And all this is changing the dimensions of these problems. Petroleum shortage is creating another specific problem; some of the crops have to be diverted for production of Ethanol or fuel crops. That itself is

taking a very large toll on the agricultural situation. With due respect, I would like to warn the Minister for Agriculture that this is not a situation which was faced either by Marx or by Gandhi and therefore, if you try to find solutions either in Marx or Gandhi, you are going to face a tragedy. You will have to think of your own methods, be pragmatic and search for India-specific solutions. None of the old dogmas will be able to help you. I would suggest some of the things that are required to be done. I have talked in this House quite often about the mistakes made in the past. Today, I am in a friendlier mood and I want to suggest what ought to be done hereafter!

Firstly, recently I read a speech by hon. Shri Sharad Pawar, where he said that it is a pity that the farmers have to take the burden of the consumers' requirements. Whenever we talk of dearness, whenever we talk of inflation, the burden is invariably shifted to the shoulders of the farmers. And this is an aspect which is threatening us right now. Recently, in order to curb inflation, we imported oil, which is going to cost dearly the farmer in India in the current year and next year, he would be producing less. We are banning the export of non-Basmati, rice; we are putting restrictions on the domestic trading of the farm produce. All these things are going to have their own toll and next year, possibly the farmer may have less incentive to produce more than he otherwise had.

Sir, I would suggest that the Minister for Agriculture should try to devise a strategy where we do not respect any of the present systems and permit maximum freedom to the farmers as well as to the markets in the best possible manner, so that the problem of striking a balance between the consumer and the farmer is settled by forces of demand and supply and not the arbitrary interventions of the Government.

Sir, I would also like to propose to the Minister for Agriculture to create, with immediate effect, a Constitutional National Farmers' Commission. It does not exist. There were a number of national commissions. I get hundreds of letters every day where farmers are complaining about their personal or other difficulties. I wish there were an office that would deal with complaints and protestations of this type. And this should be a Constitutional body and a permanent body; the Chairman may change from time to time, but this should be a permanent body. The other suggestion that I would like to make is in respect of the loan waicver. It is a fact that the loan waiver scheme is defective, simply because it differentiates between different borrowers, differentiates between different lenders, differentiates between long term and short term loans, and all these differences, which were classical at one time in the Marxist literature, have ceased to have any validity today. For example, you cannot say that two hectares of irrigated land is the same as two hectares of rain-fed land.

Similarly, a farmer who takes loan from a bank and borrows from a private moneylender in order to repay the loan of the bank at any given time whether he is found to be owing to the bank or to the moneylender is a matter of entire chance, and the kind of theatrical remark that has been made 'don't pay back the moneylender' will cost you very dearly because he is the person who supplies something like 60 to 70 per cent of the agricultural credit because of the special merits he has. Sir, I have found, for example, in Maharashtra itself..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: In various places, for example, even in Kerala, I have found a very awkward situation where farmers should get the advantage of the loan waiver, but for various reasons, they are not able to get it. For exxample, in Kozhikode district of Kerala, where the cooperative movement is in the hands of the Communist Party,

they enticed the farmers to repay the loan just few days before the 29th February with the result that they were not able to get the advantage of the loan waiver scheme at all. This kind of thing has happened in various States and I would request the Minister for Agriculture to call a conference of various stakeholders including the farmers' organisations to find out what improvements can be made so that the courageous step that has been taken remain the lasting historical achievement.

The last point that I would like to make is, it is said not only that the land is decreasing but the farmers themselves want to quit agriculture. In this respect what is important, on the threshold of the new revolution, is to create and draft a regular exit policy for agriculturist that does not necessarily mean only permitting the farmers to quit, but permitting the other people, who have the necessary managerial,financial and technical abilities, to come in and unless there is a kind of a flush in the agricultural population, we are unlikely to see the population on the farm which can meet the situation that is created together by the climate change, by the various technological changes and by the fact that water may not be available hereafter at all. Thank you.

SHRI A. A. JINNAH (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, today is a red-letter day in the annals of my personal life to have the honour of delivering my maiden speech in this august House.

This Rajya Sabha had been adorned by a galaxy of illustrious and eminent personalities. Even today, the eminent agricultural scientist, Prof. M.S. Swaminathan, and other hon. Members have given valuable speeches supported by statistics.

I belong to the minority Muslim community from Tamil Nadu. The protector of minorities. Dr Kalaignar Karunanidhi, the Chief Minister of Tamil Nadu and my precious leader of the DMK Party offered me a place in this august forum. He used to say that "It is not the halo around the hero that is essential but the results of his efforts, the achievements arising out of his accomplishments."

I start my speech with gratitude to three great leaders whose footsteps I follow in all my walks of life. At first. I would like to pay my respect to the great rationalist, humanist, social reformer and freedom fighter Periyar E.V. Ramaswamy, who opened the eyes of lakhs and lakhs of laymen and ladies in the country who suffered in the darkness of superstition, religion and caste. He fought for equality, self-respect, upliftment of the downtrodden and social security for women.

Next I would like to say a few words about the creative genius Arignar Anna, called C.N. Annadurai, -LT/ whose knowledge and writings could be compared to Bertrand Russell and Bernard Shaw. He created a calibre in public life with his three commandments--Duty, Dignity and Discipline.

Anna was a great democrat and a peace lover. He even respected his political opponents and used to say, "the jasmine that grows in the neighbour's garden will also have the same fragrance similar to the one in his garden." He adorned this august forum from 1962-1967 and made matchless speeches.

Our first Prime Minister of independent India, the light of Asia, Pandit Jawaharlal Nehru, admired his speech in the Rajya Sabha and praised him as a worthy Paliamentarian and a dignified politician. Anna became the Chief Minister of Tamil Nadu in 1967.

As Lord Tennyson quotes, "The finest things in the world will come and smile at the people for a short time and pass to their own end quickly." Anna was the Chief Minister for two years in Tamil Nadu before his sudden demise in 1969.

Then, the incomparable political leader and the man of the masses. Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, became the Chief Minister of Tamil Nadu after Anna. He holds the record of winning every election that he fought in his political career spanning over 65 years. He became the Chief Minister of Tamil Nadu for the fifth time in 2006. He is the statesman who stands like a colossus in the political history of Tamil Nadu.

He is a humble and simple leader who rose to the level of conquering the hearts of millions of people in Tamil Nadu and the Tamils living all over the world. His loveable language and method of expression in public meetings, the conduction of party system created millions of followers and partymen in Tamil Nadu. He has fought for the state autonomy and social justice for the people of our country. He has been my political mentor for the past 45 years teaching me the democratic principles and dedication to public life.

The glorious pages of Tamil Nadu under Kalaignar's regime include flourishing industries, development in agriculture and growing numbeer of I.T. parks which are some of the salient features of his able and elite administration.

Kalaignar led the United Progressive Alliance in Tamil Nadu and won all the contested 40 Lok Sabha seats in the 2004 Lok Sabha elections with the able guidance and leadership of the Chairperson of the UPA, Madam Sonia Gandhi. Madam Sonia Gandhi is a charismatic and able leader of the Congress Party and the United Progressive Alliance.

Agriculture is the main occupation of the majority of population in India and it is agriculture that sustains the life of the people of our country. In accordance with the Tamil Saint Thiruvalluvar's dictum which he said 2500 years ago. "Everything else is secondary to agriculture."

I congratulate the Union Government under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh, who is a Prime Minister of great learning vast administrative experience and impeccable reputation and also hon. Finance Minister, Shri P. Chindambaram, for waiving the agriculture loan to the extent of Rs. 60,000 crores for the benefit of millions of agriculturists in this vast sub-continent and also for the valuable measures taken by them for the benefit of the farmers in the country to enhance the agricultural production.

When Tamil Nadu Government assumed Office in the year 2006, it immediately waived all the cooperative farm loans thereby rejuvenating the farming sector. Tamil Nadu Government also waived the cooperative crop loans to the tune of Rs. 7,000 crores in the State and then, it compensated the cooperative institutions providing Rs. 3, 304 crores as financial assistance in a period of two years from 2006 to 2008, and further, a sum of Rs. 1,150 crores has been allocated for 2008-09 for the same purpose.

We hope that the Union Government will provide financial assistance to the State towards cooperative farm loans waived by the Government of Tamil Nadu.

The Tamil Nadu Government reduced the rate of interest on crop loans given by the cooperative banks from nine to five per cent in the recent Budget. Many agricultural economists have the opinion that interest rates of crop loans must be further reduced to four per cent. Accepting this recommendation, with a view to provide further fillip to agriculture, the rate of interest has been reduced to four per cent from this financial year.

The Tamil Nadu Government will procure pulses from the farmers at the Minimum Support Price announced by the Union Government by providing incentive of fifty rupees per quintal over and above the incentive price of hundred rupees per quintal announced by the Union Government, thereby enhancing the procurement price of fine 'variety of paddy to Rs. 825/- per quintal.

But based on the just demand that the procurement price of paddy should be at par with wheat and the recent recommendation of the Commission for Agricultural Costs and Prices, the Tamil Nadu Government will continue to urge the Union Government to enhance the procurement price of paddy to Rs. 1000/- per quintal.

The scheme for providing free power to all farmers which was introduced by the DMK Government in 1990 in Tamil Nadu still continues. A subsidy of Rs. 268 crores has been provided in the Budget for 2008-09 to the Tamil Nadu Electricity Board for this scheme.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude your speech.

SHRI A.A. JINNAH: Sir, now I come to yet another important point. During summer season, most of the States especially, Tamil Nadu suffer water scarcity for agricultural development. A national program for interlinking of our rivers in the country is the only solution, as advised by experts and our honorable Members of the House, for sustaining and improving the agricultural production in the country. Because of the problems of inter-State river water disputes and inadequate water supply, we face great hardships in agricultural development. In the absence of consensus among States, we urged that the Central assistance be provided, at least for the linking of inter-State rivers in Tamil Nadu as an emergency measure to save the crops.

Accepting this request, the National Development Council has resolved to provide such assistance under the Accelerated Irrigation Assistance Programme. In anticipation of this assistance, the following river linking projects in Tamil Nadu will be taken up in 2008-09 from the State-owned funds. The first phase of Cauvery-Agniar-Koraiyar-Pambar-Vaigai-Gondar interlinks scheme is for taking surplus flood water in Cauvery to water deficit Districts. The construction of Kattalai barrage across Cauvery wil be taken up at a cost of Rs. 165 crores.

The next phase of work for excavating a 255-kilometer long canal linking these rivers will be taken up based on the detailed project report that is under preparation. If each State has to depend on itself for agricultural development in the absence of consensus amongst the State in sharing water, electricity, foodgrains or any other essential commodity, then, where is the possibility of national integration? We are talking very high of the nation's unity and responsibility of the States to cooperate with each other by raising voices and shouting slogans which are nothing but emotions. If we are to achieve the real meaning of national integration, we should be guided by the democratic principles outlined in the Constitution of India. I see friends coming from Kashmir to Kanyakumari representing all the 28 States and 7 Union Territories in this august forum that have different culture, language and administration. We should respect each other's feelings and necessities for the benefit of the people of this country. For that we should have a common principle which is "Unity in Diversity".

With our unity, we should work hard to eradicate poverty and illiteracy among the farmers which are the major threats to the agricultural development of our nation. We have to be realistic in following the principles of national integration. We are the brothers of the same land, we are the sons of the soil. We should not have options according to our own

whims and fancies, but should compulsorily come forward to the rescue of each other for agricultural growth and other welfare schemes. Only then we can achieve the goal of independence and national integration thereby.

Our country is mainly focussing its attention on developing information technology and other industries. Similarly, we should have increased focus towards research and development in the field of agriculture. We should allocate more funds for scientific research and development of agriculture through our benevolent scientists like Prof. M.S. Swaminathan and others to enable the country to march towards becoming an agricultural super power. Thank you.

SHRI K.E. ISMAIL (Kerala)*: Mr. Vice-Chairman, Sir, our agrarian Sector is facing a severe crisis now. As a result food crisis also has developed into serious dimensions. If we allow the food crisis to grow beyond a limit, it will explode into a food riot. This serious situation is the result of the wrong economic policies pursued by this Government. Our country is facing a tragic situation because of the new economic policies adopted by the government. In the last 6 or 7 years we have discussed many times in this House how more than one and a half lakh farmers, neck-deep in debt and miseries, found the final solution in suicide. They had no alternative other than death when confronted with the harsh realities of life. But we failed to address these issues with a sense of reality. This is in fact the biggest tragedy of our system.

America and European countries give maximum assistance and subsidies to the farming sector in order to protect it. But pressurized by these very countries the Government of India is canceling the concessions and subsidies hitherto given to the agriculture sector. One of the main reasons of the present crisis is the removal of these subsidies.

India is a country of tens of thousand of villages. The progress of India is the progress of these villages. This is what Mahatma Gandhi said. More than seventy per cent of our population depend on agriculture for their lives. Our country is an agrarian economy. The backbone of this country are the farmers of this country. It was with a view to achieve the development of our country through the development of peasant population that many schemes were implemented in the first three five year plans. So many changes took places in our country as a result of these schemes and there was tremendous progress in the agriculture sector. But later, we retracted from that path and tempted by the new economic policies, we started neglecting the poor, the farmer, the village and the countryside. The present crisis is the result of this shift in the focus.

So, I urge upon the government to take steps to implement comprehensive agrarian reforms. Centralization of land should be prevented. Land reforms as implemented in Kerala should be implemented throughout the country.

Government should take action to help the farmer community by giving emphasis on production, increasing productivity, value added products, storing of agricultural products, ensuring fair prices for the producers, and ensuring the welfare and security of farmers. Government should provide financial assistance for the overall development of agriculture and co-operative institutions should be strengthened to provide assistance to the farmers.

Sir, Kerala is a deficit state as far as foodgrains are concerned. It is not a new development. It has been a deficit state for many years. Universal Public Distribution System was

*English Version of Malayalam Speech.

established in Kerala as a result of the collective demand of the people of the state during the period of the formation of single food region. Most of our agricultural products are cash crops. It was the initiative of the first Prime Minister of the country,Pandit Jawahar Lal Nehru that the Universal Public Distribution System was established in the state. The vision behind this was that a state, which produces cash crops and contributes considerably to the foreign exchange reserve of the country should not face food shortage. There are 68 lakh ration cardholders in the state today. Those people are in a deep crisis as they are not getting food grains. In such a situation the Honourable Minister, instead of providing sufficient quota of rice taking into consideration the special nature of the cash crop producing state, has decided to reduce the quota. The reason cited for the reduction in the quota is that the government which was in power in the state from 2001 to 2006 did not procure the full quota of rice. On the basis of this argument the Minister is punishing the people of the state now. Till now the quantum of rice supplied to the APL cardholders per month was one lakh thirteen thousand tons. Sir, this is now reduced to 17 thousand tons. The Honourable Minister should explain the reasons for this drastic reduction. Sir, how is it possible to distribute rice among the people of the state with this meagre quota? Kerala is a state which gives ration to those below the poverty line and even to those above the poverty line defined by the Central Government.

Sir, the food crisis has aggravated and the government does not take any effective step. This food crisis is caused by the crisis in the agriculture sector. This crisis in the agriculture sector should be resolved. The Government should come forward to spread an awareness among the people that farming is a profitable as well as a dignified profession. People should be encouraged to cultivate in the land available to them. So there should be a thorough change in the policies and approaches of the Government. The Government should accept the principle that the development of the country can be achieved through the development of agriculture. There should be comprehensive changes in the policies of the Government.

VICE CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Thank you Mr. Ismail.

SHRI K.E. ISMAIL: The present crisis can be overcome only by making thorough changes in the policies. I am not quoting any figures now because, Sir, you say that the time allotted to me is over. So, Sir, in order to prevent the country from being pushed into a food riot action should be taken against hoarding and other malpractices and steps should be taken to collect and store food grains. Sir, the practice of renting out FCI godowns should be stopped. The Government should store food grains in these godowns and supply them where they are needed and ensure that the farmers get good prices for their products. In this way the Government should take positive steps to improve the situation in the agriculture sector. The Swaminathan Committee report is available. There are many long pending demands of the farmers of this country. These demands should be met on the basis of the recommendations in this report. We can not resolve the present crisis without addressing the serious issues related to farmers with a sense of reality. I urge upon the Government to take positive steps in that direction. With these words I conclude. Thank you.

SHRI ABANI ROY (West Bengal): I must thank our colleague, Amar Singhji, for raising the discussion on the Ministry of Agriculture. Today, when we are discussing the matter, the officers of the Ministry of Agriculture are also present there. The reason why I am raising this point is that Ministers come and Ministers go but officers remain there constantly. Yes, some transfers are there. Commission after Commission submit their reports. If the

Department of the Ministry itself does not work properly, we will be unable to feed the people of India.

I don't know. Seven reports have been submitted. If they won't help the Minister, then it is a different thing because the Minister has to reply to what is right and what is wrong. If there is any scarcity, it is the Minister who is responsible to give the answer. But it is the Ministry, I think, who should properly guide the Minister what to do and what not to do, and in this particular case, on the question of 70 per cent of people who are in the villages and who are working, not only working, but also feeding you and all the people of India, and the farmers, who produce pulses and other things, after feeding the Indian people. They export these things to other countries from here. This normally happens. This had happened when the earth quake or any other natural calamity had taken place in the nearby countries, and we had to send rice, wheat and everthing to them. So, it is my earnest request to the Ministry itself to decide whether we will have enough to feed the people of India. On the question of food security, I must say that the Department is well-equipped with technologists, with agricultural scientists and the uses of the agricultural universities. You know modernisation, and it is a shame that even after having a such a well-equipped Department, farmers have to commit suicides only due to the delay in the announcement of MSP, for not getting water for irrigation, only for not getting power, for not getting fertilizer. So, I request the Minister of Agriculture to convene a joint meeting of various Ministries related with agriculture, that is, the Ministry of Agriculture, the Ministry of irrigation, the Ministry of Power, the Ministry of Chemicals and Fertilizers and the Ministry of Finance of the Central Government as well as various Ministries of the States concerned with agriculture in order to ensure security of food, in order to run the PDS in a better way, in order to strengthen the PDS, and in order to procure the food grains, and I think, for all this, a joint meeting and a joint decision is required, and I will urge upon the Minister to convene such a meeting, not an-all party meeting, but a meeting of the State machinery as well as of the Central machinery to look into the matter so that we can give much more relief to the poor farmers. I am requesting the hon. Minister because he is such a Minister who is very much with the agriculture, and who is known as the king of agriculture in this State. So, you must think in this way. Whatever things you get from here, data is there, that can be utilised, and I will be glad if the report submitted by the hon. Member, Dr. Swaminathan, who is sitting here, at least, the Minister can see to it that the report submitted by him, is implemented. With this, I thank you. I hope the hon. Minister will take note of all this data and other things, and assure us that there will be no food crisis in India in future, and at this state, at least, he will do something as a Member of the UPA. He will do something for the *aam admi* what others are not doing or what others have not done. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): श्री राम नारायण साहू जी। आपके पास दो मिनट हैं।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): सर, अगर दो मिनट का समय है, तो दो मिनट में हम नहीं कह पायेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप अपनी बात कहिए। आप शुरू कीजिए। आप शुरू करिए। आप नहीं बोल पायेंगे। श्री नन्द किशोर यादव जी।

श्री राम नारायण साहू : सर, अगर हमको दो मिनट का समय देना है, तो यह हमारे नन्द किशोर यादव जी को दे दीजिए। हम दो मिनट में नहीं बोल पायेंगे।

उपसभाध्यक्ष: ठीक है। थैंक्यू।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हमारे नेता आदरणीय अमर सिंह जी ने प्रारम्भ की है। आज वर्तमान समय में किसान के ऊपर और कृषि के ऊपर जो संकट है,

उस पर विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। आदरणीय श्री अमर सिंह जी ने इस सदन में जो बात रखी है, उससे मैं अपने आपको जोड़ रहा हूं।

सर, आज वास्तविक स्थिति यह है कि कृषि पर गंभीर संकट है। कृषि क्षेत्र आज भी 52 प्रतिशत रोजगार दे रहा है, उस पर अनेक प्रकार के संकट हैं। आज सिंचाई के साधन नहीं हैं, आजादी के बाद से लेकर आज तक जो मुझे ज्ञात है 30 से लेकर 35 परसेंट सिंचित क्षेत्र हमारा है। जो सबसे बड़ी कठिनाई कृषि क्षेत्र में है, वह सिंचाई को लेकर के है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राब्लम कृषि के लिए उत्पन्न हो रही है, वह यह है कि जो कृषि का रकबा था, वह बहुत तेजी के साथ घट रहा है। इसको अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाये जो आज जो लोग देश में खेती करने का काम कर रहे हैं, उनके पास 0.40 एकड़ जमीन रह गयी है। तमाम इस तरह के सवाल हैं। समय पर खाद नहीं मिल रही है। आज मढ़ाई का काम चल रहा है, पूरे देश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय डीजल की बहुत किल्लत है। अभी मार्च के आखिरी हफ्ते में बारिश हो गयी थी, ओला पड़ गया था और आने वाले समय में, मढ़ाई का काम एक हफ्ते का काम है। अगर किसानों को समय पर डीजल नहीं मिल पायेगा, तो किसानों का मढ़ाई का काम प्रभावित होगा। यह केवल आदरणीय कृषि मंत्री जी का ही सवाल नहीं है। किसान से संबंधित पैट्रोलियम विभाग भी है, उर्वरक विभाग है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती है। अभी कल ही अखबारों में बड़ा लम्बा-चौड़ा इश्तिहार निकला था उत्तर प्रदेश में जब गेहूं की बुवाई हो रही थी, किसानों का पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई, लेकिन हकीकत यह रही कि खाद लेने के लिए किसान लम्बी-लम्बी लाइन लगाते रहे, फिर भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाई। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय कम है, मैं एक-दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सर, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, वहां पिछले तीन वर्ष से बरसात नहीं हुई है। वहां पर पानी पड़ा ही नहीं है, अभी ओला पड़ गया है। वहां की सरकार एकदम मूकदर्शक बनी हुई है। अगर वहां की सरकार चाहती, तो बुंदेलखंड में जहां पानी का बहुत संकट है, गहरी बोरिंग करवाकर, किसानों को पानी उपलब्ध करवा सकती थी। वहां पर फसल एकदम बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों को 50 रुपए से लेकर 80 रुपए मुआवजा देने का काम, वहां की सरकार ने किया है। इससे किसान आंदोलित हुए हैं। उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया और वह मुआवजा भी सरकार ने वापस ले लिया। अभी बीएसपी के सांसद बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतना आलू हो गया है कि कृषि मंत्री जी यदि चाहें तो उसको दूसरे प्रांतों और दूसरी जगहों पर ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च, अप्रैल में आलू किसान की यह स्थिति हो गई थी कि वहां पर इस साल आलू की फसल ज्यादा हो गई वहां कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक और बड़े व्यापारी, दोनों की मिली-भगत की वजह से उत्तर प्रदेश में आलू अप्रैल के पहले हफ्ते में एक रुपया प्रति किलो बिका है वहां का आलू किसान बर्बाद हो गया है। वहां के कोल्ड स्टोरेज व्यापारियों ने मार्च के आखिरी हफ्ते में एक बोर्ड लगा दिया कि अब हमारे यहां आलू रखने की जगह नहीं है। किसान ने अपना सारा आलू खेत में छोड़ दिया, क्योंकि अगर वह उसकी खुदाई करता, तो वह कॉस्ट भी नहीं निकाल पाता।

उपाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): यादव जी, समाप्त करिए।

श्री नन्द किशोर यादव: सर, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक योजना गंगा एक्सप्रैस वे के नाम से चल रही है। आज वहां जमीन कम हो रही है। आदरणीय अमर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कि हरियाणा में एक उद्योगपति ने, जो विशेष आर्थिक जोन है, उसके तहत वह जमीन दी गई उत्तर प्रदेश में यही खेल खेला जा रहा है।

केवल एक बड़े व्यापारी घराने को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में बलिया से लेकर गाजियाबाद तक एक हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन, उस व्यापारी को खुश करने के लिए दी जा रही है। वहां आठ लेन की सड़क बन रही है। वहां की सरकार कह रही है हम यहां के लोगों को बलिया से गाजियाबाद तक आठ घंटे में सफर पूरा करवाएंगे। स्थिति यह है कि हमारा जो एक हजार किलोमीटर का क्षेत्र है, वह हंड्रेड परसेंट सिंचित क्षेत्र है, वहां पर गेहूं अच्छा होता है, धान अच्छा होता है, उस क्षेत्र में तरबूज और खरबूजे की खेती होती है। अगर यह योजना नहीं रूकी तो मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक व्यापारी को खुश करने के लिए यह जो गंगा एक्सप्रेस वे योजना चल रही है, इसमें हमारे तमाम ऐतिहासिक नगर पड़ने वाले हैं। वहां का किसान बर्बाद हो जाएगा, लोग उजड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को तुरंत रुकवाने का काम करे नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक होगा। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि इस समय बजट सेशन में कृषि पर डिसकशन करने और अपनी राय देने का एक मौका मुझे और हमारे बाकी साथियों को सदन ने दिया है। मैं सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उनका आभारी हूं, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर इस देश की खेती की समस्या हल करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है, इस पर लोगों ने अपनी-अपनी राय यहां सदन के सामने रखी है, अपनी राय दी है। इसमें मत भिन्नता हो सकती है। शरद जोशी जी ने कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार लाना हो तो लिबरलाइजेशन को और ज्यादा स्वीकार करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर जो बंधन आए हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, विजय राघवन जी ने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिवर्सेलाइज करना हो तो प्रोक्योरमेंट बहुत बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है और आज टोटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि सभी वर्गों के लिए करना हो तो शायद ग्रेन ट्रेड भारत सरकार को नेशनेलाइज करना पड़ेगा, इस बारे में कुछ लोगो की विचारधारा है और इस विचारधारा को स्वीकार करने की बात सदन के सामने आई है। मुझे खुशी है कि सदन में कृषि विषयक चर्चा में हिस्सा लेते समय, जिन्होंने जिंदगी भर उद्योग और अर्थव्यवस्था के हितों की बात कही, राहुल बजाज साहब ने भी हिस्सा लिया और खेती के बारे में दिलचस्पी दिखाई, सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिसकशन की शुरूआत अमर सिंह जी ने की। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति करने के लिए मुलायम सिंह जी ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी और उसमें कामयाब होने के लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था।

हमारे हिमाचल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री शान्ता कुमार जी ने एक जमाने में खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, तब मैं विपक्ष में बैठता था। मुझे याद है कि चाहे चीनी के बारे में हो, चाहे खाद्यान्न के बारे में हो, उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर उठ कर एक pragmatic approach लेने की नीति रखी थी और आज भी इस सदन में उन्होंने उस तरह से कुछ सुझाव सदन के सामने रखे हैं। डा० स्वामीनाथन जी के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक जमाने में यह देश एक संकट में रहता था। बड़े पैमाने पर इस देश को आयात की जरूरत पड़ती थी। इससे देश को बाहर निकालने के लिए जिन लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया, उनमें हमें बाबू जगजीवन राम जी का नाम लेना पड़ेगा, सी० सुब्रह्मण्यम जी का नाम लेना पड़ेगा और इन सभी के साथ डा० स्वामीनाथन जी का भी नाम लेना पड़ेगा। इन लोगों ने मिल कर देश में पहली हरित क्रान्ति करने के लिए एक दिशा दिखाई और देश की food security और देश की self sufficiency की समस्या हल करने में हमें कामयाबी मिली थी। इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको स्वीकार करने से देश को आगे ले जाने के लिए खेती के क्षेत्र में फायदा होगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है।

हम सभी लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज देश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। एक तो खेती पर आबादी का जबर्दस्त pressure आ रहा है। जब हम आजाद हुए थे, तब हिन्दुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी, आज 112-116-118 करोड़ तक पहुंच गई है। 35 करोड़ के 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर रहते थे, आज की आबादी के 60-62 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। इससे यह बात साफ होती है कि जमीन के ऊपर लोगों का pressure बढ़ गया है, खेती के ऊपर pressure बढ़ रहा है। आज हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान 5 एकड़ के अन्दर जमीन की धारणा रखने वाले किसान हैं। इनमें से 60 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जहां पानी की कोई गारंटी नहीं है। मानसून ठीक हो, तो उनकी खेती ठीक होती है। मानसून की समस्या पैदा हो, तो इनके सामने हमेशा एक सूखे की समस्या पैदा होती है। इसलिए हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 80 प्रतिशत किसान, जिनका क्षेत्र 5 एकड़ के नीचे हो और इनमें से 60 प्रतिशत खेती, जहां पानी की गारंटी नहीं है, वहां खेती लाभदायक होगी, ऐसा स्टेटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई सदस्यों ने यहां जो बात सदन के सामने कही कि खेती दिन-ब-दिन अलाभदायक हो गई है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी समस्या यह पैदा हुई है कि एक तरह से holding, which is not economic; number two, too much pressure on land; number three, insufficient facilities of irrigation to agriculture, number four, आज किसानों को अपना परिवार चलाने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होती है, आज की खेती उतनी राशि देने के लिए कितनी सक्षम है, यह भी समस्या हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ-साथ climate change जैसी कोई नई समस्या पैदा हो रही है, जिसका जिक्र कई सदस्यों ने यहां किया कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। climate change का असर दुनिया की और खास कर भारत की खेती के ऊपर क्या होगा, यह बात भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

इस पर भी आज भारत सरकार ने ध्यान दिया है और हमारे प्रोडक्शन पर इसका अच्छा असर नहीं होगा, यह बात भी दिन-ब-दिन हमारे सामने आ रही है।

फिर यहां पर इन्पुट्स की बात कही गई। इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया में जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत 36 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं वह 110-112 डॉलर प्रति बैरल से भी अधिक हो गई है। इसका जो असर फर्टिलाइज़र की कीमत पर, डीज़ल की कीमत पर, पेट्रोल की कीमत पर और केरोसिन की कीमत पर हो रहा है, उसकी कीमत इस देश के किसानों को और देश के कृषि क्षेत्र को भी देनी पड़ती है, इस बात को भी हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। आज खेती के सामने एक के बाद एक इतने बड़े संकट हैं, ऐसी परिस्थिति किस प्रकार कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके, जिससे कम से कम इस देश के अनाज की, खाद्यान्न की जो आवश्यकता है, उसे पूरी करने में कामयाबी मिल सके, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैंने इससे पहले भी सदन में कहा है कि मुझे एक बात की खुशी अवश्य है कि पिछले तीन या चार सालों से कृषि क्षेत्र में जो कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए गएं, उसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। रिज़ल्ट पूरी तरह से मिल रहा है, ऐसा मैं सदन के सामने नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में बदलाव अवश्य आ रहा है। जब यूपीए ने अपने हाथ में जिम्मेदारी ली, इससे पहले अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन 112 मिलियन टन का हुआ था, जो दो साल पहले 114-115 टन के आस-पास हो गया।

Last year, it was 217 million tonnes. And, I am very happy to inform this august House that the third advanced estimate, for the year 2007-08, of the total foodgrain production is 227.32 million tonnes during this season, which is a record food production after independence. And, I salute the farming community of the country that irrespective of so many adverse situations, they have ultimately achieved this production which should be definitely helpful for us in resolving the problem of food security.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

उत्पादन जितना भी बढ़ा, इनमें से production of rice, wheat, coarse cereals, pulses, oilseeds, maize and cotton during the year 2007-08 are estimated to be of an all-time record. For the first time, the total foodgrain production has moved Northward from the band of approximately 190 million tonnes to 213 million tonnes, in which it was stuck, over the last decade. तो वहां से आज हम 227 मिलियन टन के आस-पास जा कर पहुंचे हैं, इनमें से production of rice is to the extent of 95.68 million tonnes, 76.78 million tonnes of wheat; 39.67million tonnes of coarse cereals; 15.19 million tonnes of pules; oilseeds is estimated to be 28.21 million tonnes; groundnut to the extent of 8.87 million tonnes; soyabean also with a record production of 9.43 million tonnes; production of cotton is estimated to be 23.19 million tonnes; sugarcane production is also estimated to be of about 344.23 million tonnes during this particular year. If we compare with last year, that is, as compared to 2006-07, the produciton of rice is estimated to increase by 2 million tonnes; wheat by about 1 million tonnes; core cereals by about 6 million tonnes; pulses by about 1 million tonnes, during 2007-08. The oilseeds production is also estimated to increase by four million tonnes, mainly because of the cultivation of groundnut and cotton by six lakh tonnes during 2007-08.as compared to 2006-07. This is the clear-cut picture, the picture that there are problems but the farming community of this country, with the help of corrective decisions and policies introduced by various State Governments and the Government of India, are trying to correct the situation; we are trying to improve this situation.

This is definitely reflected in procurement. What was the procurement two years ago? This particular issue has been raised on a number of occasions in the House. Now, our wheat procument was 91 lakh tonnes two years ago. This year we have finalised a target of

7.00 P.M.

150 lakh tonnes. We started the proccurement on Baisakhi, from the 14th of April, about 10-11 days back. Generally, we complete this procurement in two-and-a-half to three months' time. The total market arrival was 133 lakh tonnes and out of 133 lakh tonnes, practically within ten days, the FCI could procure 126 lakh tonnes, that is, 94 per cent of the total arrival in the market. As compared to last year, it is more by 49.72 lakh tonnes. This is an achievement and I must give full credit to the farmers, specially, of Punjab and Haryana. Their contribution has been substantial. Whatever wheat arrival was there in the Punjab Mandis in the last eleven days, 99.2 per cent of that has been procured and whatever wheat arrival was there in the Haryana Mandis, 99.9 per cent has been procured. I would like to give full compliments to Badal Saheb, the Chief Minister of Punjab and his entire machiney which has cooperated in this procurment and, similarly, Shri Bhupinder Singh Hooda and his entire cooperatives and other network which is helping day-and-night in procurement and in resolving country's food security problem.

The same is true about rice. We have finalised a target of 270 lakh tonnes. The summer paddy has not yet come. It will start in another 15 days to one-month's time. But so far as the total procurement is concerned, up to the 27th of April, out of 270 lakh tonnes, we could procure 229 lakh tonnes and, if you compare it with the last year, last year exactly on the same day we could procure 212 lakh tonnes. So, as compared to 212, we have done 229. I have to give full compliments to the Governments of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. They have given tremendous support in the process of this procurment of rice alongwith Punjab and Haryana. And I am confident that we will be able to achieve our entire target.

In such a situation, definitely, hon. Members will ask a number of questions, like, if this is the overall position of wheat and rice, then why this cut. Shri Vijayaraghavan and his colleages have raised on a number of occasions this particular subejct. And I can understand that. In Kerala, there is an altogether different situation as compared to other States. I am fully aware that Kerala is a State which produces plantation crops which bring in a lot of money and which also earns a lot of foreign exchange for the country. Essentially, the Kuttanad area produces substantial quantity of rice and this year was one of the exceptional years for paddy crop in that particular area. But we had unseasonal rains in that entire belt. And that has affected a substantial area of the paddy crop in Kerala, in Tamil Nadu and in Andhra too. But, still, I think, we will, definitely, be able to -- the respective State Governments are trying their level best to procure in all these areas -- get some good quantity from all these areas. Why have we taken these decision to reduce the APL quota? In fact, it is very interesting that we are discussing about the Agriculture Ministry, but more discusison is taking place on the Food Ministry. Firstly, I would like to clarify one thing. Shri Shanta Kumarji has raised one issue regarding the quantum of AAY and BPL. The quantum of AAY and BPL was fixed lastly as 35 kilogram per cardholder per family. We have not changed that. Neither have we changed the prices. The prices which were fixed in the year 2002, are there even today. Even today, the Central Issue Price is the price which was fixed in 2002. We have not changed these prices, and there is no modification. The subsidy burden has gone from Rs. 18,000 crores to somewhat near to 40,000 crores, 44,000 crores this year. It is because, in one way, we are improving the MSP and we are not changing the Central Issue Price for the Public Distribution System. It is true that we have not changed the AAY category; we have not changed the BPL category, but we have taken a different approach about the APL category. What decision is taken by the Government of India? We have appointed two committees. In fact, the previous Government had appointed one committee,

and one committee was appointed by the Planning Commission just to study the Public Distribution System. And their report was really alarming. It is very difficult for me to disclose the names of the States, but in some of the States the diversion of the wheat was above 95 per cent. And in some of the states, the diversion of rice and wheat both was between 30 per cent to 55 per cent. We have carefully studied as to where the problem is. Out observation was, there was no problem in AAY category; there was very limited problem in BPL cateogy, but the real problem was in the APL category. Then, we have taken a decision that whatever quantity which has been allotted to each and every State continuously for three years for the APL and whatever quantum they have lifted in the last three years, we have made the average, and that average we have started to allot to all the States. It is because whatever they have lifted, we have started allotting, and that is why the problem arose. Suppose, the allocation for a particular State was one lakh tonnes and their total lifting was only 12,000 tonnes or 15,000, not only for one year, but also for one, two, three years, then there was no case to give more than 12,000 tonnes or 13,000 tonnes. That is why a uniform decision was taken to reduce the APL quantum. We have not reduced the AAY, and we have not reduced the BPL.

Sir, it is true that now we started getting lot of enquiries and demands from various States and the basic reason is market prices. The prices of wheat and rice two years back or the last year were somewhat near to our Central Issue Price of the APL category. But, as the hon. Member, Shri Sharad Joshi has said, it is not only a domestic problem of the country, but in the whole world the prices of foodgrains have become a serious issue. In fact, in my last discusison, I had briefed the Members of this august House about this issue. But, just now I want to give one example here. One of the major countries which is producing and exporting rice is Thailand. In Indian currency, about six months back, the price of one kilogram rice of Thailand was somewhat near to Rs. 17 to Rs. 18. Today, the wholesale selling price is Rs. 40. This is not only in Thailand, but this is practically all over the world also, out of India. Similar is the situation about the prices of wheat; similar condition is about pulses, oilseeds and edible oil. Today, India is the only country where wheat and rice prices are the lowest as compared to any other country in the world.

In such a situation, anybody can think, if this is the position, then why not restore the normal allocation because, there is more demand now? What happened to result in the sudden demand? One reason is the open market prices. The second reason is, whatever economic growth we are observing is reflecting on the purchasing power. The third is, the National Rural Employment Gurantee Scheme, which is providing jobs to quite a big number of people, and providing a substantial money, a few thousand crores, and out of that, our observation is, about 55 per cent of the wages go to buy the foodgrains and that is why there is more demand. Though we have succeeded in producing much more in the last 30-40 years, still there is a mismatch between demand and supply and that is the reason why there is a pressure. But, I would like to assure all my colleagues from the Kerala State that we have taken some corrective decisions in the last week. I have to take a different approach about a few States, especially Kerala and, probably, the Bundelkhand area of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh; the entire area is facing a serious drought and that is why we have to do something, we have to find some solution; we have to cut here and there and we have to protect the interests of the affected people in these two States, especially the drought-pone area. I am sure, we will be able to take a decision in another week's time. Today, we have taken some corrective decision about Kerala but I am not sure whether I will be able to restore the entire quantum; but, definitely, we will see to it that the situation will ease in Kerala.

Sir, there are a number of problems but, ultimately, we have to find some solution; we have to see how the farming community of this country will be able to resolve the country's problem and their own problems too. One of the major decisions which the Government of India has taken after assuming the power is the appointment of the National Policy for Farmers and the National Commission for Farmers under the chairmanship of Dr. Swaminathan. We have received a few reports from him and we also have received the final report. The major stake was to frame a pro-active policy, that is National Policy for Farmers, 2007. The policy included *inter alia,* asset reforms in respect of land, water, lifestyles, fisheries and bio-resources; support services and inputs like application on the fertile technologies for improving productivity in a sustainable manner; agriculture-wise security system; supply of the good quality seeds and, disease-free planting material; issue of soil health pass-book for farmers and integrated nutrients; and fresh management system. The Department of Agricultural Cooperation has constituted an Inter-Ministerial Committee to prepare the plan of action for the operationalisation of the National Policy for Farmers. In fact, I will brief on some of the decisions which we have already taken, and the rest of the decisions, we are in the process of implementing. To address the question of food security, the Central scheme has been recently announced; that is, the National Food Security Mission, is launched in 311 identified districts and 17 States from the *rabi,* 2007, with an aim to achieve additional production of 20 million tonnes of the foodgrains. This production will be essentially of wheat, rice and pulses. An issue was raised that we have introduced the scheme but actually we have not provided enough funds. It is true that the total allocation for this entire scheme for five years is somewhat near to Rs.5000 crores. The allocation for the year 2007-08 is Rs. 397 crores. The total amount released to 17 States and four public institutions during 2007-08 is Rs. 389 crores. It is true that the amount is not enough. Suppose, if we have to send Rs. 5000 crores in five years, it means we should provide Rs. 1000 crores a year. But one should not forget that we started this scheme when the *Rabi* season started. So, we have missed the first *kharif* season. That is why the total requirement was somewhat near to it and that amount has been provided. And whatever the impediments we are seeing in the wheat and rice production, I think, this is one of the reasons. Those districts which have been selected for implementation of this scheme, definitely, there is improvement and they have produced more. I am confident whatever the programme we would like to implement, I think, we will be able to achieve and this particular target, which has been decided, I think, we will be able to achieve. One of the Issues which was raised by hon. Shanta Kumarji and it is true that provision for the agriculture and allied sector was going down but certain corrective decisions have definitely been taken. I do not want to brief about or give more details about the previous regime, the NDA regime, but the maximum amount which was provided during the NDA regime was Rs.10805 crores and prior to that it was some what near to Rs.8000 crores, Rs. 8200 crores, Rs.8300 crores but from the year 2004-05, from Rs.10000 crores it jumped to Rs.13000 crores, Rs.15000 crores and Rs. 18000 crores and plus these two schemes for the Food Security Mission, and second scheme, that is, one of the major schemes, RKVY has been introduced. The real problem was that the State Governments were not providing sufficient fund for the agriculture. The hon. Prime Minister had to call a special meeting of the NDC on 29th May, 2007, and all the Chief Ministers were there and in that meeting it was decided to launch a new scheme, that is, Rashtriya Krisi Vikas Yojana, which was introduced in 2007 with an outlay of Rs.25000 crores for the Eleventh Five Year Plan. Hon. Member, Viajayaraghavanji, has said that sufficient provision has not been made. It is correct but one should try to understand what is the scheme. The scheme is here and basically the scheme is just to encourage States to provide money for agriculture. Whatever the budgetary provision which they have made

last year, over and above, if any State Government is ready to provide additional funds for agriculture or allied sector, the Government of India will contribute equivalent amount. So, our expectation was that all the States try to take advantage of this. But, this year, whatever proposals we got from various other States where they have provided additional funds to the agricultural and allied sector was somewhat near to Rs. 1500 crores. We have approved most of the proposals and Rs. 1247 crores funds were already released to the State. This is, again, first year of the stage. It was not easy for the State Government also to provide such a huge excess amount within one year, but I am confident whatever feedback we were getting from all the States, the States have taken this thing seriously, and I hope, from next year there will definitely be more provision for agricultural and allied sector in all State Budgets and whatever additional Budget provision will be there that amount will be compensated from Government of India and I am confident that will definitely improve the overall position. There was a lot of discussion about this waiver issue. One of the biggest reliefs, which we have not seen after independence, was announced by hon. Finance Minister in his Budget Speech and that is about the scheme of debt waiver. All agricultural loans dispersed by the Scheduled, commercial banks, regional banks and cooperative credit institutions up to March 31st, 2007 and only as on 31st December, 2007 will be covered under this scheme. Our own assessment, the total responsibility will be Rs. 50,000 crores for total waiver to those who are below five acres and those who are above five acres, their one time settlement scheme, where 25 per cent will be waived, we expect that about Rs. 10,000 crores will be the burden. We have planned to provide money to the banks in three years in three instalments. Why these three years? In the year 2004-05, when the Government came to power, in the first week or the first fifteen days we have announced a major decision and that is re-scheduling of all agricultural loans which were outstanding and they have given five instalments and that is why still this re-schedule amount period is not over that has to be repaid in five years time but still there are three years and in these three years ultimately, the farmer is supposed to pay this amount and that is why with the consultation of the banks, NABARD and Reserve Bank, ultimately these three instalment proposals were suggested and approved and enough provisions have already been made. We raised two to three issues. In fact, one day in this august House also, there was a question about this particular subject and I did mention that today's decision is up to five acres. Whatever Budgetary provision we would like to make is only for up to five acres. There are suggestions that those who are above five acres but come under the rain fed category, a different approach should be taken about them. It is true that we are also receiving a lot of recommendations and suggestions and there were sharp reactions also from some of the group of farmers who are regularly paying. Why are they penalised? Why not give some concessions to them? These issues are there. But, as on today, our thinking is, whatever the decision has been announced let us implement that and after implementation, one can think at least, those farmers who are rain fed and above 5 acres and those farmers who regularly repay, I think, they also deserve some sort of support. I am confident we will be able to convince our Finance Ministry and all other concerned departments and we will take appropriate decision at the appropriate time. One issue was raised about my home State by Mr. Vijayaraghavanji that this particular decision sought to benefit only a particular part of my State, *i.e.* Western Maharashtra. I am sorry, but that is not actually correct. In Western Maharashtra, the total number of farmers below five acres is 86 per cent. In Vidharbha, the total number of farmers is 63 per cent. Traditionally, in that area big lands were there. if you go to the entire coastal area, for instance, of Maharashtra, about 95 per cent farm holdings are below one acre. That is why the number looks more. But, amount-wise, I think, benefits

were given to all regions. The decision is not taken for one State, but the decision is taken for the whole country.

Sir, another important issue raised here is regarding the M.S.P. or remunerative prices. Shri Amar Singh has also raised this issue. He has said, 'Why are you not giving more money to wheat-grower of the country? Why are you importing? It is true. Whenever we have to take a decision to import; let me tell you frankly and to this august House, I will not get sleep on that night. Being a farmer, who always fought against import, it also pains me. But, certain decisions have to be taken where there is a question of food security. If our kitty is not full, we have no choice. We had imported twice. When we took the first decision on import, whatever amount that we had paid to outsiders was definitely less than the Central issue Price to domestic farmers. But, on our second and third purchases from outside India, we had paid more money. But, we had not brought anything either from America or even from Australia. We had mostly bought from Russia, Kazakhstan and Ukraine. Practically, there was no wheat available in other than these countries. Wheat was available in America. But, the Government of America was not ready to accept phytosanitary conditions of India. They were trying to pressurise us and requested us to modify these things. But, that was not in the interest of the Indian agriculture and Indian farmers. That is why we took a conscious decision not to import from the USA. And, Australia itself was facing drought for the last two years. So, it had, practically, stopped any type of exports. So, whatever we had imported, we had imported from all these countries. There might be some other countries also. But, definitely, it is not from the United States of America.

Sir, we have taken a number of decisions on the M.S.P. In fact, the Government has substantially increased the M.S.P. for various commodities. For instance, increase in the M.S.P. for wheat and paddy in 2004-05 to 2007-08 was Rs. 360 per quintal for wheat and Rs. 185 per quintal for paddy. In the previous regime, the total increase was only Rs. 20 per quintal for wheat and Rs. 30 per quintal for paddy during 2001-02 to 2004-05. In the previous regime, the total increase was only Rs. 20 and Rs. 30 that too in four or five years. Against that, we have given Rs. 185 and Rs. 360. In fact, this is one of the reasons that since enough remunerative prices was not given and that is why suddenly farmers started reducing the area of cultivation for wheat and paddy and this has affected the country's production. We have taken the corrective measures. I know that there is a demand that we should increase the price. But this also reflects, ultimately, in the open market prices. When we have given Rs. 1,000 per quintal to wheat, there is 12.5 per cent local Government charges for every Rs. 1,000 plus other expenses and, ultimately, the cost goes up to Rs. 1,400 per quintal. If the cost goes to Rs. 1,400, automatically, the domestic prices, in the open market, also goes above and that ultimately lead to rise in prices of essential commodities. Similarly, there is a request that we should take a decision of giving Rs. 1,000 for paddy. If you give Rs. 1000 for paddy, the Government or the FCI will get only 60 kg. rice. We do not get 100 kgs rice. That means, Rs. 1,000 will be the price for 60 kgs. of rice. Ultimately, the selling price will be somewhat Rs. 16-17 per kilogram. Automatically, the market prices will go up. And, there will definitely be a serious problem of rising prices. In such a situation, we have to see that we should provide better remunerative price for the farmers. It should be cost-effective. He should not be disheartened. He should get a good return. Simultaneously, we have to protect the interests of the consumer also because farmer himself is also a consumer. He is not producing each and every item. I am a farmer, I don't produce rice. I buy rice from open market. Similar is the situation of the farmers from different parts of the country also. That's why we have to take a sort of a balanced approach about the remunerative prices.

There was a lot of discussion about the rain-fed area and drought. The Government took a major decision to appoint a National Rainfed Area Authority in 2007. The Authority is not supposed to provide money and to start work. It is supposed to issue guidance and technical support to various States and coordinate among various agencies. So, we have started the work of this authority. I am sure that we will pay enough attention to the rainfed agricultural. And, the sixty per cent of the entire agriculture production is from 40 irrigated area, and rest of the 40 per cent production is from the rainfed areas. That's why if we have to overall improve the agricultural production, we cannot neglect the rainfed areas. That's the reason the same had particularly been allowed by the Prime Minister on 15th August. We have practically started implementing that.

Hon. Member, Shri Shanta Kumar, had raised the issue of Extension Services. In May 2005, reforms in Extension Services had been launched by the Agricultural Ministry. An autonomous body by the name of the Agriculture Technological Management Agency (ATMA) at the district level with an active participation of the farmers, farmer groups, NGOs, *Krishi Vigyan Kendras, panchayat raj* institutions, and other stakeholders. It operates at district level and below. It has been implemented in 470 districts of 27 States and two Union Territories till today. So, this is one of the major decisions that has been taken. I am sure this decision will really be helpful. Whatever research has been developed by the ICAR and their various research institutes, our effort is to see that their research reaches from lab to land. This particular organization is taking this entire responsibility about this implementation.

Another issue was raised here about the marketing. Hon. Sharad Joshi has said that there should not be any restriction. The farmer should be allowed to sell their produce. It is his basic right to get a proper price. One of the organizations was definitely coming in the way, that is, the Agriculture Produce Market Committee and their Act. Under the APMC Act, there was a restriction on the farmer that he is supposed to sell his produce only in regulated market and only to a licensee trader. A decision was taken, in fact, six years back, prior to this Government that we should amend these rules. And, this decision was not taken just by the Government, a meeting of the Chief Ministers was called by the former Prime Minister, Shri Atal Bihar Vajpayee. In that meeting, this issue was discussed and, ultimately, a decision was taken. We feel that that was a correct decision. And, we have decided to implement that. Today, eighteen State Governments have taken the corrective action about the amendment in the APMC. And, there are seven States that do not have any APMC Act. So, as on today, in most of the States, farmer has got every right to sell his produce anywhere and to anybody. One of the important problems which we are facing in various States is that there is no proper infrastructure of the market where the farmer can take his produce and sell. The Government of India has taken a decision to establish terminal markets, duly linked to the farmers. These will be set-up in public-private participation mode. They will provide a quality market infrastructure, and will be directly linked to the farmer. States have called for Expression of Interest. About 20 locations have been selected by most of the Sates. I hope they will be able to take all the decisions, and proper work will be started within no time. Some of the States will be able to set-up these terminal markets which will be, ultimately, beneficial to the farmers.

In the last 2-3 years, on many occasions, the issue of farmers' suicides has been discussed in this House and, practically, throughout India. We have taken certain collective decisions. There is improvement; but, still the situation is not that satisfactory. Dr. Jalan has raised this

issue. Dr. Swaminathan has given some suggestions. It was also suggested that we should discuss this issue for the whole day. We should sit together, try to find some solution, try to understand the gravity of the situation, and, if it is possible we should take more collective decisions. There is no hesitation from our side. We will be quite unhappy because whatever is happening is, definitely, not good for the country and, it is, definitely, not good for the farming community as a whole. But, we have taken some decisions, which I have briefed to the House on some other occasions also.

The Government of India has approved a rehabilitation package of Rs. 16,978 crores to 31 suicide-prone districts of the States, that is, in Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala. And, they are supposed to implement this decision in three-years' time. The information regarding the number of suicides committed by the farmers during the year 2007-08 in Vidharbha region has been communicated to us by the Government of Maharashtra. So, we are going by their information. The latest information which has been communicated to us is this. During the year 2007, the figure of suicides committed by the farmers in Vidharbha region of Maharashtra was 1230. Last year, it was 1448. In Andhra Pradesh, during 2007, up to September 2007, the number of suicides committed by farmers was 142. And, last year, exactly during the same period, it was 514. So, the number has come down. The Karnataka Government has communicated that during the year 2007-08, the number up to July 2007 was 73 as compared to the figure of 320 last year of the same period. The Government of Kerala has communicated that the number of suicides committed by farmers in the first ten months in 2007, that is, up to October 2007 was 64 as compared to 841 during the period 2001-2006, where the yearly average was 140 suicides per year. So, in Kerala also, the number has come down substantially. Definitely, some improvement is there. I don't say that the situation has totally improved. We have to take a lot of corrective measures. We have to take the State Governments into confidence. If there are some other issues also, we have to see how we will be able to solve them. We can accept any other thing, but these continuous suicides in the farming community and by farmers in certain areas, is not good for any country.

I do not want to say more about agricultural credit because previously we had given all the figures about what exactly we are doing.

One of the issues raised here was that we have appointed many committees, we have not taken proper decisions, and that all these reports are still pending with the Government. In fact, that is not the factual position. A task force under the Chairmanship of Prof. Vaidyanathan to suggest measures for revival of Cooperative Credit Institutions was appointed. We have received their report also. There is a recommendation for providing financial package of Rs. 14,839 crore for short-term rural credit institutions. The Government of India has approved this package for the revival of the short-term rural cooperative credit sector involving financial assistance of Rs. 13,596 crores. The State Governments have started taking corrective actions. They are supposed to complete the audit of all these societies and the money will be released. Some of the States have already received money but all the States have not completed their entire work yet.

Sir, one issue was raised about the milk production. In fact, in the whole world, there is a shortage of milk, but, in our country, the situation is little different. We have the shortage of milk only in two States, *i.e.*, Kerala and West Bengal. In Karnataka, there is surplus milk; in Gujarat, there is surplus milk; in Maharashtra, there is surplus milk. Both Governments have taken corrective actions. They have got substantial quantity of milk powder and they are

trying to resolve their own problem. But here whether it is poultry, whether it is dairy or whether it is fishery, a number of decisions have been taken by the Government of India to help this particular section. It is true that the fisherman of this country belongs to one of the weakest sections of the society. Lot of women are also involved in this particular trade. The National Fisheries Board has been set up in the year 2007 in the area of 'Fish Capture Culture—Processing and Marketing' with modern tools of research and development, and our effort is that we should get 6-7 per cent growth in sub-sectors in the Eleventh Plan period and enough fund has been provided for this purpose. The headquarters has been set up in Hyderabad and the work has already been started.

The irrigation issue was also raised here. In fact, this year, more provision has been made for the Accelerated Irrigation Benefit Programme, and number of other decisions are also taken by this Government. One of important issues, which was also discussed at the time of General Budget and Budget announcement also, is that soil condition of the land is a serious problem and that is why Dr. Swaminathan Committee had also recommended that we should take corrective decision. Therefore, we have taken decision to take up soil testing mobile laboratories and other laboratories. In fact, it was announced in this year's Budget that 505 testing laboratories will be set up both in the public and private sectors during the Eleventh Plan period with a Government's assistance of Rs. 30 lakhs per laboratory. In addition, one fully-fitted mobile soil-testing laboratory will be provided to 250 districts of the country before March, 2009. So, we are in the implementation stage of this particular scheme.

Regarding *Krishi Vigyan Kendra,* certain points have been suggested. I am ready to accept one suggestion which has been made by an hon. Member. Our today's decision is to give one *Krishi Vigyan Kendra* to every district, but there are some districts where the total area is much more like Jaisalmer, etc. There are certain decisions. So, one *Krishi Vigyan Kendra* is not sufficient. We have studied this particular subject and we have come to the conclusion that at least there are fifty districts as such where there has to be more than one *Krishi Vigyan Kendra* and we are going to set up these *Krishi Vigyan Kendras* in all these areas.

I need not take time of this august House in narrating the contribution of the Indian Agriculture Research Institute. They have done a number of things. 'Quality seed production in the agricultural crops and fishery' was also launched. There are 37 agricultural universities and 47 agricultural institutes. They have taken the responsibility for seed production in the field of crop, horticulture crop and fishery. They have also developed a number of varieties of seeds, especially certain types of seeds which would enhance productivity and production. Three hundred and fifty varieties and hybrids of different crops including horticultural crops and vegetables were released and identified for cultivation in different parts of the country during the last four years. So, lot of work has been done there.

An issue was raised by hon. Member, Shri Amar Singh, regarding genetically modified seeds. There is only one crop which has been approved thus and that is cotton. A series of trials took place in the last seven to eight years and, ultimately, our Approval Committee gave approval for the production of Bt Cotton in this country. There are different types and varieties which have been developed by our own Cotton Research Institute. It is true that there are certain genes which have been taken from foreign companies, but our own ICR Institute have also developed new varieties and whatever is available today in the country has been thoroughly tested and there is a good demand from the farming community. But

we have not selected, we have not developed a single such seed; research is going on, but neither in the area of food grains nor vegetables, any variety has been released which has been genetically modified. As hon. Member, Dr. Swaminathan has said, I entirely agree with him, that one can take full advantage of it and use it for the benefit of the society also, but it can cause harm also. So, our effort, Sir, is, to keep away whatever can cause harm; don't encourage; don't follow blindly the GM varieties; take full precautions; carry out a number of experiments in different seasons, in different parts of the country for years together, not only in one or two years, six or seven years and, then, ultimately, take a final view. So, we have not taken any final view about all these things.

Lastly, one important issue has been raised here about climate change. A High Power Committee has been appointed under the Chairmanship of the hon. Prime Minister, with Scientists, experts and others associated with it. We are also separately working on what would be the impact of the climate change on Indian agriculture and we have geared up the Indian Council for Agricultural Research and all the other institutions to concentrate in those areas and develop such varieties which would be resistant to high heat and which would not reduce any production. This is a continuous process. It might take two-three years, but we are in touch; we are also keeping close touch with different countries. Also, we have no hesitation in trying and getting more information about whatever is available even outside India in this area and our efforts would be to protect Indian agriculture from the effects of climate change. This year, the prediction that we have got about monsoons are quite encouraging and we hope that this year also we would enjoy one of the best seasons. And for that we have prepared from all angles, whether it is inputs like fertilizers, pesticides, seeds or agricultural credit, and I am confident that in such a situation, the Indian farmers would come forward to help solve the country's problems. (Ends)

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Sir, if you permit me, I would like to raise only one issue, particularly because this is a very good year and the Members has given us very good news; this is about Public Distribution System, Sir, Public Distribution System in a globalising economy has a different role to play than simple ration shops. That is because, in a globalising economy, the demand is expanding either because of smuggling, because of cost-push or because of the level of increase in income. So, if there is an increase in supply, there will be some reduction in the pressure on price but the prices will not come down. And that is why the Public Distribution System was invented, mainly to protect the poorest sections. And that can be done only by issuing to them food grains at a cheaper price than the market price. That is the rationale behind the Public Distribution System and that is why we have the BPL categories. But the APL category also belongs to the same group, even if they may not be equivalent to the BPL, they are only slightly better off and they are also equally affected. Just because there is a possibility of leakage in the normal years, in a particularly difficult year when the prices are going up—there is a globalising economy, whole world prices are going up—you must protect a large number of poor people, whether they are BPL or APL, by increasing the supply of the PDS system. Sir, today, you have got the opportunity because your production has increased and your procurement has increased. I hope, Sir, you will provide that leadership of giving a new shape or new interpretation to the Public Distritbion System and meet the demands of both the BPL and APL.

श्री अमर सिंह: सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को उनके परिपक्व और सारगर्भित उत्तर के लिए बधाई देता हूं। उनसे सिर्फ दो-तीन प्वाइंटिड सवाल पूछना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि कमेटी

बनी है, लेकिन कमेटी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा सत्य नहीं है। मैं बहुत आदर से कहना चाहूंगा कि सीएसीपी रिकमेंडेशन और स्वामीनाथन कमेटी, यहां स्वामीनाथन जी सदन में उपस्थिति हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दो बातें मूल रूप से रखी हैं। उन्होंने उत्पादन का लागत मूल्य, उस पर अतिरिक्त पचास परसेंट और ब्याज के ऋण के चार प्रतिशत के बारे में कहा है। दूसरी बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी को चीनी उद्योग, महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन, गन्ना किसानों का विशेष अध्ययन और विशेष प्रेम दोनों है। इसी संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसान, जिनके सैकड़ों करोड़ रुपए - उन्होंने सदन के उत्तर में स्वयं कहा था कि उनके 330 करोड़ रुपए बकाया हैं, उसके लिए क्या वे कोई सब्सिडी, कोई प्रबंध कर रहे हैं? उन्हें महाराष्ट्र से विशेष अनुराग हो सकता है, लेकिन वे देश के, राष्ट्र के कृषि मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न, तो बार-बार उठा है और सभी ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी कहां से होगी जब जमीनें कॉर्पोरेट सेक्टर एस.ई.जेड. के माध्यम से हड़प ली जाएंगी। अभी नन्द किशोर यादव जी ने गंभीर प्रश्न उठाया है कि नोएडा से बलिया तक की जमीन, जो गंगा के तट के किनारे है, गंगेटिक प्लेन है, जोकि उर्वरक और उपजाऊ जमीन है। इन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जे.पी.ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पूरी जमीन दे दी गई है। ऐट हाइ वे लाइन बनाई जा रही है। वहां पर यदि सड़क होगी, जहां पर धान, गन्ना और चावल उगते हैं, तो कहीं एस.ई.जेड. हो जाएगा, कहीं सड़क हो जाएगी। यदि उसके किनारे हाई टेक टाउनशिप हो जाएगा तो - आपने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि धरती सिकुड़ रही है, धरती पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, इस बढ़ती आबादी में अगर हमारी मां को बेच दिया जाएगा, हाई टेक टाउनशिप के फार्म में, सड़कों के फार्म में, सिर्फ इसलिए कि राजनीति और प्रशासन के लिए कुछ संसाधन जुट जाएं, तो स्पेशल इकॉनॉमिक जोन जो एक्सप्लॉएटेशन जोन हो गया है, उसे रोकने के लिए गंगेटिक प्लेन में जो जमीन है, उसके शोषण को रोकने के लिए जे.पी. ग्रुप उद्यमी और रिलायंस जैसे तमाम उद्यमियों को भू-उपजाऊ जमीन को हड़पने से रोकने के लिए, माननीय मंत्री जी कुछ कर रहे हैं, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री भरतसिंह प्रभात सिंह परमार (गुजरात): कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए drip irrigation technology adopt करनी चाहिए और बजट में उसका प्रोविजन करना चाहिए। गुजरात कॉटन भी इस समय फर्स्ट नंबर पर है। आपने जिक्र किया होता तो हमें आनन्द होता। गेहूं में भी इस साल तीन गुना उत्पादन लिया है आपने निर्देश के अनुसार गुजरात सरकार ने इनिशिएटिव लिया था। उसकी वजह ड्रिप इरिगेशन है गुजरात की भी पूरी योजना है। ग्रीन रिवोल्यूशनरी कंपनी गुजरात सरकार ने बनाई है। केंद्र में भी अलग-अलग स्टेट में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी अडोप्ट हो तो उत्पादन बढ़ेगा।

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, I also want to seek a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the form of clarification, I cannot allow everybody .....*(Interruptions)* It is already eight o'clock.

SHRI SHARAD PAWAR: Regarding the drip irrigation, it is true that if you have to use water properly you have to encourage drip irrigation. In this scheme of RKVY, there is a provision if any State Government is ready to provide sufficient fund for drip irrigation, equivalent amount will be provided by the Government of India and there is a provision for subsidy also. Andhra Government has taken initiative and definitely they will get advantage and similar decision will be taken about Gujarat too.

अमर सिंह जी ने जो CACP के recommendation की बात की है, जहां तक CACP के recommendation की पहली रिपोर्ट आई है, उसे हमने पूरी तरह से स्वीकार किया है और उसे मद्देनजर रखते हुए कीमत तय की है। मगर उन्होंने जो दूसरा सुझाव दिया है कि डा॰ स्वामीनाथन कमेटी ने cost of cultivation और 50 परसेंट का जो proposal दिया है, इस पर अभी final decision नहीं लिया गया है। 4 परसेंट rate of interest के बारे में भी अभी तक decision नहीं लिया गया है। यह बात सच है कि पहले 12 परसेंट interest था, बाद में यह 10 परसेंट पर आ गया, 10 से 9 पर आ गया और 9 से 7 परसेंट पर आ गया। इसमें 2 परसेंट subvention देने के लिए इस साल भी budgetary provision किया गया है। अभी हम 12 से 7 तक आए हैं। अगर ऐसी ही हमारी journey रहेगी, तो मुझे विश्वास है कि डा. स्वामीनाथन कमेटी की जो recommendation है, उस पर आज नहीं, तो कल final decision हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की परिस्थिति गम्भीर है, यह बात सच है, मगर इसमें केन्द्र सरकार subsidy नहीं दे सकती। वहां crushing करने की पूरी जिम्मेदारी और वहां की सरकार ने जो कीमत तय की है, State Advisory Price, वह वसूल करके देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दी गई, तो चीनी मिल वाले कीमत नहीं देते हैं, उनके खिलाफ हर कलक्टर को legal action करने की भी powers दी गई हैं, इस पर अमल करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अमर सिंह जी ने यह बात हमारे सामने दी।

श्री अमर सिंह: यह मायावती सरकार की विफलता है।

श्री शरद पवार: यह बात आपने कही। हम उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह issue raise करेंगे और उनकी तरफ से इस पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर हम जरूर ध्यान देंगे।

SEZ की लैंड के बारे में यहां सवाल raise किया गया। हम यह बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि urbanisation बढ़ रहा है, इसलिए भी खेती की जमीन जा रही है। Various types of projects. like expansion of highways, irrigation projects, industrialisation, इनके लिए भी खेती की जमीन जा रही है। वैसे ही SEZ के लिए जमीन जा रही है, ऐसी शिकायतें आईं। प्रधान मंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का final recommendation आया और सरकार ने इस पर decision लिया। वह decision ऐसा है कि हमने सभी राज्य सरकारों को यह communicate किया है कि जहां उपजाऊ जमीन है, उसे acquire मत करिए। जहां एक से ज्यादा फसल 100 परसेंट मिलता है, ऐसी जमीन बिल्कुल acquire मत करिए। जहां फसल नहीं आती है, तो जमीन उपजाऊ नहीं है, ऐसी ही जमीन उन्हें acquire करनी चाहिए। इस तरह का communication सभी राज्य सरकारों को अभी भेजा गया है।

श्री अमर सिंह: अगर राज्य सरकार आपका recommendation न माने और उपजाऊ जमीन अधिगृहीत कर ले, तो क्या कोई कानून है?

श्री शरद पवार: यह राज्य सरकार का अधिकार है।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, I had asked about the Public Distribution System.

SHRI SHARAD PAWAR: Yes, that is an important issue. But, as on today, we have taken the entire responsibility of APL and BPL. About full responsibility of APL, it depends on the stock position, and I will not be able to answer this point right now. We will definitely study the stock position after two months, and then, we will take the appropriate decision.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fifty-three minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 29th April, 2008.

GMGIPMRND—3832RS—14-8-2009.